भारत के राजपत्र असाधारण भाग-I खंड-I में प्रकाशनार्थ

फाइल संख्या 6/8/2021 – डीजीटीआर
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)
जीवन तारा बिल्डिंग, चतुर्थ तल, 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

दिनांकः 27 अक्टूबर, 2022

अधिसूचना
अंतिम जांच परिणाम

विषय: कुवैत, सउदी अरब और यू एस ए के मूल के अथवा वहां से निर्यात किये गये ''मोनो इथीलीन ग्लाइकोल (एम ई जी)'' के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच।

क. मामले की पृष्ठभूमि

समय-समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे ''अधिनियम'' भी कहा गया है) तथा समय समय पर यथासंशोधित तत्संबंधी सीमाशुल्क टैरिफ(पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए)नियमावली, 1995 (जिसे आगे ''नियमावली'' अथवा ''पाटनरोधी नियमावली'' भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए :

1. निर्दिष्ट प्राधिकारी को कुवैत, सउदी अरब और यू एस ए (जिसे आगे ''संबद्ध देश'' कहा गया है) से मोनो इथीलीन ग्लाइकोल (एम ई जी) (जिसे आगे ''संबद्ध वस्तु'' अथवा ''विचाराधीन उत्पाद'' भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत करने का अनुरोध करते हुए समय-समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे आगे ''अधिनियम'' भी कहा गया है) और समय समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली 1995 (जिसे आगे ''नियमावली'' भी कहा गया है) के अनुसार इंडिया ग्लोइकोल्ज लिमिटेड (आई जी एल) और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आर आई एल) (जिसे आगे ''आवेदक'' अथवा ''घरेलू उद्योग'' भी कहा गया है) से आवेदन प्राप्त हुआ।

2. प्राधिकारी ने आवेदकों द्वारा प्रस्तुत एक विधिवत दस्तावेज वाली याचिका और प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य के आधार पर कुवैत, सउदी अरब और यू एस ए से संबद्ध वस्तुओं के कथित पाटन के मौजूद होने, उसकी मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने तथा पाटनरोधी शुल्क की राशि जिसे अगर लेवी किया गया हो तो वह घरेलू उद्योग को कथित क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा, की सिफारिश करने के लिए इस नियमावली के नियम 5 के साथ पठित इस अधिनियम की धारा 9क के अनुसार जांच की शुरुआत करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित दिनांक 28 जून, 2021 की अधिसूचना फाइल सं. 6/8/2021 – डी जी टी आर जारी किया।

ख. प्रक्रिया

3. यहां नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन संबद्ध जांचों के संबंध में किया गया है :

क. प्राधिकारी ने जांच की शुरुआत करने की कार्यवाही करने के पूर्व पाटनरोधी आवेदन के प्राप्त होने के बारे में भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को अधिसूचित किया।

ख. प्राधिकारी ने कुवैत, सउदी अरब और यू एस ए से संबद्ध वसतुओं के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित दिनांक 28 जून, 2021 की सार्वजनिक सूचना जारी की।

ग. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों, संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, ज्ञात आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार दिनांक 28 जून, 2021की जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना की एक प्रति भेजी। हितबद्ध पक्षकारों से निर्धारित रूप में और तरीके से तथा इस नियमावली के नियम 6(2) और 6(4) के अनुसार 30 दिनों के भीतर लिखित रूप में अपने विचारों से अवगत कराने का अनुरोध किया गया था। हालांकि, हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध किये जाने पर अनुरोध करने की समय सीमा 7 सितंबर, 2021 तक बढ़ाई गई थी।

घ. प्राधिकारी ने इस नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों और संबद्ध देशों के दूतावासों को आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन के अगोपनीय पाठ की एक प्रति उपलब्ध कराई।

ङ. भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर इस प्रश्नावली का उत्तर देने के लिए अपने देश के उत्पादकों/ निर्यातकों को सलाह देने के लिए भी अनुरोध किया गया था। उत्पादकों/ निर्यातकों को भेजे गये पत्र और प्रश्नावली की एक प्रति भी संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों के नाम और पते के साथ उन्हें भेजी गई थी।

च. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों को इस नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार अपने अनुरोध अवगत कराने के लिए उन्हें अवसर देते हुए पाटनरोधी जांच की शुरुआत करने संबंधी सार्वजनिक सूचना की एक प्रति अग्रेषित की :

i. इक्वेट पैट्रोकेमिकल कंपनी,कुवैत
ii. द कुवैत ओलेफाइन्स कंपनी,सउदी अरब
iii. अरबियन पैट्रोकेमिकल कंपनी,सउदी अरब
iv. इस्टर्न पैट्रोकेमिकल कंपनी (एस एच ए आर क्यू),सउदी अरब
v. जना जुबेल केमिकल इंडस्ट्रीज कं.,सउदी अरब
vi. जुबेल यूनाइटिड पैट्रोकेमिकल कंपनी]सउदी अरब
vii. रबीघ रिफाइनिंग एंड पैट्रोकेमिकल कंपनी] सउदी अरब
viii. सारदा केमिकल कंपनी] सउदी अरब
ix. सउदी बेसिक इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन (एस ए बी आई सी)] सउदी अरब
x. सउदी कल्याण पैट्रोकेमिकल कंपनी] सउदी अरब
xi. सउदी मेकेनिकल इंडस्ट्रीज कं. लिमिटेड] सउदी अरब
xii. सउदी यानबु पैट्रोकेमिकल कंपनी, सउदी अरब
xiii. यानबु नेशनल पैट्रोकेमिकल कंपनी (यानसब), सउदी अरब
xiv. फॉरमोसा प्लास्टिक, यू एस ए
xv. लोटे ग्रुप, यू एस एस
xvi. एमई ग्लोबल अमेरिकाज इंक., यू एस ए
xvii. शेल केमिकल्स गेसमर । एंड ।।,यू एस ए

छ. निम्नलिखित उत्पादकों/ निर्यातकों ने निर्यातक की प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है :

i. अरबियन पैट्रोकेमिकल कंपनी (पेट्रोकेमया), सउदी अरब
ii. इस्टर्न पैट्रोकेमिकल कंपनी (एस एच ए आर क्यू), सउदी अरब
iii. इक्वेट पैट्रोकेमिकल कंपनी| कुवैत
iv. एक्सान मोबाइल केमिकल एशिया पेसिफिक,सिंगापुर
v. जुबेल यूनाटेड पैट्रोकेमिकल कंपनी(यूनाटेड),सउदी अरब
vi. एमई ग्लोबल इंटरनेशनल एफजेडई,यू ए ई
vii. मित्सुबिशी केमिकल एशिया पेसिफिक पीटीई. लिमिटेड,सिंगापुर
viii. मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन,जापान
ix. नान या प्लास्टिक कॉर्पोरेशन,अमेरिका, यू एस ए
x. नान या प्लास्टिक कॉर्पोरेशन, टेक्सास, यू एस ए
xi. राबीघ रिफाइनिंग एंड पैट्रोकेमिकल कंपनी,सउदी अरब
xii. एस ए बी आई सी एशिया पेसिफिक पीटीई. लिमिटेड, सिंगापुर
xiii. सउदी बेसिक इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन (एस ए बी आई सी), सउदी अरब
xiv. सउदी कल्याण पैट्रोकेमिकल कंपनी, सउदी अरब
xv. सउदी यानबु पैट्रोकेमिकल कंपनी (यानपेट), सउदी अरब
xvi. एस पी डी सी लिमिटेड, जापान
xvii. द कुवैत ओलफेइंस कंपनी के एस सी सी (टी के ओ सी), कुवैत
xviii. यानबू नेशनल पैट्रोकेमिकल कंपनी (यानसब), सउदी अरब

ज. इसके अलावा, सादरा केमिकल कंपनी ने इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए प्राधिकारी के समक्ष एक पत्र प्रस्तुत किया कि इसने जांच की अवधि के दौरान भारत को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात नहीं किया था।

झ. प्राधिकारी ने इस नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना की मांग करते हुए भारत में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/ प्रयोक्ताओं को प्रश्नावलियां भेजीं :

i. आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड
ii. भिलोसा इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
iii. चिरिपाल पोली फिल्म्स लिमिटेड
iv. डी एन एच स्पिनर्स प्राइवेट लिमिटेड
v. डॉव केमिकल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
vi. फिलाटेक्स इंडिया लिमिटेड
vii. फूटूरा पोलियस्टर लिमिटेड
viii. गार्डन सिल्क मिल्स लिमिटेड
ix. गोकुलानंद पेट्रोफाइबर्स
x. इंडोरमा सिंथेटिक्स लिमिटेड
xi. आई वी एल धुनसेरी पैट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज प्रा. लिमि.
xii. जे बी एफ इंडस्ट्रीज लिमिटेड
xiii. जिंदल पोली फिल्म्स
xiv. के एल जे रिर्सोस लिमिटेड
xv. रशमी पोलीफेब प्राइवेट लिमिटेड

xvi. सनातन टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
xvii. श्री दुर्गा सिंटेक्स प्राइवेट लिमिटेड
xviii. शुभलक्ष्मी पोलियस्टर्स लिमिटेड
xix. एस आर एफ लिमिटेड
xx. स्टारकेम पोलिट्रेड प्राइवेट लिमिटेड
xxi. स्टारलॉन एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड
xxii. सुमित इंडस्ट्रीज लिमिटेड
xxiii. द बॉम्बे डायनिंग एउंड मेनिफेक्चरिंग कं. लिमि.
xxiv. वेलनॉन पोलियस्टर लिमिटेड

ञ. निम्नलिखित आयातकों/ प्रयोक्ता ने प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये प्रश्नावलियों का उत्तर प्रस्तुत किया है।

i. भिलोसा इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
ii. फिलाटेक्स इंडिया लिमिटेड
iii. गार्डन सिल्क मिल्स लिमिटेड
iv. इंडो रामा सिंथेटिक्स (इंडिया) लिमिटेड
v. आई वी एल धुनसेरी पेट्रोकेम इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
vi. जिंदल पोली फिल्म लिमिटेड
vii. के एल जे रिर्सोस
viii. सनातन टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
ix. द बॉम्बे डायनिंग एंड मेनिफक्चरिंग कं. लिमिटेड

ट. प्राधिकारी ने जांच की शुरुआत के संबंध में निम्नलिखित संघों को उनके सभी सदस्यों को सूचित करने और उत्तर/ टिप्पणियां, यदि कोई हों को प्रस्तुत करने के लिए अधिसूचना भी भेजी।

i. एसोसियेट चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्टीज ऑफ इंडिया (एसोचेम)
ii. केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स मेनिफेक्चर्स एसोसियेट (सी पी एम ए)
iii. कंफेडेरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्रीज (सी आई आई)
iv. फेडेरेशन ऑफ इंडियन चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की)

ठ. निम्नलिखित संघों ने पत्र/ अनुरोध प्रस्तुत किये हैं और वर्तमान जांच में भाग लिया है :

i. टेक्सटाइल ऐसासिएशन (इंडिया) – दिल्ली
ii. पी टी ए यूजर्स एसोसिएशन

ड. इस जांच की प्रक्रिया के दौरान सउदी अरब के साम्राज्य की सरकार और कुवैत राज्य के दूतावास से भी लिखित अनुरोध प्राप्त हुए थे।

ढ. इस नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने 9 दिसंबर, 2021 को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित सार्वजनिक सुनवाई में हितबद्ध पक्षकारों को अपने विचार मौखिक रूप से प्रस्तुत करने के लिए अवसर दिया। उन पक्षकारों जिन्होंने मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत किये, से अनुरोध किया गया कि वे मौखिक रूप से व्यक्त किये गये विचारों को लिखित अनुरोधों और उसके बाद प्रतिउत्तर अनुरोधों, यदि कोई हो,

को प्रस्तुत करें। इन पक्षकारों ने अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ अपने लिखित अनुरोधों का अपना अगोपनीय रूपांतर साझा किया।

ण. नियम 17 (1)(क) के अनुसार, केंद्र सरकार ने जांच के विस्तार के लिए समय अवधि का तीन महीने तक 27 सितंबर, 2022 तक विस्तार किया।

त. वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि (पी ओ आई) दिनांक 1 जनवरी, 2020 से 31 दिसंबर, 2020 तक (12 माह) की है। क्षति विश्लेषण की अवधि में 2017 –2018, 2018 – 2019, 2019 – 2020 और जांच की अवधि शामिल है।

थ. जांच की अवधि और उससे पूर्व के तीन वर्षों के लिए सौदा-वार आयात संबंधी आंकड़े, डी जी सी आई एंड एस से प्राप्त किए गए थे। प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध वस्तुओं के आयातों की मात्रा और मूल्य की गणना करने के लिए डी जी सी आई एंड एस के आंकड़ों पर भरोसा किया है।

द. आगे की सूचना आवश्यकता के अनुसार आवेदक से मांगी गई थी। वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए आवश्यकता के अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों का स्थल पर सत्यापन किया गया था।

ध. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों के द्वारा किये गये अनुरोधों का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराया। सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उसमें सभी को इस अनुरोध के साथ डी जी टी आर की वेबसाइट पर अपलोड किया गया था कि उसे सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उनके अनुरोधों का अगोपनीय रूपांतर ई-मेल करें क्योंकि सार्वजनिक फाइल चालू वैश्विक महामारी के कारण भौतिक रूप से प्राप्त किये जाने लायक नहीं थी।

न. घरेलू उद्योग ने अपने चार्टर्ड/ कॉस्ट एकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। क्षतिरहित कीमत (एन आई पी) का निर्धारण घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार और सामान्य: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जी ए ए पी) तथा नियमावली के अनुबंध III के अनुसार, ईष्टतम उत्पादन की लागत तथा भारत में संबद्ध वस्तुओं के निर्माण और बिक्री की लागत के आधार पर किया गया है। ऐसी क्षतिरहित कीमत पर यह पता लगाने के लिए विचार किया गया है कि क्या पाटन मार्जिन के कमतर पाटनरोधी शुल्क, घरेलू उद्योग की क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

प. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों, दिए गए तर्कों और विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा जांच की अवधि के दौरान, जहां तक वे साक्ष्य के साथ और वर्तमान जांच के लिए संगत पाई गई है, द्वारा प्रदान की गई सूचना पर इन अंतिम जांच परिणामों में प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त रूप से विचार किया गया है।

फ. प्राधिकारी ने जांच की प्रक्रिया दौरान, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई सूचना की सटीकता के संबंध में स्वयं को संतुष्ट किया, जो इन अंतिम जांच परिणामों का आधार बनता है और जहां तक यह संभव हुआ, घरेलू उद्योग प्रस्तुत आंकड़ों/ दस्तावेजों का सत्यापन किया गया है।

ब. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना की जांच, गोपनीय के दावों की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। प्राधिकारी ने संतुष्ट होकर, जहां कहीं भी आवश्यक था, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना की गोपनीयता पर विचार किया है और उसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया है।

भ. जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच की प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना देने से इंकार किया है अथवा अन्य प्रकार से उपलब्ध नहीं कराया है या जांच बहुत हद तक बाधा उत्पन्न की है, प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर इन अंतिम जांच परिणामों को रिकार्ड किया है।

म. यह नियमावली के नियम 16 के अनुसार, जांच के आवश्यक तथ्यों को दिनांक 23 सितंबर, 2022 के प्रकटन विवरण के माध्यम से ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट किया गया था

और उन पर प्राप्त टिप्पणियों जिसे प्राधिकारी द्वारा संगत माना गया, का निवारण इन अंतिम जांच परिणामों में किया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये प्रकटन पश्चात अधिकांश अनुरोध उनके द्वारा पूर्व में किये गये अनुरोधों को केवल दोहराया गया है। हालांकि, संगत मानी गई सीमा तक प्रकटन पश्चात अनुरोधों की जांच इन अंतिम जांच परिणामों में की जा रही है।

य. इन अंतिम जांच परिणाम में ***, गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना और इस नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा वैसी मानी गई सूचना का प्रतिनिधित्व करता है।

कक. संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनियम दर 1 यू एस डॉलर = 74.99 रु. है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

4. जांच की शुरुआत के चरण में विचाराधीन उत्पाद को निम्नानुसार परिभाषित किया गया था:

''3. वर्तमान जांच के उद्देश्य से विचाराधीन उत्पाद मोनो इथीलीन ग्लाइकोल है जिसे एम ई जी अथवा इथीलीन ग्लाइकोल के रूप में भी जाना है। मोनो इथीलीन ग्लाइकोल एक साफ, रंगरहित, वास्तविक रूप से गंधरहित और मामूली रूप से चिपचिपा तरल पदार्थ है। यह पानी, एल्कोहल और अनेक ऑर्गेनिक कम्पाउण्ड के साथ मिश्रण किये जाने योग्य है। इसका रासायनिक सूत्र सी2एच602 है। इसका भंडारण स्टेनलैस स्टील, एल्यूमिनियम अथवा लाइंड ड्रम्स, टेंक कार्स अथवा टेंक ट्रक्स में किया जा सकता है। इसकी 1.114 का विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण है और 110 डिग्री से. का फ्लैस प्वाइंट है (क्लोजड कप)'''।

ग. 1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोध

5. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं :

क. आई जी एल द्वारा उत्पादन किये गये और बिक्री किये गये बॉयो-एम ई जी उत्पादन प्रक्रिया में अंतर पर विचार करते हुए एक अलग उत्पाद है। आर आई एल नेप्था अथवा ईथेन का उपयोग करते हुए एम ई जी का उत्पादन करता है जबकि आई जी एल मोलास का उपयोग करते हुए बॉयो-एम ई जी का उत्पादन करता है।

ख. बॉयो- एम ई जी की सामान्य तौर पर बिक्री भारत में नहीं की जाती है बल्कि उन कंपनियों को निर्यात की जाती है जो कार्बन क्रेडिट अर्जित करना चाहते हैं, और इस कारण से आर आई एल और आई जी एल उन्हीं ग्राहकों की मांग को पूरा नहीं कर रहा है।

ग. सउदी अरब में उत्पादकों ने भारत को बॉयो-एम ई जी का निर्यात नहीं किया है।

घ. प्राधिकारी कृपया कच्चे मालों में अंतर और बॉयो- एम ई जी और एम ई जी की उत्पादन प्रक्रिया पर विचार करते हुए क्षति के विश्लेषण के उद्देश्य से पी सी एन का निर्माण करने की आवश्यकता का विश्लेषण करें।

ग. 2. घरेलू उद्योग द्वारा किये गये अनुरोध

6. घरेलू उद्योग द्वारा विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं -

क. घरेलू उद्योग ने संबद्ध देशों से आयात किये गये संबद्ध वस्तुओं के समान वस्तु का उत्पादन किया है।

ख. घरेलू उद्योग ने तीन तरह के एम ई जी अर्थात फाइबर ग्रेड, तकनीकी/ गैर-फाइबर ग्रेड और बॉयो-एम ई जी का उत्पादन किया है। जबकि फाइबर ग्रेड और तकनीकी/ गैर फाइबर ग्रेड एम ई जी का उत्पादन इथेन, प्रोपेन, बूटेन, नेप्था आदि से निर्मित इथीलीन का उपयोग करते हुए किया जाता है, बॉयो-एम ई जी का उत्पादन बॉयो इथेलॉन से निर्मित इथीलीन का उपयोग करते हुए किया जाता है।

ग. आई जी एल द्वारा उत्पादित बॉयो- एम ई जी वही है जो आर आई एल द्वारा उत्पादित तथा संबद्ध देशों से आयात किये गये फाइबर ग्रेड और तकनीकी / गैर फाइबर ग्रेड एम ई जी भौतिक और तकनीकी विशेषताओं तथा अंतिम उपयोगों के संदर्भ में है।

घ. इथीलीन जो प्रमुख कच्चा माल है के उत्पादन के लिए उपयोग किये गये इनपुट्स में अंतर मात्र इस उत्पाद को चीन जन. गण. और कोरिया गणराजय से सोडियम हाइड्रोसल्फाइड के मामले में प्राधिकारी की कार्यपद्धति के अनुसार असमान उत्पादों के रूप में इस उत्पाद को नहीं बना सकता है।

ग. 3. <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

7. वर्तमान जांच के उद्देश्य से विचाराधीन उत्पाद मोनो इथीलीन ग्लाइकोल है जिसे एम ई जी अथवा इथीलीन ग्लाइकोल के रूप में भी जाना है। मोनो इथीलीन ग्लाइकोल एक साफ, रंगरहित, वास्तविक रूप से गंधरहित और मामूली रूप से चिपचिपा तरल पदार्थ है। यह पानी, एल्कोहल और अनेक ऑर्गेनिक कम्पाउण्ड के साथ मिश्रण किये जाने योग्य है। इसका रासायनिक सूत्र सी2एच602 है। इसका भंडारण स्टेनलैस स्टील, एल्यूमिनियम अथवा लाइंड ड्रम्स, टैंक कार्स अथवा टैंक ट्रक्स में किया जा सकता है। इसकी 1.114 का विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण है और 110 डिग्री से. का फ्लैस प्वाइंट है (क्लोजड कप)।

8. मोनो इथीलीन ग्लाइकोल का प्रमुख रूप से उपयोग पोलियस्टर फाइबर, पोलियस्टर फिल्म्स और रेसिंस जैसे पोलीथिलीन टेरेफेथलेट (पी ई टी) के उत्पादन में एक केमिकल इंटरमीडिएट के रूप में किया जाता है। पी ई टी को प्लास्टिक बोतल में परिवर्तित किया जाता है, जिलका उपयोग वैश्विक स्तर पर किया जाता है। इसके अलावा, एम ई जी का भी उपयोग इसके आर्द्रक गुणों के कारण टेक्सटाइल्स के फाइबर आशोधन, कागज उद्योग और चिपचिपा रसायन पदार्थ, इंक और सेलोफेन में किया जाता है। इसका उपयोग प्राकृतिक गैस पाइप लाइन में निर्जलीयकरण एजेंट के रूप में भी किया जाता है, जहां यह गैस प्राप्त किये जाने और उसका पुन: उपयोग किये जाने के पूर्व प्राकृतिक गैस क्लेरेट के निर्माण को रोकता है।

9. मोनो इथीलीन ग्लाइकोल का सामान्य तौर पर उत्पादन दो मूल कच्चे माल, इथीलीन और ऑक्सीजन का उपयोग करते हुए किया जाता है और ऑक्सीजन को मल्टी-ट्यूबलर केटोलिटिक रियेटर में इथीलीन ऑक्साइड (ई ओ) का उत्पादन करने के लिए मिलाया जाता है। अत्यधिक एक्सोथर्मिक प्रतिक्रिया को प्रोपराइटरी और वैज्ञानिक डिजाइन के द्वारा विकसित प्रभावी सुरक्षा प्रणालियों के साथ नियंत्रित किया जाता है। रिएक्टर में उत्पादित किये गये ईओ को उच्च गुणवत्ता के शुद्ध किये हुए ईओ से अलग किया जाता है और/ अथवा इसे आगे फाइबर ग्रेड मोनो इथीलीन ग्लाइकोल (एम ई जी) तथा डाई और ट्राई इथीलीन ग्लाइकोल (डी ई जी, टी ई जी) का उत्पादन करने के लिये प्रसाधित किया जाता है।

10. इस दावे के संबंध में कि बॉयो-इथालॉन से निर्मित इथीलीन का उपयोग करते हुए उत्पादित बॉयो-एम ई जी इथेन, प्रोपेन, बूटेन, नेप्था आदि से निर्मित इथीलीन का उपयोग करते हुए उत्पादित एम ई जी से अलग है। यह नोट किया जाता है कि बॉयो-एम ई जी में इथेन, प्रोपेन, बूटेन, नेप्था आदि से निर्मित इथीलीन का उपयोग करते हुए उत्पादित एम ई जी के रूप में आवश्यक रूप से एक जैसी तकनीकी/ भौतिक विशेषताएं हैं। दोनों उत्पादों का उत्पादन एक ही कच्चे माल अर्थात इथीलीन का

उपयोग करते हुए किया जाता है। यह तथ्य कि कच्चे माल, इथीलीन के उत्पादन की प्रक्रिया अलग है, संगत नहीं है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि दोनों प्रकार के एम ई जी का उपयोग एक जैसे अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है और विभिन्न ग्राहक दोनों प्रकारों के एम ई जी का उपयोग एक दूसरे के स्थान पर करते हैं। इस कारण से, यह नोट किया जाता है कि इथेन/ प्रोपेन/ बूटेन से उत्पादित बॉयो-एम ई जी और एम ई जी अलग अलग उत्पाद नहीं हैं।

11. जहां तक एक पृथक पी सी एन-वार जांच के लिए अनुरोध का प्रश्न है, यह नोट किया जाता है कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने जांच की शुरुआत की सूचना के उत्तर में यह अनुरोध नहीं किया है। बल्कि पी सी एन-वार विश्लेषण के लिए अनुरोध प्रतिउत्तर अनुरोधों के बाद के चरण में ही अर्थात सभी उत्तरों और अन्य सूचना के प्रस्तुत किये जाने के बाद ही किया गया है। इसके अलावा, बॉयो-एम ई जी और एम ई जी के बीच इस तरह का कोई अंतर नहीं है। तदनुसार, प्राधिकारी इसे उपयुक्त नहीं पाते हैं कि पी सी एन-वार विश्लेषण किया जाए।

12. विचाराधीन उत्पाद टैरिफ कोड 2905 31 00 के अंतर्गत अध्याय 29 के अधीन वर्गीकरण किये जाने योग्य है। सीमा शुल्क केवल संसूचक है और यह किसी भी प्रकार से वर्तमान जांच के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

13. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देशों से आयात किये गये संबद्ध वस्तु विशेषताओं जैसे भौतिक और रासायनिक विशेषताएं, निर्माण की प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, कार्य और उपयोग, उत्पाद विनिर्देश, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं का टैरिफ वर्गीकरण के मामले में तुलनीय है। ये दोनों तकनीकी रूप से और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। ग्राहक इन दोनों का उपयोग एक दूसरे के स्थान पर कर रहे हैं। विचाराधीन उत्पाद का आयात करने वाले ग्राहकों ने भी घरेलू उद्योग से उसकी खरीद की है। उसको देखे हुए, प्राधिकारी यह मानते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु संबद्ध देशों से आयात किये गये विचाराधीन उत्पाद का समान वस्तु है।

घ. <u>घरेलू उद्योग का क्षेत्र और आधार</u>

घ. 1. <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोध</u>

14. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा घरेलू उद्योग के क्षेत्र और आधार के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं :

क. प्राधिकारी को आई ओ सी एल से सूचना अवश्य मंगानी चाहिए, जैसा कि पी टी ए के मामले में किया गया है, जहां सूचना प्रकटन विवरण के जारी किये जाने के एक दिन पूर्व प्रस्तुत की गई थी।

ख. प्राधिकारी को बी पी सी एल को भी अपनी परियोजना रिपोर्ट उपलब्ध कराने, उन संभावनाओं का विश्लेषण करने का भी अवश्य अनुरोध करना चाहिए जो उत्पादक ने देखा है और कथित वास्तविक क्षति और वास्तविक क्षति के गंभीर खतरे के बावजूद निवेश करने का निर्णय लिया है।

घ. 2. <u>घरेलू उद्योग द्वारा किये गये अनुरोध</u>

15. आवेदकों द्वारा घरेलू उद्योग के क्षेत्र और आधार के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं :

क. यह आवेदन इंडिया ग्लाकोल्स लिमिटेड (आई जी एल) और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आर आई एल) द्वारा दायर किया गया है, जिसका देश में कुल घरेलू उत्पादन का बहुत

बड़ा हिस्सा है और पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) के अंतर्गत आवश्यकताओं को पूरा करता है।

ख. आवेदकों ने संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है और भारत में संबद्ध वस्तुओं के किसी विदेशी उत्पादक/ निर्यातक या संबद्ध वस्तुओं के आयातकों से उसका कोई संबंध नहीं है।

ग. आवेदकों की इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, संबद्ध वस्तुओं का अन्य उत्पादक और भारत पैट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो एक संयंत्र स्थापित करने की प्रक्रिया में है, से मांगी जा रही किसी सूचना के संबंध में कोई आपत्ति नहीं है।

घ. 3. प्राधिकारी द्वारा जांच

16. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:-

''(ख) ''घरेलू उद्योग' का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में ''घरेलू उद्योग'' पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।''

17. यह आवेदन इंडिया ग्लाकोल्स लिमिटेड और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। इन आवेदकों का संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं के किसी उत्पादक अथवा निर्यातक या भारत में संबद्ध वस्तुओं के आयातकों से न तो संबंध है और न ही उन्होंने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है। इस देश में संबद्ध वस्तुओं का एक अन्य उत्पादक इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है जिसने न तो वर्तमान जांच का समर्थन किया है और न ही उसका विरोध किया है।

18. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने मौखिक सुनवाई के दौरान यह अनुरोध किया था कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को इस जांच में भाग लेने तथा अपनी सूचना प्रस्तुत करने के लिए अवश्य कहा जाना चाहिए। यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी अथवा आवेदक जांच में भाग लेने तथा सूचना प्रस्तुत करने के लिए किसी पक्षकार को बाध्य नहीं कर सकता है। प्राधिकारी से केवल यह सुनिश्चित करना अपेक्षित है कि क्या आवेदक का उत्पादन कानून के अंतर्गत घरेलू उद्योग की आवश्यकता को पूरा करता है। हालांकि, यह नोट किया जाता है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में यह दावा करते हुए पत्र प्रस्तुत किया है कि उन्हें भी मध्य पूर्व देशों से पाटित आयातों के कारण हानि हो रही है।

19. कुल घरेलू उत्पादन का निर्धारण आवेदकों द्वारा दिये गये ब्यौरे के आधार पर किया गया है। आवेदक का भारत में कुल घरेलू उत्पादन का 80 प्रतिशत से अधिक है। इसके अलावा, किसी भी अन्य उत्पादक ने वर्तमान जांच का समर्थन अथवा विरोध नहीं किया है। इस कारण से प्राधिकारी मानते हैं कि आवेदक पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अभिप्राय से घरेलू उद्योग हैं और यह आवेदन इस नियमावली के नियम 5(3) के मामले में आधार के मानदंड को पूरा करता है।

ङ. गोपनीयता

ङ. 1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोध

20. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीयता के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं :

क. घरेलू उद्योग ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है और वह संबद्ध देशों में उत्पादकता, निर्यात कीमत, आर एंड डी खर्च, उघाई गई निधियां, निवेश पर प्रतिफल, कथित क्षमता विस्तार और घरेलू उद्योग की लागतों का गोपनीय सार उपलब्ध नहीं करा पाया है।

ख. घरेलू उद्योग ने क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री के संबंध में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है।

ग. घरेलू उद्योग ने संरचित सामान्य मूल्य के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं कराई है।

घ. घरेलू उद्योग ने अन्य उत्पादकों द्वारा निर्माण की प्रक्रिया, उत्पादन की मात्रा और मूल्य तथा क्षतिरहित कीमत की गणना के संबंध में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है जो व्यापार सूचना संख्या 1/2013 और 10/2018 का उल्लंघन है।

ङ. खंड VI में निहित खरीद, बिक्री, लेखांकन, लागत लेखांकन और गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रिया से संबंधित नीतियों और सूचना को बिना किसी कारण के गोपनीय होने का दावा किया गया।

च. जांच की अवधि और क्षति की अवधि के लिए यूटिलिटी की खपत उत्पादन की लागत, कच्चा माल और पैकिंग सामग्री की खपत से संबंधित सूचना अनुक्रमित रूप में भी उपलब्ध नहीं कराया गया है।

छ. घरेलू उद्योग निश्चित रूप से संगत व्यापार सूचना के अंतर्गत अनुरोध की गई सूचना उपलब्ध कराने के लिए बाध्य होंगे जो प्राधिकारी द्वारा अपनाई जा रही एक कार्यपद्धति है।

ज. प्राधिकारी घरेलू उद्योग से गोपनीय सूचना का सार्थक सार का अनुरोध करने में असफल रहे हैं जिसने अनुच्छेद 6.5.1 का उल्लंघन किया है और सउदी अरब के साम्राज्य के बचाव करने के अधिकार को नुकसान पहुंचया है।

झ. न तो प्राधिकारी और न ही घरेलू उद्योग ने अब तक सभी हितबद्ध पक्षकारों को एक्सिल में लेनदेन-वार आयात आंकड़े उपलब्ध कराये हैं जो एक्सोटिक डेकोर प्रा. लिमि. और अन्य बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी में लिये गये निर्णय का उल्लंघन है।

ञ. भारतीय ग्राहकों की विशिष्टताओं और आपूर्ति चैन से संबंधित सूचना को गोपनीय होने का दावा किया गया था क्योंकि घरेलू उद्योग संभावित प्रतिस्पर्धी हैं जिसके प्रकटन के परिणामस्वरूप मित्सूबिशी कॉर्पोरेशन के व्यापार हेतु को नुकसान पहुंच सकता है जो इण्डोनेशिया और सिंगापुर से ''अनकोडिड कोपियर पेपर'' में लिये गये दृष्टिकोण के अनुरूप है। हालांकि, कॉर्पोरेशन के हित में मित्सूबिशी कॉर्पोरेशन अब यह कह रहा है कि यह भारत में असंबंधित अंतिम प्रयोक्ताओं को संबद्ध वस्तुओं की आपूर्ति करता है।

ट. चूंकि मित्सूबिशी कॉर्पोरेशन विशुद्ध रूप से एक ट्रेडिंग कंपनी है, अत: इसका ऑपरेटिंग मार्जिन व्यापार संवेदनशील और अत्यधिक गोपनीय सूचना है जिन्हें प्रतिस्पर्धी ट्रेडिंग कंपनियों से संरचित किये जाने की आवश्यकता है और इस कारण से एम ई जी की कार्यनिष्पादन बिक्री कीमत और लागत प्रकट नहीं किया गया है। हालांकि, इस प्रकार की सूचना प्राधिकारी के पास उपलब्ध है और इस प्रकार वह जांच को बाधित नहीं करता है और न ही हितबद्ध पक्षकारों के हित को हानि पहुंचाता है। व्यापार सूचना 10/2018 के अनुसार प्राधिकारी उसमें निहित दिशानिर्देशों से हटने की अनुमति दे सकते हैं।

ठ. व्यापार सूचना 10/2018 के अनुसार बिक्री और वितरण के चैनल को प्रकट करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

ड. आवेदकों ने इक्सोनमोबिल द्वारा सांझा न की गई सार्वजनिक रूप से उपलब्ध किसी सूचना के संबंध में रिकार्ड पर कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है।

ढ. नान या प्लास्टिक्स कॉर्पोरेशन ने पूरी सूचना प्रस्तुत की है। संबंधित पक्षकार के लेन-देन जैसी कुछ सूचना अगोपनीय रूपांतर में उपलब्ध नहीं कराई गई है क्योंकि वह प्रकृति से व्यापार संवेदनशील है।

ण. वूड मेकेंजि की रिपोर्ट सांझा नहीं की गई है यद्यपि व्यापार सूचना 1/2013 में इस बात का उल्लेख है कि सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध सूचना प्रकट की जानी चाहिए। चूंकि प्राधिकारी अर्द्ध-न्यायिक हैं अत: उन्हें नैसैर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अनुसरण करना आवश्यक है।

त. कच्चे माल और इनपुट्स की खरीद के संबंध में सूचना को प्रकट नहीं करने के दावे के बारे में यह अनुरोध किया जाता है कि इस प्रकार की सूचना सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है और इस प्रकार से उसे प्रकट नहीं किया जा सकता।

थ. घरेलू उद्योग इस दावे की पुष्टि नहीं कर पाये हैं कि सेबिक की कॉर्पोरेट संरचना से संबंधित सूचना सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध है।

ङ. 2. <u>घरेलू उद्योग द्वारा किये गये अनुरोध</u>

21. घरेलू उद्योग द्वारा गोपनीयता के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं :

क. उत्तर देने वाले कुछ उत्पादकों ने वितरण के अपने समग्र चैनल को गोपनीय के रूप में दावा किया है जिसने घरेलू उद्योग को मूल्य श्रृंखला के पूरा होने पर टिप्पणी करने से रोका है।

ख. मित्सूबिशी कॉर्पोरेशन ने अपने समग्र कार्यनिष्पादन संबंधी मानदंडों को गोपनीय के रूप में दावा किया है।

ग. बिक्री की मात्रा, बिक्री कीमतों आदि से संबंधित रुझानों के प्रकटन के फलस्वरूप मित्सूबिशी कॉर्पोरेशन की किसी गोपनीय व्यापार प्रोप्रराइटरी सूचना को प्रकट नहीं कर सकते हैं।

घ. उत्तर देने वाले सभी उत्पादकों ने इस तथ्य के संबंध में पूर्ण गोपनीयता का दावा किया है कि क्या कच्चे माल की खरीद की जाती है अथवा उसका कैप्टिव रूप से उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा, संबंधित पक्षकारों से कच्चे माल और यूटिलिटी की खरीद के संबंध में सूचना को भी गोपनीय के रूप में दावा किया गया है।

ङ. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के संदर्भ में दावा किये गये समायोजनों को भी गोपनीय होने का दावा किया गया है।

च. उत्तर देने वाले उत्पादकों ने (i) संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन और बिक्री में शामिल संबंधित कंपनियां, (ii) अपनी कंपनी अथवा होल्डिंग ग्रुप का स्वामित्व, (iii) वित्तीय और संविदागत संपर्क, (iv) उत्पादन किये गये उत्पादों की सूची और (v) लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणी, जहां इस प्रकार की सूचना सार्वजनिक रूप से उपलब्ध भी है, के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं कराई है।

छ. विदेशी उत्पादकों ने व्यापार सूचना 10/2018 का उल्लंघन करते हुए निर्माण की प्रक्रिया का राइट-अप तथा उपयोग किये गये कच्चे माल के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं कराई है।

ज. विदेशी उत्पादकों ने उत्पादन सुविधाओं, स्टार्ट-अप लागत के लिये समायोजन और बीजक बनाये जाने के बाद छूट, यदि कोई हो, के बारे में ब्यौरे के संबंध में पूर्ण गोपनीयता का दावा किया है।

झ. घरेलू उद्योग की क्षमता, बिक्री, मात्रा और मूल्य, उत्पादन तथा लागतों से संबंधित सूचना को प्रकट किये जाने से परस्पर प्रतिस्पर्धा, अन्य उत्पादकों के साथ प्रतिस्पर्धा और कीमतों का मोल भाव करने की अपनी क्षमता में घरेलू उत्पादकों पर प्रतिकूल रूप से प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा, जीसीसी – टीएसएआईपी अपने आप में इस तरह की सूचना को गोपनीय के रूप में मानता है।

ञ. चूंकि आर एंड डी खर्च तथा उघाई गई निधि की पहचान संबद्ध वस्तुओं के लिए पृथक रूप से नहीं की जा सकती थी, अत: उसे सार्वजनिक रूप से उपलब्ध वित्तीय विवरणी से लिया जा सकता है।

ट. चूंकि संरचित सामान्य मूल्य घरेलू उद्योग की परिवर्तन लागत के आधार पर है, उसके प्रकटन से घरेलू उद्योग के प्रतिस्पर्धी हितों को बहुत अधिक नुकसान होगा।

ठ. लेनदेन-वार संबंधित आयात आंकड़े व्यापार सूचना 7/2018 के अंतर्गत यथाअपेक्षित पी डी एफ प्रपत्र में दिया जाता है। इसके अलावा, एक्साटिक डिकोर बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी में सेस्टेट के आदेश जारी किये गये थे जब प्राधिकारी सीधे डी जी सी आई एंड एस से आंकड़े प्राप्त करने के लिए हितबद्ध पक्षकारों को अधिकृत नहीं किया।

ड. घरेलू उद्योग ने क्षतिरहित कीमत और रेंज में क्षति मार्जिन प्रकटन किया है।

ढ. चूंकि देश में केवल एक अन्य घरेलू उत्पादक है अत: उस उत्पादक के उत्पादन की मात्रा को प्रकट करने के फलस्वरूप अन्य उत्पादक का वास्तविक आंकड़ा प्रकट हो जायेगा। इस प्रकार कुल भारतीय उत्पादन का विधिवत प्रकटन किया गया है।

ण. खंड VI में निहित सूचना व्यापार प्रोप्रराइटरी सूचना है और उसे हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया जा सकता है।

ङ. 3. <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

22. सूचना की गोपनीयता के संबंध में पाटनरोधी नियमावली के नियम-7 में निम्नानुसार व्यवस्था है :

> "गोपनीय सूचना : (1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।
>
> (2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।
>
> (3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।"

23. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना की जांच, गोपनीय के दावों की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। प्राधिकारी ने संतुष्ट होकर, जहां कहीं भी आवश्यक था, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना की गोपनीयता पर विचार किया है और उसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया है। जहां कहीं भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध करायें। प्राधिकारी ने हितबद्ध

पक्षकारों को एक दूसरे को ई-मेल के माध्यम से अपने अनुरोधों के अगोपनीय पाठ को सांझा करने के लिए हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराया है।

24. हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग ने खंड VI में निहित क्षमता, उत्पादन, बिक्री, निवेश पर प्रतिफल, लागत और सूचना के संबंध में सूचना प्रकट नहीं की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस तरह की सूचना गोपनीय प्रकृति की है और घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई गोपनीयता को स्वीकार किया है।

25. अन्य उत्पादकों के उत्पादन की मात्रा और मूल्य के संबंध में सूचना के बारे में यह नोट किया जाता है कि आवेदकों को छोड़कर देश में एम ई जी का केवल एक अन्य उत्पादक है, ऐसे उत्पादक के उत्पादन की मात्रा के प्रकटन के फलस्वरूप ऐसे उत्पादक की वास्तविक सूचना का प्रकटन होगा जो उत्पादक के प्रतिस्पर्धी हित के लिए नुकसानदायक होगा। हालांकि, कुल घरेलू उत्पादन प्रकट नहीं किया गया।

26. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह भी दावा किया है कि घरेलू उद्योग अपने निर्माण की प्रक्रिया बताने में असफल रहा है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि उपयोग किये गये कच्चे माल के साथ निर्माण की प्रक्रिया का एक संक्षिप्त राइट-अप इस याचिका के अगोपनीय रूपांतर में दि□या गया है। हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दि□या है कि घरेलू उद्योग ने आर एंड डी खर्च तथा उघाई गई निधियों को प्रकट नहीं किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने यह स्पष्ट किया है कि इस प्रकार की सूचना वित्तीय विवरणी में विचाराधीन उत्पाद के लिए पृथक रूप से पहचान किये जाने लायक नहीं था। हितबद्ध पक्षकारों ने ऐसी सूचना को प्रकटन न कर उन्हें हुई क्षति को भी स्पष्ट नहीं किया है।

27. डी जी सी आई एंड एस के आंकड़ों के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह आंकड़ा भारत में निर्यात करने वाले देशों से आयातों की मात्रा और मूल्य के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के साथ साझा किया गया है। इसके अलावा, आवेदकों ने लेनदेन-वार आयात आंकड़े की पूरी सूची उपलब्ध कराई है। प्राधिकारी यह मानते हैं कि आयात आंकड़े साझा करने और उसे प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया का निर्धारण दिनांक 15 मार्च, 2018 की व्यापार सूचना 07/2018 में निर्धारित किया गया है और प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि अब अपनाई जा रही प्रक्रिया सभी हितबद्ध पक्षकारों और जांचों में एक समान और सतत् है और हितबद्ध पक्षकारों को अपने हितों की रक्षा करने के लिए समुचित अवसर प्रदान करता है।

28. संरचित सामान्य मूल्य के प्रकटन नहीं करने के संबंध में यह नोट किया जाता है कि जांच की शुरुआत की चरण में निर्धारित सामान्य मूल्य घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत के परिवर्तन पर आधारित थी। इस प्रकार की सूचना के प्रकटन का घरेलू उद्योग के प्रतिस्पर्धी हितों पर बहुत अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। किसी भी स्थिति में इस प्रकार के सामान्य मूल्य के आधार पर निर्धारित पाटन मार्जिन रेंज में दि□या गया है।

29. इस दावे के संबंध में की घरेलू उद्योग अगोपनीय अनुरोधों के साथ वुड मेकेंजी रिपोर्ट उपलब्ध कराने में असफल रहा है, यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि यह रिपोर्ट तीसरे पक्ष की सूचना है जिसे प्रकट करने का अधिकार इसके पास नहीं है। इस कारण से प्राधिकारी यह मानते हैं कि घरेलू उद्योग ने इस आधार पर अत्यधिक गोपनीयता का दावा नहीं किया है।

30. उत्तर देने वाले विदेशी उत्पादकों / निर्यातकों द्वारा दावा की गई अत्यधिक गोपनीयता के संबंध में घरेलू उद्योग के तर्कों के बारे में, यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने उत्तर देने वाले विदेशी

उत्पादकों / निर्यातकों के द्वारा किये गये गोपनीयता संबंधी दावे की जांच की है और संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां कहीं भी आवश्यक हुआ, गोपनीयता के दावे को स्वीकार किया है।

च. विविध मुद्दे

च. 1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोध

31. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किये गये हैं :

क. जांच की शुरुआत उपयुक्त नहीं थी क्योंकि घरेलू उद्योग से यह अपेक्षित था कि वह प्रथमदृष्ट्या मामले का समर्थन करने के लिए तर्कसंगत रूप से संबंधित आवश्यक साक्ष्य उपलब्ध कराये।

ख. जैसा कि गवाटेमाला – सीमेंट ।। में पैनल द्वारा फैसला दि□या गया था, जांच की शुरुआत तभी की जा सकती है कि उसे न्यायोचित ठहराने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हों, जो इस मामले में मौजूद नहीं था। पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने के लिए पर्याप्त सूचना का प्रकार उस प्रकार की सूचना है जिसे जांच की शुरुआत करने के लिए अवश्य ही उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इस प्रकार का दृष्टिकोण यूएस – स्टॉफवुड लंबर एंड मेक्सिको – स्टील पाइप एंड ट्यूब्स में पैनल द्वारा भी अपनाया गया था।

ग. घरेलू उद्योग ने बिना अतिरिक्त आधार जो इस प्रकार की जांच की शुरुआत को न्यायोचित ठहराता हो बिना उसी उत्पाद के संबंध में पूर्व की जांच को अपनी इच्छा से समाप्त करने का अनुरोध करने के बाद केवल चार महीने की जांच की शुरुआत का अनुरोध किया है। चूंकि उसी उत्पाद से संबंधित बार-बार जांचों का व्यापार को कम करने का प्रभाव पड़ता है और बाजार पहुंच की स्थिरता और पूर्वानुमान को प्रभावित करता है। प्राधिकारी को जांच की शुरुआत करने के पूर्व आर्थिक, वाणिज्यिक और नीतिगत समस्याओं पर भी विचार करना चाहिए।

घ. कुवैत के विरुद्ध बैक-टू-बैक जांचों की शुरुआत व्यापार को बर्बाद करता है।

ङ. घरेलू उद्योग द्वारा दायर की गई नयी याचिका पूर्व की जांच की समाप्ति के ठीक बाद उन्हें आयातों को लक्षित कर रहा है यद्यपि प्राधिकारी ने पूर्व की जांच में कोई पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध नहीं पाया।

च. भारत ने विशेष रूप केमिकल और पैट्रोकेमिकल उत्पादों के लिए सउदी अरब से आयातों के संबंध में 24 जांच शुरू की हैं जबकि जी सी सी ने भारतीय आयातों के विरुद्ध केवल 2 जांच शुरू की हैं। इससे सउदी अरब का निर्यात प्रभावित हुआ है और इसने प्राकृतिक तुलनात्मक लाभ को समाप्त कर दि□या है।

छ. भारत सउदी अरब से अधिकांश निर्यात करने का लक्ष्य रखता है क्योंकि इसने उतनी जांच शुरू की हैं जितनी डब्ल्यू टी ओ के सभी अन्य सदस्यों ने मिलाकर की हैं। पाटनरोधी तंत्र का उपयोग केवल आपवादि□क परिस्थितियों में किया जाना चाहिए और जब पाटनरोधी करार में निर्धारित शर्तों को पूरा किया जाता हो।

ज. सउदी अरब भारत के लिए चौथा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार और एक बड़ा उर्जा आपूर्तिकर्ता है। ईंधन को छोड़कर, भारत के पास सउदी अरब के साथ व्यापार आधिक्य है और भारत से सउदी अरब में निर्यात पिछले तीन वर्षों में बढ़ता आ रहा है।

झ. जांच और पूर्व वर्ष 2019-20 की अवधि में तीन समान महीने हैं। आंकड़ों के दो समान समुच्चयों की तुलना एक पक्षपात रहित तस्वीर पेश नहीं करता है और मेक्सिको - चावल पर पाटनरोधी शुल्क में अपीलीय निकाय के जांच परिणामों के अनुरूप है।

ञ. घरेलू उद्योग को जांच की अवधि तथा केलेंडर वर्ष 2017-2018 और 2019 की अवधि के लिए आंकड़े उपलब्ध कराने चाहिए थे जो एक वस्तुपरक आकलन प्रदान करेगा।

ट. निर्धारित जांच की अवधि उपयुक्त नहीं है क्योंकि यह कोविड-19 और उसके अनुसरण में लगाया गया लॉकडाउन के द्वारा प्रभावित हुआ है।

ठ. घरेलू उद्योग को जांच के किसी भी चरण में अनुरोध प्रस्तुत करने जैसा कि यह चाहता है कि अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। संघ के नाम पर विचार किये बिना, सदस्य एम ई जी के प्रयोक्ता और आयातक हैं और वे वर्तमान जांच में हितबद्ध पक्षकार हैं।

च. 2. <u>घरेलू उद्योग द्वारा किये गये अनुरोध</u>

32. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किये गये हैं :

क. पी टी ए यूजर्स एसोसिएशन को एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में नहीं माना जा सकता है क्योंकि इसने प्राधिकारी के समक्ष और न्यायालयों के समक्ष जांच में पी टी ए यूजर्स और न कि एम ई जी यूजर्स के एक संघ के रूप में भाग लिया है।

ख. पी टी ए यूजर्स एसोसिएशन ने घरेलू उद्योग द्वारा इसके दर्जे के संबंध में एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में व्यक्त की गई चिंताओं पर ध्यान नहीं दि□या है। इसका उपयोग केवल गलत तरीके से आधारहीन आपत्तियों को उठाने के लिए एक मंच के रूप में उपयोग किया जा रहा है।

ग. पी टी ए यूजर्स एसोसिएशन ने प्राधिकारी को पोलियस्टर टेक्सटाइल्स और अपेरल एसोसिएशन के रूप में अपने आप की पहचान कर प्राधिकारी को भ्रमित किया है क्योंकि एसोसिएशन का कोई भी सदस्य पोलिस्टर टेक्सटाइल्स अथवा अपेरल का प्रयोक्ता नहीं है बल्कि अप-स्ट्रीम उत्पाद का उत्पादक है। इसके अलावा, इस देश में प्रत्येक व्यक्ति पोलियस्टर टेक्सटाइल और अपेरल का एक प्रयोक्ता है लेकिन संघ का सदस्य नहीं है।

घ. पी टी ए यूजर्स एसोसिएशन का पोलियस्टर टेक्सटाइल और अपेरल एसोसिएशन के रूप में अपने आप की पहचान करना पी टी ए यूजर्स के एसोसिएशन के रूप में प्राधिकारी और उच्चतर न्यायालयों के समक्ष पूर्व में प्रस्तुत किये गये तथ्यों को गलत तरीके से दर्शाने के बराबर है।

ङ. एसोसिएशन के उपनियमों की जांच यह सिद्ध करने के लिए अवश्य की जानी चाहिए कि क्या इसे एम ई जी यूजर्स के हितों का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार प्राप्त है।

च. उत्तर देने वाले उत्पादकों / निर्यातकों को उत्तर की संपूर्णता स्थापित करने के लिए एक विस्तृत चेक लिस्ट अवश्य उपलब्ध करानी चाहिए और प्राधिकारी को उत्तर से परे किसी नई सूचना को जोड़े जाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए जो बहरीन और मिस्र से ग्लास फाइबर संबंधी जांच में मामला रहा है।

छ. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के दावे के विपरीत, प्राधिकारी ने अपने आप को स्वयं जांच की शुरुआत के चरण में इस याचिका में प्रस्तुत किये गये साक्ष्य की सटीकता और पर्याप्तता के बारे में अपने आप को संतुष्ट किया।

ज. जांच की शुरुआत में प्राधिकारी की प्रथमदृष्टया संतुष्ट ही अपेक्षित है जैसा कि राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन बनाम पाटनरोधी महानिदेशालय में राजस्थान उच्च न्यायालय और हुआवेई टेक्नोलॉजी कंपनी लिमि. बनाम निर्दि□ष्ट प्राधिकारी और ऑटोमोटिव टायर मेनिफेक्चर्स एसोसिएशन बनाम निर्दि□ष्ट प्राधिकारी ने न्यायाधिकरण द्वारा सही माना गया था।

झ. घरेलू उद्योग से केवल यह अपेक्षित है कि वह इसके पास तर्कसंगत रूप से उपलब्ध सूचना प्रदान करे जिसे यू एस – साफ्टवुड लंबर में डब्ल्यू टी ओ पैनल द्वारा दि□ये गये फैसले के अनुसार स्वयं याचिका में साझा किया गया था।

ञ. जांच की समाप्ति के बाद नई जांच की शुरुआत को किसी कानून के अंतर्गत निषिध नहीं किया गया है। इसके अलावा, जबकि भारत ने पहले ही 1919 और 2002 में प्रस्ताव किया

था कि बैक-टू-बैक जांच को हतोत्साहित किया जाना चाहिए लेकिन उसे सउदी अरब सहित डब्ल्यू टी ओ के सदस्यों द्वारा अस्वीकार किया गया था।

ट. हितबद्ध पक्षकारों के दावे के विपरीत, प्राधिकारी ने पूर्व की जांच में पाटन अथवा क्षति के संबंध में कोई निर्धारण नहीं किया और यह जांच स्वयं घरेलू उद्योग द्वारा वापस ली गई थी।

ठ. जबकि भारत ने सउदी अरब के विरुद्ध 24 जांच की शुरुआत की है, इसने केवल कुछ उत्पादों के विरुद्ध शुल्क लगाये हैं।

ड. सउदी अरब के विरुद्ध अनेक व्यापार उपचारात्मक जांचों की शुरुआत इन देशों के बीच अत्यधिक व्यापार और भारतीय बाजार की कीमत संवेदनशीलता के कारण हुई है, जिसके कारण अनुचित व्यापार कार्यपद्धतियों की अत्यधिक संभावना बन जाती है।

ढ. भारत को सउदी अरब से निर्यात भारत से सउदी अरब के निर्यात का लगभग 4 गुणा है और इस कारण से भारत को ईंधन, उर्वरक, प्लास्टिक, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल्स में व्यापार घाटा हुआ है।

ण. घरेलू उद्योग ने वर्तमान जांच की शुरुआत के कारण कोई बड़ा लाभ जैसा कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दावा किया गया है, नहीं कमाया है क्योंकि यह अभी भी संबद्ध वस्तुओं के पाटन के कारण बहुत कम दर पर प्रतिफल अर्जित कर रहा है।

त. जांच की अवधि और वर्तमान जांच में क्षति की अवधि व्यापार सूचना सं. 2/2021 और 2/2004 के अनुरूप है, जो क्षति की अवधि के बीच कोई अंतर सुनिश्चित नहीं करने के लिए जांच की अवधि और पूर्व वर्षों के बीच ओवरलेप की अनुमति देता है। इसके अलावा, यह प्रावधान किया गया है कि क्षति की अवधि में पिछले तीन वित्तीय वर्ष अवश्य होने चाहिए।

थ. जबकि संबद्ध देशों की सरकारों ने क्षति की अवधि के तीन महीनों की ओवरलेपिंग अवधि के संबंध में आपत्तियां उठाई हैं और क्षति की अवधि के रूप में समान अवधि पर विचार करना, भारत से टाइल के संबंध में अपनी जांच में जीसीसी - टीएसएआईपी ने समान दृष्टिकोण नहीं अपनाया है।

द. मेक्सिको – बीफ और राइस में डब्ल्यू टी ओ अपीलीय निकाय की टिप्पणियां वर्तमान मामले में लागू नहीं हैं क्योंकि जांच की अवधि का निर्धारण बिलकुल हाल की समयाविधि पर किया गया है और कोई भी अवधि क्षति के विश्लेषण से चयनित रूप से नहीं हटाया गया है।

ध. जबकि घरेलू उद्योग ने जांच की शुरुआत के पूर्व की विशेष बाजार की स्थिति के संबंध में तर्क दि□ये हैं, किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने ऐसे दावे का खंडन करने के लिए कोई तथ्यात्मक अनुरोध प्रस्तुत नहीं किया।

च. 3. <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

33. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने जांच की शुरुआत की उपयुक्तता पर प्रश्न उठाया है और यह तर्क दि□या है कि घरेलू उद्योग को प्रथमदृष्ट्या मामले का समर्थन करने के लिए संगत साक्ष्य उपलब्ध कराना चाहिए था।

34. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस जांच की शुरुआत उचित साक्ष्य के आधार पर की गई थी आगे यह नोट किया जाता है कि शुल्क लगाये जाने अथवा नहीं लगाये जाने के संबंध में निर्धारण उस सूचना के आधार पर है जो जांच की प्रक्रिया के दौरान आती है। इस करार के अनुच्छेद 5.2 में यह प्रावधान है कि पाटनरोधी जांच की शुरुआत के लिए आवेदन में सूचना अवश्य होनी चाहिए जो आवेदक को तर्कसंगत रूप से उपलब्ध है। इसके अलावा, जांच की शुरुआत के समय, प्राधिकारी से केवल यह अपेक्षित है कि वे पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे मेंअपने आप को साक्ष्य से प्रथमदृष्ट्या संतुष्ट करें। ग्वाटेमाला – सीमेंट-।। में डब्ल्यू टी ओ के पैनल की टिप्पणियों की व्याख्या करते समय राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स ऐसासिएशन बनाम पाटनरोधी

महानिदेशालय[2002 (149) ई. एल. टी. 45 (राज.)] के मामले में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने निम्नानुसार सही ठहराया था।

> *''37. ... साक्ष्य की सटीकता और पर्याप्तता को देखने वाले पैनल ने यह टिप्पणी की कि यदि आवेदन में आपूर्ति की गई सूचना वे सभी हैं जो आवेदक को अनुच्छेद 5.2 द्वारा यथाअपेक्षित तर्कसंगत रूप से उपलब्ध है, जांच करने वाले प्राधिकारी इस जांच की शुरुआत करने में न्यायोचित हैं। जांच की शुरुआत के औचित्य के चरण में, निर्दिष्ट प्राधिकारी से यह अपेक्षित नहीं है कि वे विस्तृत जांच करें लेकिन उन्हें प्रथमदृष्ट्या इस तथ्य को संतुष्ट करना है कि क्या इस आवेदन का समर्थन पाटन, क्षति तथा पाटित आयात और कथित क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के संबंध में साक्ष्य द्वारा किया गया है।''*

35. माननीय सेस्टेट ने भी ऑटोमोटिव टायर मेनिफेक्चर्स एसोसिएशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी में यह दृष्टिकोण अपनाया है कि जांच की शुरुआत के उद्देश्य से अपेक्षित साक्ष्य की प्रकृति उसी गुणवत्ता और मात्रा की नहीं हो सकती है जो शुल्क को अंतिम रूप से लगाये जाने के लिए अपेक्षित है। वर्तमान मामले में, आवेदकों ने सूचना और साक्ष्य प्रस्तुत किया जो तर्कसंगत रूप से उन्हें उपलब्ध था। इसके समक्ष रखे गये प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य से संतुष्ट होने के बाद, प्राधिकारी ने जांच की शुरुआत की।

36. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने भी पूर्व में शुरू की गई जांच के समाप्त होने के शीघ्र बाद वर्तमान जांच की शुरुआत के बारे में चिंताएं व्यक्त की हैं। यह नोट किया जाता है कि डब्ल्यू टी ओ पाटनरोधी करार अथवा पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत, जांच की समाप्ति और उसी उत्पाद के विरुद्ध जांच की तदनंतर शुरुआत के बीच समय के अंतराल के संबंध में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। इसके अलावा, पाटन, क्षति अथवा कारणात्मक संबंध के बारे में कोई जांच परिणाम प्राधिकारी द्वारा पूर्व की जांच में नहीं किया गया था और उसे घरेलू उद्योग के अनुरोध पर याचिका को वापस लेने के कारण समाप्त कर दिया गया था।

37. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि जबकि हितबद्ध पक्षकारों ने यह दावा किया है कि इस प्रकार के जांच का व्यापार कम करने संबंधी प्रभाव है और हाल की जांच की समाप्ति के बाद जांच की शुरुआत घरेलू उद्योग को अनुचित लाभ प्रदान करती है, प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि डब्ल्यू टी ओ के सदस्यगण को पाटन जब और जैसे ही यह होता हो के कारण उद्योग को हुई क्षति का उपचार करने के लिए पाटनरोधी जांच आयोजित करने की अनुमति दी जाती है। डब्ल्यू टी ओर पाटनरोधी करार के क्षेत्राधिकार में की गई पाटनरोधी जांचों को डब्ल्यू टी ओ करारों के अंतर्गत दी गई किसी रियायतों का उल्लंघन करने के रूप में नहीं माना जा सकता है। पाटनरोधी जांच और तदनंतर शुल्कों का उद्देश्य व्यापार को प्रतिबंधित करना अथवा उसमें बाधा उत्पन्न करना नहीं है। पाटनरोधी शुल्कों को लगाये जाने से केवल यह सुनिश्चित होगा कि कोई अनुचित लाभ घरेलू उद्योग को हुई क्षति का निवारण करते समय पाटन की कार्यपद्धतियों के द्वारा प्राप्त नहीं किया गया है और वह बाजार में उचित कीमत पर बेचे जाने वाली वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा।

38. जांच की अवधि और क्षति की अवधि से संबंधित मुद्दों के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि इस नियमावली के नियम 5 (3क) में यह प्रावधान है कि जांच की अवधि जांच की शुरुआत के चरण में छ: महीने से अधिक नहीं होगी। इसके अलावा, दिनांक 12 मई, 2004 की व्यापार सूचना संख्या 2/2004 के अनुसार, क्षति की अवधि में जांच की अवधि और पिछले तीन वित्तीय वर्षों की अवधि अवश्य होनी चाहिए जो ऐसी अवधि के दौरान किसी अंतरों के बचने के उद्देश्य से ओवरलेप कर सकता है। जांच की अवधि और वर्तमान जांच में क्षति की अवधि पाटनरोधी नियमावली और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी की गई व्यापार सूचनाओं की आवश्यकताओं को पूरा करता हो।

39. इस तर्क के संबंध में की घरेलू उद्योग ने बाजार की विशेष स्थिति के मुद्दे को बहुत देर से उठाया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि सउदी अरब और कुवैत में प्रचलित बाजार की विशेष स्थिति के संबंध में मुद्दा घरेलू उद्योग द्वारा अपने आवेदन में उठाया गया था और इस मुद्दे को जांच की शुरुआत संबंधी सूचना में ही विधिवत नोट कर लिया गया था। तदनुसार, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये ये अनुरोध की बाजार की विशेष स्थिति का मुद्दा बहुत देर से उठाया गया था, को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

40. घरेलू उद्योग ने वर्तमान जांच में एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में पी टी एक यूजर्स एसोसिएशन द्वारा भागीदारी के संबंध में चिंताएं व्यक्त की हैं। यह दावा किया गया है कि इस प्रकार का एसोसिएशन एक हितबद्ध पक्षकार नहीं हो सकता है क्योंकि यह पी टी ए यूजर्स और न कि एम ई जी यूजर्स का एक संघ है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस एसोसिएशन के सदस्य केवल एम ई जी के यूजर्स हैं और इस कारण से पी टी ए यूजर्स ऐसोसिएशन का इस जांच में एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में भाग लेने का कोई कानूनी आधार नहीं है।

छ. <u>सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण</u>

छ. 1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोध

41. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के निर्धारण के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं :

क. पिछले जांच जिसे घरेलू उद्योग द्वारा आवेदन के वापिस लिये जाने के कारण समाप्त कर दिया गया था कि तुलना में बाजार की विशिष्ट स्थिति के संबंध में आरोपों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

ख. घरेलू उद्योग ने अनुच्छेद 2.2 के अंतर्गत सांविधिक अपवादों को न्यायोचित ठहराये बिना उत्पादन की लागत का उपयोग करते हुए सामान्य मूल्य संरचित किया है।

ग. घरेलू उद्योग ने सउदी अरब में प्रचलित घरेलू कीमतें प्राप्त करने के लिए किये गये प्रयासों का साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है। सूचना तक सीमित पहुंच अनुच्छेद 2.2 के अंतर्गत सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए संबद्ध देश में घरेलू कीमतों पर विचार नहीं करने के वास्ते आधार नहीं हो सकता है।

घ. घरेलू उद्योग ने कुवैत के लिए सामान्य मूल्य संरचित करने के वास्ते एम ई जी के भारतीय उत्पादकों की लागत संरचना का उपयोग किया जो सीमा टैरिफ अधिनियम की धारा 9क(1)(ग)(ii)(ख) की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है क्योंकि भारत और कुवैत में लागतें अलग अलग हैं।

ङ. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किया गया सामान्य मूल्य कुवैत में उत्पादन की वास्तविक लागत की तुलना में 80 प्रतिशत से 224 प्रतिशत तक अधिक है।

च. घरेलू उद्योग ने एम ई जी के संबंध में बाजार की विशिष्ट स्थिति की मौजूदगी को दर्शाने के लिए साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है और केवल यह आरोप लगाया है कि फीड स्टॉक में सरकार का हस्तक्षेप के फलस्वरूप सउदी अरब और कुवैत में एम ई जी के लिए बाजार की विशिष्ट स्थिति उत्पन्न होती है।

छ. यह निष्कर्ष निकालने का कोई आधार नहीं है कि राज्य का स्वामित्व अथवा स्वचालित रूप से नियंत्रण का आशय कीमतों पर सरकार के किसी नियंत्रण के अभाव में पाटनरोधी करार के भीतर ''बाजार की विशिष्ट स्थिति'' से है।

ज. अलग अलग अधिकार क्षेत्रों जैसे कनाडा, यूरोपीय यूनियन, यू के और आस्ट्रेलिया की कार्यपद्धतियां तथा भारत में कार्यपद्धति इस बात की पुष्टि करती है कि सरकारी नियंत्रण के फलस्वरूप वास्तव में बाजार की विशिष्ट स्थिति उत्पन्न नहीं होती है।

झ. आवेदकों के अनुरोधों के विपरीत, विनियम (ई यू) 2016/1036 का अनुच्छेद 6(क)(ख) बहुत अधिक विरूपणों के मामले में कीमतों अथवा लागतों की उपेक्षा करने के लिए आयोग के अधिकार का संदर्भ लेता है जो बाजार की विशेष स्थिति के कारण घरेलू बाजार की बिक्री की उपेक्षा करने से अलग है।

ञ. जबकि घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि इक्वेट और टी के ओ सी सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियां हैं, उनका अधिकांश स्वामित्व निजी निवेशकों द्वारा किया जाता है।

ट. आवेदकों के इन अनुरोधों के विपरीत, के पी सी का सी ई ओ एक पेशेवर कार्यपालक और न कि तेल मंत्री है। जबकि पी आई सी इक्वेट और टी के ओ सीका आंशिक मालिक है, के पी सी के पास ये प्रतिष्ठान नहीं हैं।

ठ. चूंकि कुवैत में कोई प्रतिनिधिक घरेलू बिक्री नहीं है अत: विशेष बाजार की स्थिति का आरोप लगाना संगत नहीं है।

ड. यू एस के वाणिज्य विभाग ने कोरिया गणराज्य से कुछ कोल्ड रोल्ड और क्रोजन रेसिटेंट कार्बन स्टील फ्लेट उत्पादों और कनाडा से कुछ डूरम वीट एंड हार्ड रेड स्प्रिंग के संबंध में जांचों में कीमतों पर सरकारी नियंत्रण के होने के आधार पर विशेष बाजार की स्थिति के आरोपों को अस्वीकार किया है।

ढ. बाजार की विशिष्ट स्थिति सहित अनुच्छेद 2.2 में उल्लिखित तीन स्थितियां ''समान उत्पाद'' अथवा विचाराधीन उत्पाद के संदर्भ में ही है और न कि इनपुट लागत अथवा कच्चे माल की लागत के संदर्भ में है।

ण. जबकि कनाड़ा, यू एस ए और ई यू ने भारतीय बाजार की स्थिति के क्षेत्राधिकार में कच्चे माल के विरूपणों को शामिल करने के लिए अपने कानून में संशोधन किया अत: ऐसा कोई भी संशोधन भारतीय कानून में नहीं किया गया है।

त. पोलीप्रोपीलीन के मामले में प्राधिकारी की जांच परिणाम पर निर्भरता उपयुक्त नहीं है अत: ऐसे जांच परिणाम अपीलीय निकाय द्वारा हाल की व्याख्या को निर्धारित करते हैं।

थ. फीडस्टॉक की विनियमित कीमत निर्धारण डब्ल्यू टी ओ निमयावली के अनुरूप है। आरोहण नवाचार में इस प्रकार की विनियमित कीमत निर्धारण के संबंध में अतिरिक्त किसी टिप्पणियों के अभाव में, जैसा कि चीन के मामले में हुआ है, फीडस्टॉक की कीमतें डब्ल्यू टी ओ के सदस्य द्वारा अस्वीकृत नहीं की जा सकती हैं।

द. विनियमित कीमत निर्धारण का अभिप्राय विरूपित कीमत निर्धारण नहीं होता है क्योंकि जिन कीमतों पर फीडस्टॉक की आपूर्ति की जाती है वाणिज्यिक रूप से आधारित हैं और उत्पादन की लागत और तर्कसंगत लाभ की पूरी वसूली सुनिश्चित करता है। भारत सरकार अनेक उत्पादों में भी कीमत विनियम बनाये रखती है।

ध. फीडस्टॉक गैर भेदभावपूर्ण आधार पर सउदी अरब में सभी प्रयोक्ताओं के लिए उपलब्ध है।

न. व्यापार नीति की समीक्षा यह दर्शाती है कि प्राकृतिक गैस और ईथेन के लिए कीमत विनियम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लाइसेंसी इस साम्राज्य में प्राकृतिक गैस संसाधनों का विकास एवं दोहन के लिए उपयुक्त वाणिज्यिक दर का प्रतिफल प्राप्त करे।

प. एन जी एल के घरेलू कीमत निर्धारण वाणिज्यिक रूप से आधारित है। मंत्रिपरिषद् विनियम यह सुनिश्चित करने के लिए एक विस्तृत फार्मूला निर्धारित करता है कि एन जी एल की कीमतें लागत आधारित और अन्य वाणिज्यिक दृष्टिकोणों से समायोजित अंतर्राष्ट्रीय बाजार कीमतों पर आधारित हो।

फ. बिक्री, बिक्री पश्चात कीमत समायोजन, छूट आदि के मामले में अंतरों के कारण वास्तविक कीमतों और प्रकाशित कीमतों के बीच अंतर है।

ब. फीडस्टॉक कीमतें तेल की प्रचुरता और उत्पादन / आपूर्ति चैन कार्यक्षमताओं के क्षेत्रीय लाभ के कारण मध्य पूर्व और यू एस में कमतर हैं।

भ. आवेदकों के इस अनुरोध के संबंध में की उपभोक्ता बिना दीर्घआवधिक खरीद नीतियों के न्यूनतम कीमतों पर खरीद कर रहे हैं, यह अनुरोध किया जाता है कि उपभोक्ताओं के वाणिज्य निर्णयों का समाधान प्राधिकारी द्वारा नहीं किया जा सकता है।

म. चूंकि देश के उत्पादक ईथेन से और न कि नेप्था से इथीलीन का उत्पादन करते हैं, उत्पादन की उनकी लागत कमतर है।

य. सउदी अरब में क्रेकर संयंत्र डाउनस्ट्रीम उत्पादों का उत्पादन करने वाले संयंत्र के बहुत करीब स्थित है जिसके फलस्वरूप उत्पादन की लागतों में समग्र कार्यक्षमता है। भारत में तुलना करने पर आर आई एल ईथेन का आयात करने के लिए बाध्य है जिसमें बहुत अधिक लागत लगती है।

कक. यू एस ए में (260 यू एस डॉलर प्रति मी. ट.) और सउदी अरब में (200 यू एस डॉलर प्रति मी. ट.) इथीलीन की लागत भारत में उसकी कीमत (500 यू एस डॉलर प्रति मी. ट.) से बहुत कम है। यह अंतर प्राकृतिक लाभों के कारण हुआ है।

खख. चूंकि घरेलू स्तर पर बेचे गये और निर्यात किये गये एम ई जी के उत्पादन के लिए उपयोग किये गये फीडस्टॉक की कीमत सदृश्य है अत: अनुच्छेद 2.2 के अर्थ से बाजार की विशेष स्थिति नहीं हो सकती है।

गग. सउदी अरब में बाजार की विशेष स्थिति के नहीं होने की पुष्टि सउदी अरब के विरुद्ध 20 से अधिक पाटनरोधी जांचों अर्थात पाकिस्तान, सउदी अरब और यू ए ई से स्पष्ट फ्लोट ग्लास, सामान्य बूटानॉल अथवा एनबूटाइल एल्कोहल और सउदी अरब से पेंटाइरिथ्रीटोल आदि में डी जी टी आर के अंतिम जांच परिणामों की गई है।

घघ. सउदी आरामको ने गैर भेदभावपूर्ण आधार पर और बिना किसी प्रभाव वाली कीमतों पर और उन कीमतों पर जिन पर सउदी आरामको ने असंबंधित कंपनियों आपूर्ति की है, ईथेन की बिक्री पैट्रो राबिघ को की है।

ङङ. सेबिक और सउदी आरामको के बीच आपूर्ति करार तब किये गये थे जब दोनों कंपनियां एक दूसरे से संबंधित नहीं थी। इस प्रकार की कीमतों में इस अधिग्रहण के अनुसरण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

चच. सरकार द्वारा निर्धारित इनपुट्स की कीमत सरकार के साथ किसी संबंध अथवा एम ई जी के उत्पादक और इनपुट आपूर्तिकर्ता के बीच कोई संबंध पर विचार किये बिना बाजार की सभी कंपनियों के लिए लागू हैं।

छछ. यह सिद्ध करने की जिम्मेदारी कि संबद्ध पक्षकारों से प्राप्त इनपुट्स की कीमत बिना किसी प्रभाव वाली कीमत पर नहीं हुई है घरेलू उद्योग पर होती है।

जज. यदि प्राधिकारी इनपुट की कीमत के विरूपणों के लिए सामान्य मूल्य को समायोजित करना चाहता है तब वही समायोजन निर्यात कीमत के लिए अवश्य की जानी चाहिए क्योंकि इनपुट की कीमत बाजार पर विचार किये बिना वही है।

झझ. घरेलू उद्योग ने कुवैत में बाजार की विशेष स्थिति के मौजूद होने के संबंध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई है।

ञञ. एक एकीकृत जी सी सी फीडस्टॉक बाजार नहीं है और विभिन्न जी सी सी राज्यों में अलग अलग फीडस्टॉक उत्पादक अपने उत्पादों का कीमत निर्धारण अलग अलग तरीके से करते हैं। कुवैत की व्यापार नीति समीक्षा ने यह सिद्ध किया है कि ''कुछ अपवादों के साथ, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें मुक्त रूप से बाजार द्वारा निर्धारित की जाती हैं''। ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि कुवैत में उत्पादकों के उत्पादन की लागत घरेलू अथवा निर्यात बाजार में निरूपित किया गया है।

टट. सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचना इस बात की पुष्टि करती है कि फीडस्टॉक की कीमतें बिना किसी प्रभाव वाली कीमतें हैं।

ठठ. यदि आवेदक कथित विरूपण के बारे में चिंतित हैं तब सब्सिडी और प्रतिसंतुलनकारी शुल्क संबंधी करार के अंतर्गत निदान उपलब्ध कराया जाता है।

डड. प्राधिकारी ने विगत में निरंतर रूप से सब्सिडीरोधी जांच के माध्यम से उचित से कम पारिश्रमिक पर कच्चे माल की उपलब्धता के मुद्दे की जांच करने का निर्णय लिया है।

ढढ. बाजार की विशिष्ट स्थिति की केवल मौजूदगी अपरिणामी नहीं है। यदि यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है कि वह ई सी – सूती यार्न, ऑस्ट्रेलिया – ए4 कॉपी पेपर और यूरोपीय यूनियन – ट्यूब अथवा पाइप में पैनल द्वारा माने गये अनुसार निर्यात कीमत के साथ घरेलू बिक्री की उचित तुलना को प्रभावित करता है।

णण. बाजार की विशिष्ट स्थिति की मौजूदगी स्थापित करने तथा यह कि यह निर्यात कीमत के साथ घरेलू कीमत की उचित तुलना की अनुमति नहीं देता है की जिम्मेदारी इसका दावा करने वाले पक्षकार की है।

तत. सउदी अरब के रिकार्डों के अनुसार इनपुट्स की लागत और उत्पादन की लागत घरेलू और निर्यात किये गये दोनों उत्पाद के लिए समान है। उत्पादक निर्यात कीमत की तुलना में घरेलू बाजार में छूट पर बिक्री नहीं करते हैं।

थथ. घरेलू उद्योग ने अपने दावे की पुष्टि करने के लिए कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है कि सउदी अरब और कुवैत में संबद्ध वस्तुओं का कोई आयात नहीं हुआ है।

ददं. घरेलू उद्योग इस तथ्य को स्पष्ट करने में असफल रहा है कि किस प्रकार से सउदी अरब और कुवैत में घरेलू बाजार एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे।

धध. सउदी अरब में आयातों की पहुंच कीमत से ईथेन की घरेलू कीमत की तुलना आस्ट्रेलिया – ए-4 कॉपी पेपर में पैनल की टिप्पणी के विपरीत है जो लागत के साथ घरेलू कीमत और न कि लागत के साथ निर्यात कीमत की तुलना का संदर्भ दिया। इसके अलावा लागत का संदर्भ उत्पादन की लागत और न कि केवल कच्चे माल की लागत जैसे ईथेन से है।

नन. केवल संबद्धता इनपुट लागतों को अस्वीकार करने के लिए आधार नहीं है, यहां तक यह तर्कसंगत तरीके से उद्गम के देश में संबंधित उत्पाद की बिक्री और उत्पादन की लागत को दर्शाता है। पैट्रो राबिघ इस उत्तर में संबंधित पक्षकारों से ईथेन की खरीद दर्शाने के लिए सूचना दी है।

पप. यूक्रेन – एमोनियम नाइट्रेट मामले में डब्ल्यू टी ओ के अपीलीय निकाय ने यह माना कि कुछ बिना प्रभाव वाले कीमतों पर विचार अनुच्छेद 2.2.1.1 के एक अपवाद के रूप में नहीं किया जा सकता है।

फफ. बाजार की विशेष स्थिति की मौजूदगी के कारण अंतर्राष्ट्रीय कीमत की तुलना में कमतर इनपुट कीमत के फलस्वरूप इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता है कि उत्पादक का रिकार्ड अनुच्छेद 2.2.1.1 के अनुसार संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत और यूक्रेन – अमोनियम नाइट्रेट, ई यू – बॉयोडीजल और ई यू – लागत समायोजन में अपीलीय निकाय द्वारा उसकी व्याख्या के अनुसार तर्कसंगत रूप से नहीं दर्शाता है।

बब. घरेलू उद्योग के दावे के विपरीत, ''सामान्य रूप से''शब्द का उपयोग यह दर्शाने के लिए अनुच्छेद 2.2.1.1 में 'करेगा' के साथ किया गया है कि जबकि अपवाद मौजूद हो सकते हैं, उत्पादक का रिकार्ड उस स्थिति में उत्पादन की लागत संरचित करते समय अवश्य विश्वास किया जाना चाहिए यदि दो स्पष्ट शर्तें पूरी होती हों।

भभ. यदि प्राधिकारी यह मान भी लेते हैं कि बाजार की विशिष्ट स्थिति मौजूद है तब सामान्य मूल्य का निर्धारण सीमा टैरिफ अधिनियम में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार केवल तीसरे देश की बिक्री कीमत और / अथवा उत्पादन की लागत के आधार पर की जा सकती है। उत्पादक के उत्पादन की वास्तविक लागत पर विचार इस संबंध में किया जाना चाहिए।

मम. यूक्रेन – अमोनियम नाइट्रेट और यूरोपीय यूनियन – समायोजन पद्धतियों पर निर्भरता उपयुक्त नहीं है क्योंकि इनका संबंध इनपुट की लागतों के निर्धारण से है जैसे ही यह

सुनिश्चित कर लिया जाता है कि एम ई जी की बाजार कीमतों का उपयोग सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए नहीं किया जा सकता है।

यय. अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रचलित ईथीलीन की असमायोजित कीमतों के आधार पर उत्पादन की संरचित लागत सउदी अरब में उत्पादन की वास्तविक लागत को नहीं दर्शाता है और यह यूरोपीय यूनियन – बॉयोडीजल और यूक्रेन – अमोनियम नाइट्रेट में अपीलीय निकाय की व्याख्या के अनुसार अनुच्छेद 2.2 का उल्लंघन है।

ककक. घरेलू उद्योग ने संबद्ध देशों में उत्पादन की वास्तविक लागत दर्शाने के लिए सामान्य मूल्य की संरचना के वास्ते उपयोग किये गये ईथीलीन की कीमत का समायोजन करने का कोई प्रयास नहीं किया है।

खखख. जी सी सी क्षेत्र में प्रचलित ईथीलीन की लागत और भार कीमतों का उपयोग सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए नहीं किया जा सकता है क्योंकि सामान्य मूल्य देश विशिष्ट है और समग्र क्षेत्र में सामान्य कीमत प्रचलित है जिसमें गैर संबद्ध देश शामिल हैं, का उपयोग नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, इस प्रकार की कीमत में दक्षिण-पूर्व एशिया को भाड़े की लागत शामिल है जो सउदी अरब और कुवैत में उत्पादकों द्वारा वहन नहीं किया जाता है।

गगग. सामान्य मूल्य का निर्धारण पत्रिका में प्रकाशित कीमतों के आधार पर नहीं किया जा सकता है जो अनुमानों और पूर्वानुमानों पर आधारित हैं।

घघघ. घरेलू उद्योग का ईथीलीन की लागत की गणना करते समय ब्याज और ह्रास लागत को शामिल करने के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि वह कानून के अंतर्गत अनुमत्य नहीं है।

ङङङ. सउदी अरब से एम ई जी के आयातों के संबंध में इस जांच में यूरोपीय कमीशन ने अपने जांच परिणामों में सउदी अरब से निर्यातकों द्वारा रिपोर्ट की गई समग्र लागत को स्वीकार किया है।

चचच. बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्च से संबंधित लागतों का निर्धारण इन उत्पादकों द्वारा रखे गये रिकार्डों के आधार पर अवश्य किया जाना चाहिए यदि प्राधिकारी यह निर्धारित नहीं करता हो कि अनुच्छेछ 2.2.2 के अनुसार व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में कोई बिक्री नहीं हुई है।

छछछ. याचिकाकर्ताओं ने सामान्य मूल्य को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने के उद्देश्य से ही सीमा शुल्क, बीमा और बंदरगाह खर्च को जोड़ा है।

जजज. चूंकि आर आई एल ने पूर्व में कुवैत से संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है अत: उसे यह पता होना चाहिए था कि कोई अंतर्देशीय भाड़ा, कमीशन अथवा पोर्ट खर्च का वहन कुवैत में उत्पादकों द्वारा नहीं किया जाता है।

झझझ. आवेदकों के अनुरोधों के विपरीत, कुवैत से वितरण का चैनल पूरा है और सभी संगत कंपनियों ने वर्तमान जांच में भाग लिया है।

ञञञ. एमईग्लोबल अमेरिकाज इंक. के कुवैत से निर्यात संबंधित मूल्य चैन में कोई भूमिका नहीं है और इस कारण से इसकी गैर-भागीदारी का निर्यातकों के उत्तरों और भागीदारी पर कोई प्रभाव नहीं है। अलग अलग शुल्क दरों से लाभ उठाने के उद्देश्य से, एमईग्लोबल अमेरिकाज इंक. को सबसे पहले कुवैत को वस्तुओं को जहाज के माध्यम से भेजना और अतिरिक्त लागतें उठानी होती जो किसी अवधारित लाभ के उद्देश्य को विफल करेगा और इसके साथ ही कुवैत के मूल का जाली प्रमाण पत्र प्राप्त करने के कठिन कार्य को करना पड़ेगा।

टटट. मित्सुबिशी इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन की गैर भागीदारी संगत नहीं है। प्राधिकारी द्वारा इसके असंबंधित निर्यातक के साथ प्रश्नावली प्रस्तुत करने के संबंध में जारी किये गये

दिशानिर्देश व्यावहारिक नहीं हैं क्योंकि उत्पादक के पास इसके असंबंधित निर्यातकों पर कोई नियंत्रण नहीं है।

ठठठ. विगत जांचों में, प्राधिकारी ने उस कीमत के आधार पर निवल निर्यात कीमत का निर्धारण किया है जिस पर उत्पादक ने निर्यातक को बिक्री की है और न कि वह कीमत जिस पर निर्यातक ने भारत को बाद में बिक्री की है।

डडड. मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन वस्तुओं का अंतिम निर्यातक है और इसने भाग लिया है तथा भारत को अपनी निर्यात बिक्री का ब्यौरा सूचित किया है। इस कारण से, प्राधिकारी ने पहुंच मूल्य की गणना के लिए तथा अलग अलग पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन की गणना के लिए इसके पास उपलब्ध सभी सूचनाएं हैं।

ढढढ. मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन के उत्तर के अनुसार, एम आई सी ने केवल उसके एक एजेंट के रूप में कार्य किया है।

णणण. निर्यात कीमत और सामान्य मूल्य को एमआईसी यूएसए की भागीदारी के बिना स्थापित किया जा सकता है क्योंकि एमआईसी यूएसए एमईजी का एक व्यापारी है और एमईजी का गुप्त रूप से निर्माण अथवा उत्पादन नहीं करता। एम सी जांच की अवधि के दौरान एमआईसी यूएसए से सीमित मात्रा में एम ई जी खेप की खरीद की थी जिसे बाद में एमआईसी यूएसए द्वारा नान या प्लास्टिक से खरीदा गया था। एमआईसी से खरीद बहुत सीमित मात्रा में हुई थी और यह भारत में बहुत अधिक आयात नहीं है।

ततत. यदि प्राधिकारी का यह मत है कि एम आई सी का आंकड़ा आवश्यक है, एम सी उसे प्रस्तुत करने के लिए इच्छुक है।

थथथ. पैट्रो राबिघ ने तीसरे देशों को अपना निर्यात उपलब्ध नहीं कराया है क्योंकि सामान्य मूल्य का निर्धारण संबद्ध पक्षकारों के समूह की घरेलू बिक्री के आधार पर किया जायेगा।

ददद. पैट्रो राबिघ ने वर्तमान जांच में भाग लिया है क्योंकि यह सेबिक से संबंधित है जिसने भारत को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। पैट्रो राबिघ नई शिपर समीक्षा आवेदन प्रस्तुत करने का विकल्प नहीं अपना सकता है यदि यह भविष्य में भारत को इन वस्तुओं का निर्यात करने का निर्णय लेता है।

धधध. पैट्रो राबिघ के उत्तर में उल्लिखित वितरण का चैनल इसके द्वारा अपनाया गया सामान्य चैनल है लेकिन यह जांच की अवधि के दौरान इन कंपनियों के माध्यम से बिक्री नहीं करता था।

ननन. याचिकाकर्ता ने रबड़ केमिकल जांच परिणामों पर विश्वास किया है जो इस वर्तमान जांच पर लागू नहीं होता है क्योंकि सउदी अरब एक बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है और उत्पादकों ने फीडस्टॉक का आयात नहीं किया है।

पपप. इटोचू कॉर्पोरेशन जिसने बहुत कम मात्रा का व्यापार किया है को छोड़कर सेबिक ग्रुप के मूल्य श्रृंखला बनाने वाले सभी कंपनियों ने इस जांच में भाग लिया है।

फफफ. सेबिक इंडिया ने सेबिक द्वारा निर्यात किये गये किसी वस्तु का आयात नहीं किया है और यह संबद्ध वस्तुओं के आयात अथवा बिक्री के संबद्ध में किसी क्रियाकलाप में शामिल नहीं है।

बबब. निर्यात कीमत की गणना के लिए, समुद्री भाड़े को छोड़कर समायोजनों से संबंधित किसी साक्ष्य को याचिका में शामिल नहीं किया गया है।

छ. 2. <u>घरेलू उद्योग द्वारा किये गये अनुरोध</u>

42. घरेलू उद्योग द्वारा सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के निर्धारण के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं :

क. सउदी अरब और कुवैत में एम ई जी की कीमतों और कच्चे माल तथा यूटिलिटी की कीमतों के संबंध में बाजार की विशेष स्थिति मौजूद है।

ख. एम ई जी के सरकार के स्वामित्व वाले उत्पादकों और इनपुट आपूर्तिकर्ताओं की मौजूदगी के कारण, सउदी अरब और कुवैत में एम ई जी के उत्पादन की लागत और बिक्री कीमत पर दबाव पड़ा है और वे व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में नहीं हैं।

ग. घरेलू उद्योग ने आवेदन प्रस्तुत करने के बाद बाजार की विशेष स्थिति के संबंध में अतिरिक्त अनुरोध करने से रोका नहीं है।

घ. चूंकि घरेलू उद्योग ने जांच की शुरुआत के पूर्व बाजार की विशेष स्थिति का दावा किया था अत: उत्पादकों को अपने उत्तर में तीसरे देश के निर्यातों के संबंध में आंकड़े उपलब्ध कराने चाहिए थे।

ङ. सउदी अरब और कुवैत में सरकार के स्वामित्व वाले अथवा सरकार के नियंत्रण वाले उत्पादकों की काफी संख्या में मौजूदगी के कारण, एम ई जी के घरेलू बिक्री कीमत विरूपित है और निर्यात कीमत से उचित तुलना को रोकता है।

च. सउदी अरब के उत्तर देने वाले सभी उत्पादकों / निर्यातकों को सेबिक द्वारा धारित किया गया है जिसे सउदी आरामको, राज्य के स्वामित्व वाली एक कंपनी के द्वारा पूर्ण रूप से अर्जित किया गया है।

छ. कुवैत के उत्तर देने वाले सभी उत्पादकों को पैट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज कंपनी द्वारा धारित किया गया है जो बाद में कुवैत पैट्रोलियम कॉर्पोरेशन राज्य के स्वामित्स वाली एक कंपनी की सहायक कंपनी है।

ज. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये दावे के विपरीत इक्वेट और टी के ओ सी पैट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज कंपनी के. एस. सी. के निर्माता अंग के अलावा कुछ नहीं है और उसे इसकी वेब-साइट पर पी आई सी की कोर बिजनेस के एक भाग के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

झ. कीमतों पर सरकार का नियंत्रण होना अपने आप में यह सूचित करता है कि उस बाजार में बिक्री प्रचालन कार्यपद्धति के मैनुअल के अनुसार निर्धारक कीमतों के लिए उपयुक्त नहीं है।

ञ. भारत सरकार द्वारा उत्पादों की कीमतों के विनियम का संदर्भ वर्तमान जांच से संगत नहीं है।

ट. जबकि घरेलू उद्योग ने बाजार की विशिष्ट स्थिति की मौजूदगी को सिद्ध करने के लिए कनाडा, यूरोपीय यूनियन, यू के और आस्ट्रेलिया के कानून में दिये गये कारकों पर विश्वास किया है, अन्य हितबद्ध पक्षकार यह दर्शाने में विफल रहे हैं कि किस प्रकार इस तरह के कारक वर्तमान मामले में बाजार की विशेष स्थिति की मौजदूगी के निष्कर्ष तक नहीं ले जाते हैं।

ठ. हितबद्ध पक्षकारों के दावे के विपरीत, कोरिया गणराज्य से कुछ जंगरोधी इस्पात फ्लेट उत्पादों के संबंध में जांच में, यू एस के वाणिज्य विभाग ने सब्सिडी देने में सरकार का शामिल होना और बिजली की कीमत का विनियमन जिसके फलस्वरूप बाजार की विशिष्ट स्थिति मौजूद रही, का विशिष्ट रूप से समाधान किया।

ड. ''बाजार की विशिष्ट स्थिति'' पारिभाषित शब्द में कनाड़ा, यूरोपीय यूनियन और यू के में प्राधिकारियों की कार्यपद्धतियों में दर्शाये गये अनुसार तथा ऑस्ट्रेलिया – ए4 कॉपी पेपर में डब्ल्यू टी ओ पैनल द्वारा सही माने गये अनुसार विभिन्न कारणों से इनपुट की कीमतों में विरूपण का होना शामिल है।

ढ. जैसा कि सउदी अरब के साम्राज्य का आरोहण डब्ल्यू टी ओ में किये जाने संबंधी कार्यचालन पक्षकार की रिपोर्ट से स्पष्ट है, ईथेन, प्रोपेन, बूटेन और प्राकृतिक गैस की घरेलू कीमते लाभ नियंत्रण तथा कीमत के अध्यधीन रही है और उसका निर्धारण सउदी

अरब के मंत्रिपरिषद् द्वारा किया गया है। सउदी अरब द्वारा 2016 में ईथेन और प्रोपेन की कीमत में वृद्धि के बावजूद, ये कीमतें एच एस बी सी ग्लोबल रिसर्च रिपोर्ट, सउदी अरब की व्यापार नीति की समीक्षा और सउदी आरामको की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार विनियम के अध्यधीन होना जारी है।

ण. सउदी अरब के आरोहण नवाचार संबंधी रिपोर्ट में बाजार की विशेष स्थिति के संबंध में टिप्पणियों का नहीं होना पाटनरोधी करार के अंतर्गत डब्ल्यू टी ओ सदस्यों के अधिकारों का अधिक्रमण नहीं कर सकता है।

त. घरेलू उद्योग ने यह दावा नहीं किया है कि फीडस्टॉक कीमतों का विनियमन डब्ल्यू टी ओ के नियमों के अनुरूप नहीं है बल्कि ऐसी संगतता बाजार की विशिष्ट स्थिति के रूप में इस मुद्दे पर विचार करने को नहीं रोकता है।

थ. अपनी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, जहां सउदी आरामको उसी अवधि में समान कीमतों से कम कीमत पर स्वदेश में इनपुट की बिक्री करता है, इसे साम्राज्य के वर्तमान कीमत निर्धारण अधिदेशों का अनुपालन करने के कारण परित्याग के कारण प्रत्यक्ष रूप से परित्याग किये गये राजस्व की लागत के बराबर राशि के लिए सरकार से मुआवजा पाने का हक है।

द. चूंकि आंतरिक टैरिफ बाधाओं के बिना जी सी सी बाजार का एक एकीकृत बाजार है, सउदी अरब में प्रचलित विरूपित कीमतों ने संभवत: कुवैत में भी प्रचलित कीमतों को प्रभावित किया है।

ध. अन्य हितबद्ध पक्षकारों को साक्ष्य के साथ अपने दावे को सिद्ध करना चाहिए कि जी सी सी में कीमतें बाजार द्वारा मुक्त रूप से निर्धारित की गई हैं और वे बिना किसी प्रभाव के तय किये गये हैं।

न. सउदी अरब और यू एस ए से एम ई जी के संबंध में जांच में यूरोपीय कमीशन इनपुट कीमत के विरूपणों और बाजार में विशिष्ट स्थिति के संबंध में मुद्दों जिन्हें इसके समक्ष नहीं उठाया गया था और इस प्रकार ऐसे जांच परिणामों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, के संबंध में मौन रहा है।

प. डब्ल्यू टी ओ के पैनल ने यह कहा है कि यदि कोई स्थिति सब्सिडी भी बनती हो तब भी इस पर विशेष बाजार की स्थिति के क्षेत्र के अधीन विचार किया जा सकता है।

फ. ईथेन साफ फ्लोट ग्लास, सामान्य बूटानोल अथवा पेंटाएरिथ्रिटोल के लिए फीडस्टॉक अथवा कच्चा माल नहीं है और ऐसी जांचों में बाजार की विशिष्ट स्थिति के संबंध में प्राधिकारी के जांच परिणामों का नहीं होना वर्तमान मामले के संगत नहीं है। इसके अलावा, बाजार की विशेष स्थिति के संबंध में निर्धारण तथा क्या यह उचित तुलना प्रस्तुत करता है, ऑस्ट्रेलिया – ए-4 कॉपी पेपर में डब्ल्यू टी ओ पैनल द्वारा यथाधारित मामले दर मामले आधार पर निर्भर करता है।

ब. इनपुट्स की कीमतों में विरूपण के फलस्वरूप उत्पादन की लागत और घरेलू कीमतों का विरूपण हुआ है लेकिन इसने निर्यात कीमतों पर प्रभाव नहीं डाला है जो अन्य वैश्विक उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा में हैं।

भ. गैर-भेदभाव आधार पर फीडस्टॉक की उपलब्धता पाटनरोधी करार के अंतर्गत बाजार की विशेष स्थिति के निर्धारण के लिए संगत नहीं है।

म. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों के विपरीत, जहां उस इनपुट का उपयोग घरेलू और निर्यात किये गये वस्तुओं दोनों के लिए किया जाता है, विरूपित इनपुट कीमतें संभवत: आस्ट्रेलिया – ए4 कॉपी पेपर में डब्ल्यू टी ओ के पैनल द्वारा टिप्पणी किये गये अनुसार बाजार की प्रचलित स्थितियों पर निर्भर करते हुए घरेलू और निर्यात कीमतों को अलग तरीके से प्रभावित करेगा।

य. सउदी अरब और कुवैत में प्रचलित प्रतिस्पर्धा की स्थितियां भारत से अलग हैं क्योंकि सउदी अरब और कुवैत में एम ई जी की कोई मांग नहीं है, एम ई जी का कोई आयात नहीं हुआ है और सभी उत्पादक प्रत्यक्ष रूप से/ अप्रत्यक्ष रूप से सरकार के नियंत्रण में अथवा स्वामित्व में हैं। दूसरी ओर, भारत में एम ई जी की अत्यधिक मांग है, बहुत अधिक आयात हुए हैं और देश में निजी क्षेत्र के स्वामित्व वाले दो प्रमुख उत्पादक हैं।

कक. सउदी अरब और कुवैत में उत्पादकों के उत्पादन की लागत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है जबकि भारत में निर्यात की कीमत में गिरावट आई जो लागत और कीमत के बीच किसी संबंध के नहीं होने को बताता है।

खख. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये दावे के विपरीत, सउदी अरब में इनपुट्स की कीमत किसी प्राकृतिक लाभ अथवा प्रचुर आपूर्ति के कारण कमतर नहीं है बल्कि सरकार से सउदी आरामको द्वारा प्राप्त कीमत विनियमों और मुआवजे के कारण कमतर नहीं है।

गग. प्राकृतिक गैस का अत्यधिक भंडार होने के बावजूद, यू एस ए में ईथेन की कीमत का निर्धारण बाजार शक्तियों के अनुसार किया गया है और जांच की अवधि के दौरान उसमें बहुत अधिक हद तक उतार-चढ़ाव आया है।

घघ. घरेलू उद्योग ने संबद्ध देशों से इथीलीन, प्रोपेन और बूटेन के निर्यातों की कीमत और यू एस ए में ईथेन की प्रचलित कीमत, जो एक ही प्राकृतिक क्षेत्रीय लाभ के अध्यधीन है, जैसा कि ऐसे इनपुट्स की घरेलू कीमतों के संदर्भ में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दावा किया गया है, के संबंध में सूचना उपलब्ध कराई है। हालांकि, क्षेत्रीय लाभों के बावजूद, यू एस ए में कीमतें कम अथवा विनियमित नहीं हैं।

ङङ. संबद्ध कंपनियों से खरीद के बारे में, यू एस – ओ सी टी जी में डब्ल्यू टी ओ पैनल ने माना कि प्राधिकारी उस संबद्ध कंपनी से खरीदे गये कच्चे माल की कीमत जो बिना किसी प्रभाव के नहीं है, को अस्वीकार कर सकते हैं।

चच. यह प्राधिकारी की निरंतर कार्यपद्धति रही है कि वह उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करे जहां निर्यातक संबंधित पक्षकार से बिना प्रभाव के कच्चे माल की खरीद स्थापित करने में असफल रहे। अन्य अधिकार क्षेत्रों को भी इस पर विचार करना चाहिए कि क्या संबद्ध कंपनी से खरीदे गये किसी इनपुट का मूल्य बिना किसी प्रभाव के आधार पर तय किया गया है।

छछ. चूंकि ईथेन का आयात सउदी अरब से नहीं किया जाता है और इसकी आपूर्ति देश में केवल सउदी आरामको द्वारा किया जाता है और सउदी आरामकों द्वारा असंबंधित पक्षकारों को सभी बिक्री भी विनियमित कीमतों पर की जाती हैं। अत: ऐसी कीमतों का उपयोग ईथेन की खरीद के लिए बिना प्रभाव वाली कीमत पर नहीं किया जा सकता है।

जज. जबकि प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे यदि अनुच्छेद 2.2.1.1 की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता हो तब उत्पादकों द्वारा रखे गये रिकार्डों के आधार पर सामान्य रूप से उत्पादन की लागत का निर्धारण करें, रिकार्डों को छोड़कर अन्य लागतों पर भी कुछ मामले में विश्वास किया जा सकता है जैसा कि ऑस्ट्रेलिया – ए4 कॉपी पेपर में डब्ल्यू टी ओ पैनल द्वारा सही माना गया है। वैसा ही दृष्टिकोण प्राधिकारी द्वारा चीन जन. गण., इण्डोनेशिया, मलेशिया और थाइलैण्ड से एल्मूनियम फ्वाइल के मामले में अपनाया गया था।

झझ. कनाडा, आस्ट्रेलिया और यू एस ए में प्राधिकारियों को भी उत्पादन की लागत के निर्धारण के लिए रिकार्डों में रखी गई लागतों को छोड़कर लागतों पर विचार करना चाहिए।

ञञ. चूंकि उत्तर देने वाले उत्पादकों ने अपने देशों में बाजार की विशेष स्थिति के संबंध में संगत सूचना छुपाई है अत: प्राधिकारी को निर्दिष्ट प्राधिकारी बनाम अल्दोर टोपसो में उच्चतम न्यायालय द्वारा सही माने गये अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण कर सकते हैं।

टट. यूक्रेन – अमोनियम नाइट्रेट और यूरोपीय यूनियन – लागत समायोजन पद्धतियों के निर्णय इनपुट की कीमत के विरूपणों के मामले में बाजार की विशेष स्थिति अथवा लागत को अस्वीकार किये जाने के मामले में घरेलू बिक्री कीमत को अस्वीकार करने से नहीं रोकता है।

ठठ. चूंकि सउदी अरब और कुवैत में प्रचलित विशेष बाजार की स्थिति यूटिलिटी और कच्चे माल की कीमतों को समान रूप से प्रभावित करता है, दोनों की लागत को उत्पादन की लागत के निर्धारण में अवश्य अस्वीकार किया जाना चाहिए।

डड. इनपुट्स की कीमतों के लिए विशेष बाजार की स्थिति के अलावा, उत्तर देने वाले सभी उत्पादकों ने संबद्ध पक्षकारों से इनपुट्स की खरीद की है और इस प्रकार, सउदी अरब और कुवैत में उत्पादकों के लिए एम ई जी के उत्पादन की लागत का समायोजन अंतर्राष्ट्रीय कीमतों इथीलीन और प्राकृतिक गैस की बाजार कीमत के लिए किया जाना चाहिए।

ढढ. इथीलीन की कीमत के समायोजन की आवश्यकता है क्योंकि यदि ईथेन, प्रोपेन, बूटेन और प्राकृतिक गैस की विरूपित लागत पर विचार किया जाता है तब भी सभी विरूपणों का निवारण करना संभव नहीं है।

णण. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के तर्क के विपरीत, प्राधिकारी उत्पादन की लागत का निर्धारण यूरोपीय यूनियन – बॉयोडीजल में डब्ल्यू टी ओ अपीलीय निकाय द्वारा टिप्पणी किये गये अनुसार देश में उत्पादन की लागत का प्रतिनिधित्व करने के लिए उसका तर्कसंगत तरीके से समायोजन करने के बाद उत्पादन की लागत के निर्धारण के लिए देश से बाहर की कीमतों पर विचार कर सकते हैं।

तत. ईथीलीन क्रेकर में बहुत अधिक निवेश और ईथेन से ईथीलीन के उत्पादन में शामिल में प्रमुख मूल्यवर्धन पर विचार करते हुए, ब्याज और ह्रास सहित ईथीलीन की पूरी लागत पर अवश्य विचार किया जाना चाहिए।

थथ. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के दावे के विपरीत, घरेलू उद्योग ने सभी पक्षकारों को सउदी अरब और कुवैत में बाजार की विशेष स्थिति की मौजूदगी के संबंध में अनुरोधों के अनुसरण में पाटन मार्जिन में परिवर्तन को दर्शाते हुए इस शर्त के साथ याचिका का अगोपनीय रूपांतर परिचालित किया।

दद. सउदी अरब में घरेलू बिक्री कीमत के संबंध में साक्ष्य संगत नहीं है क्योंकि इस प्रकार कीमत को बाजार की विशेष स्थिति को देखते हुए अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

धध. यू एस – सॉफ्टवुड लंबर में डब्ल्यू टी ओ पैनल द्वारा सही माने गये अनुसार, घरेलू उद्योग से केवल यह अपेक्षित है कि वह इसको तर्कसंगत रूप से उपलब्ध सूचना उपलब्ध कराये जिसे स्वयं याचिका में साझा किया गया था।

नन. घरेलू उद्योग ने पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 5.2 के अनुसार इसको तर्कसंगत रूप से उपलब्ध सूचना के आधार पर सामान्य मूल्य प्रस्तुत किया।

पप. इस प्रकार की कीमते ट्रेड मेप पर उपलब्ध सूचना के आधार पर है जो सरकारी स्रोतों जैसे केंद्रीय सांख्यिकी ब्यूरो, कुवैत, यू एन कॉमट्रेड और केंद्रीय सांख्यिकी एवं सूचना विभाग, सउदी अरब से अपने आंकड़े संग्रह करता है और इस कारण से विश्वसनीय नहीं है।

फफ. सामान्य मूल्य का निर्धारण न्यायाधीकरण द्वारा ऑटोमोटिव टायर मेनिफैक्चर्स एसोसिएशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी में सही माने गये अनुसार जांच की शुरुआत के चरण में घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत के आधार पर किया जा सकता है।

बब. अलग अलग पाटन मार्जिन उत्पादकों को नहीं दिया जाना चाहिए, जिसका संबंधित/ असंबंधित निर्यातकों ने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है।

भभ. मित्सुबिशी इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन जिसने नॉन या प्लास्टिक, अमेरिका द्वारा उत्पादित इन वस्तुओं की बिक्री मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन को की है, इस जांच में भाग नहीं लिया है।

मित्सुबिशी इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन द्वारा भाग नहीं लिये जाने की स्थिति में प्राधिकारी भारत को अंतिम निर्यातों की लाभप्रदत्ता का निर्धारण करने में सक्षम नहीं होगा।

मम. प्रचालन प्रक्रियाओं के मैनुअल के अनुसार, वस्तुओं के भौतिक संचलन अथवा वित्तीय लेन-देन में शामिल प्रत्येक असंबंधित मध्यवर्ती से जांच में भाग लेना अपेक्षित है।

यय. यदि किसी निर्यातक / व्यापारी ने लाभ अथवा हानि पर इन वस्तुओं का निर्यात किया है कि जांच की जानी अपेक्षित है और ऐसे व्यापारी द्वारा भाग न लेने की स्थिति में उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत किये गये उत्तर को अस्वीकार किया जाना चाहिए जैसा कि चीन जन. गण. से एच एफ सी संघटक आर-32 के मामले में है।

ककक. इटोचू कॉर्पोरेशन जिसने ईस्टर्न पैट्रोकेमिकल कंपनी द्वारा उत्पादित वस्तुओं का निर्यात किया है, ने इस जांच में भाग नहीं लिया है।

खखख. एमईग्लोबल अमेरिका इंक. जो एक्वेट पैट्रोकेमिकल कंपनी और कुवैत ऑलफिंस कंपनी का एक संबंधित उत्पादक है, ने जांच में भाग नहीं लिया है।

गगग. सउदी अरब और कुवैत से भारत को इन वस्तुओं का निर्यात करने में शामिल विभिन्न मध्यवर्तियों पर विचार करने पर, वर्तमान मामले में निर्यात कीमत का निर्धारण कनाड़ा के प्राधिकारी की कार्यपद्धति के समान निर्यातक की बिक्री कीमत अथवा आयातक की खरीद कीमत में से कमतर पर विचार करने के बाद किया जाना चाहिए।

घघघ. निर्यात कीमत का सत्यापन सीमाशुल्क प्राधिकारियों से मांगे गये दस्तावेजों से किया जाना चाहिए जैसा कि यूरोपीय यूनियन और जी सी सी में प्राधिकारियों की कार्यपद्धति है।

ङङङ. सेबिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने सेबिक को बाजार संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराई हैं। बाजार संबंधी सेवा उपलब्ध कराने वाली कंपनी द्वारा वहन किये गये खर्च का समायोजन निर्यात कीमत के निर्धारण में किया जाना चाहिए।

चचच. घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी की निरंतर कार्यपद्धति के अनुसार निर्यात कीमत का समायोजन किया है।

छछछ. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के दावे के विपरीत, यदि कुवैत में निर्यातक अपने स्वयं के पोर्ट और पाइप लाइन के पास स्थित हों तब वे अभी भी प्रशासन और अनुरक्षण के लिए कारखाना-गत के कुछ खर्च वहन करेंगे, जिसका समायोजन किया जाना अपेक्षित है।

जजज. आर आई एल ने पूर्व में केवल सी एफ आर आधार पर कुवैत से वस्तुओं का आयात किया था और इसे यह मालूम नहीं है कि कहां निर्यातकों ने कोई अंतर्देशीय भाड़े अथवा पत्तन खर्च वहन किये हैं।

छ. 3. <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

43. धारा 9क (1)(ग) के अंतर्गत, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

(i) *व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा*

(ii) *जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:*

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा

(ख) उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत।

परंतु यदि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल स्थानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उदगम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

44. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों को प्राधिकारी द्वारा निर्धारित रूप में और तरीके से सूचना उपलब्ध कराने के लिए उन्हें सलाह देते हुए प्रश्नावलियां भेजीं। निम्नलिखित उत्पादकों / निर्यातकों ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत कर इस जांच में सहयोग किया है : .

क. एक्वेट पैट्रोकेमिकल कंपनी, कुवैत
ख. द कुवैत ओलफिन्स कंपनी के एस सी सी (टी के ओ सी), कुवैत
ग. अरबियन पैट्रोकेमिकल कंपनी (पैट्रोकेमया) सउदी अरब
घ. ईस्टर्न पैट्रोकेमिकल कंपनी (एस एच ए आर क्यू), सउदी अरब
ङ. जुबेल यूनाटिड पैट्रोकेमिकल कंपनी (यूनाइटिड), सउदी अरब
च. सउदी बेसिक इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन (सेबिक),सउदी अरब
छ. सउदी कायान पैट्रोकेमिकल कंपनी, सउदी अरब
ज. सउदी यांबू पैट्रोकेमिकल कंपनी (यानपेट), सउदी अरब
झ. राबिघ रेफिननिंग एंड पैट्रोकेमिकल कंपनी,सउदी अरब
ञ. यांबू नेशनल पैट्रोकेमिकल कंपनी (यानसब), सउदी अरब
ट. नान या प्लास्टिक कॉर्पोरेशन, अमेरिका, यू एस ए
ठ. नान या प्लास्टिक कॉर्पोरेशन, टेक्सास, यू एस ए
ड. मित्सूबिशी कॉर्पोरेशन, जापान
ढ. एस पी डी सी लिमिटेड, जापान
ण. एक्सॉनमोबिल केमिकल एशिया पेसिफिक, सिंगापुर
त. मित्सूबिशी केमिकल एशिया पेसिफिक पीटीई. लिमिटेड, सिंगापुर
थ. सेबिक एशिया पेसिफिक पीटीई. लिमिटेड, सिंगापुर
द. एमईग्लोबल इंटरनेशनल एफजेडई, यू ए ई

45. संबद्ध देशों के सभी उत्पादकों / निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण नीचे दिये गये अनुसार किया गया है।

46. घरेलू उद्योग ने आरोप लगाया है कि इस तथ्य के आधार पर की सउदी अरब और कुवैत में एम ई जी के सभी उत्पादक अपने अपने देशों में सरकारों के स्वामित्व में होते हैं अथवा उनके द्वारा नियंत्रित किये जाते हैं, के आधार पर सउदी अरब और कुवैत में एम ई जी की घरेलू बिक्री कीमत के संबंध में बाजार की विशेष स्थिति मौजूद है, इस संबंध में घरेलू उद्योग ने यह दर्शाने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत किया है कि सउदी अरब से उत्तर देने वाले सभी उत्पादक सउदी आरामको, राज्य के स्वामित्व वाली कंपनी के द्वारा सेबिक के माध्यम से नियंत्रित किये जाते हैं अथवा उनके स्वामित्व

में होते हैं, पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किया है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने यह सिद्ध करने के लिए भी साक्ष्य उपलब्ध कराया है कि कुवैत के उत्तर देने वाले उत्पादकों पर स्वामित्व और नियंत्रण पैट्रोकेमिकल इंडस्ट्री कंपनी के माध्यम से कुवैत पैट्रोलियम कॉर्पोरेशन जो राज्य के स्वामित्व वाली कंपनी है के द्वारा की जाती है।

47. इसके अलावा घरेलू उद्योग ने यह भी आरोप लगाया है कि सउदी अरब में ईथेन, प्रोपेन, प्राकृतिक गैस, बूटेन आदिकी कीमत के संबंध में बाजार की विशेष स्थिति है क्योंकि इस प्रकार के इनपुट्स की कीमत सरकारी हस्तक्षेप के कारण तोड-मोड़ कर पेश की जाती है। इस संबंध में घरेलू उद्योग ने इनपुट्स की आपूर्ति के बारे में सउदी अरब में कीमत के नियंत्रण पर विश्वास किया है।

48. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग द्वारा दर्शाये गये कारक उत्पादन की लागत की अनुमति नहीं देते हैं ओर उसमें किसी समायोजन की आवश्यकता नहीं है। इस पर जोर दिया गया है कि सउदी अरब में बिना किसी भेदभाव के आधार पर सभी उत्पादकों को इनपुट्स उपलब्ध है। विरोध करने वाले हितबद्ध पक्षकारों ने आगे इस तथ्य का दावा करने के लिए ऑस्ट्रेलिया – ए4 कॉपी पेपर में पैनल की रिपोर्टों को उद्धृत किया है कि बाजार की विशेष स्थिति के बारे में निष्कर्ष तभी निकाला जा सकता है जब बाजार की विशेष स्थिति ऐसी हो कि यह निर्यात कीमत के साथ घरेलू बिक्री की उचित तुलना को रोकता हो।

49. यूरोपीय यूनियन – लागत समायोजन पद्धति, यूरोपीय यूनियन – बॉयोडीजल और यूक्रेन – अमोनियम नाइट्रेट के मामले में यह दावा करने के लिए निर्णय का भी संदर्भ लिया गया है कि उत्पादन की लागत में कोई समायोजन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उत्तर देने वाले उत्पादकों के रिकार्डों को संबद्ध देशों की सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार रखा जाता है और यह तर्कसंगत तरीके से संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन और बिक्री से जुड़ी लागत को दर्शाता है। यह भी दर्शाया गया है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी को उद्गम देश में उत्पादन की लागत तय करना अपेक्षित है।

50. इस मुद्दे का समाधान करने के उद्देश्य से प्राधिकारी इसे आवश्यक पाते हैं कि इस मुद्दे को शासित करने वाले कानूनी सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए शामिल वास्तविक पहलुओं की जांच की जाये। प्राधिकारी नोट करते हैं कि सीमा टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 9क (1)(ग) के प्रावधानों के अनुसार, सामान्य मूल्य निर्यात करने वाले देश में खपत के लिए भेजे जाने की स्थिति में समान वस्तु के व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में तुलनीय कीमत के आधार पर निर्धारित किया जाना अपेक्षित है। हालांकि, जब बाजार की विशेष स्थिति के कारण, ऐसी बिक्री उचित तुलना को अनुमति नहीं देता हो, सामान्य मूल्य का निर्धारण वैकल्पिक आधार पर किया जा सकता है।

> ''(ग) के संबंध, किसी वस्तु के संबंध में ''सामान्य मूल्य'' का तात्पर्य है:
>
> (i) *व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम(6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा*
>
> (ii) *जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:*

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा

(ख) उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत।

51. इस प्रकार पहला कदम इस तथ्य की जांच करना है कि क्या बाजार की विशेष स्थिति विशेष देश में हो और यदि वैसा है तब अगला कदम इस तथ्य की जांच करना है कि क्या बाजार की विशेष स्थिति का प्रभाव ऐसा है कि यह घरेलू बिक्री कीमत और निर्यात कीमत के बीच उचित तुलना की अनुमति नहीं देता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान मामले में, रिकार्ड पर साक्ष्य दर्शाता है कि ईथेन, प्रोपेन, बुटेन, प्राकृतिक गैस आदि जैसे इनपुट्स की कीमतों को सउदी अरब की सरकार द्वारा तय किया जाता है। इस देश में इन इनपुट्स की आपूर्ति सरकार के स्वामित्व वाली एक कंपनी, सउदी आरामको द्वारा नियंत्रित की जाती है। मंत्री परिषद के अनेक प्रस्तावों के अनुसरण में, इस साम्राज्य में ईथेन सहित कुछ हाइड्रोकार्बन की घरेलू बिक्री के लिए विनियमित कीमतें स्थापित की हैं। ईथेन की कीमत यू एस डॉलर 1.75 प्रति एमएमबीटीयू पर विनियमित किया गया है, जबकि प्राकृतिक गैस की कीमत यू एस डॉलर 1.25 प्रति एमएमबीटीयू पर तय किया गया है। प्रोपन और बूटने की कीमतें एफ ओ बी जापान कीमत से 20 प्रतिशत की छूट पर रखा गया है। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने इसका खंडन भी नहीं किया है कि इनपुट्स की कीमतें इस तरीके से तय की गई हैं। हालांकि यह नोट किया जाता है कि सरकार का स्वामित्व अपने आप में बाजार की विशेष स्थिति को सिद्ध नहीं करता है।

52. इनपुट कीमतों को गलत तरीके से पेश करने के संबंध में, हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि 2015-16 में सुधार के बाद, ईथेन की कीमतें अन्य तेल समृद्ध देशों में कीमतों से तुलनीय हैं। यह भी तर्क दिया गया है कि सउदी अरब में कीमतें प्राकृतिक लाभ के कारण कमतर हैं। हालांकि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यही तथ्य कि ईथेन और अन्य इनपुट्स की कीमतें विनियमित हैं, यह बताता है कि उनका निर्धारण मुक्त बाजार शक्तियों के द्वारा नहीं किया जाता है। घरेलू उद्योग ने सउदी अरब की व्यापार नीति की समीक्षा पर विश्वास किया है और यह उल्लेख किया है कि सउदी आरामको, सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी को सरकार से मुआवजा प्राप्त करने का हक है यदि यह सरकार की कीमत निर्धारण संबंधी अधिदेशों का अनुपालन कर सउदी आरामको द्वारा परित्याग किये गये राजस्व की लागत के समतुल्य विनियमित कीमत पर घरेलू स्तर पर कच्चे तेल और कुछ परिष्कृत उत्पादों की बिक्री करता हो। प्राधिकारी नोट करते हैं कि जैसे ही सरकार द्वारा कीमतें विनियमित होती हैं, यह नहीं माना जा सकता है कि कीमतें प्राकृतिक लाभ अथवा प्रतिस्पर्धी रूप से निर्धारित कीमत के कारण कमतर हैं।

53. इस कारण से, प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि सउदी अरब में ईथेन, प्रोपेन, बुटेन, प्राकृतिक गैस आदि जैसे इनपुट्स की कीमतें सरकारी हस्तक्षेप से प्रभावित होती हैं और इस सीमा तक बाजार की विशिष्ट स्थिति सउदी अरब में मौजूद है। प्राधिकारी ऑस्ट्रेलिया – ए4 कॉपी पेपर पर पाटनरोधी शुल्क के मामले में डब्ल्यू टी ओ पैनल के निर्णय को भी नोट करते हैं। पैनल ने विशिष्ट रूप से यह माना है कि क्या इनपुट की कीमत में विरूपण बाजार की विशेष स्थिति के रूप में माना जा सकता है। पैनल ने नोट किया कि ''उचित तुलना को रोकने की क्षमता'' ''बाजार की विशेष स्थिति'' बनने के लिए स्थिति के वास्ते आवश्यक अर्हता नहीं है।

''7.27 हमारे आकलन में, ''बाजार की विशेष स्थिति'' और ''उचित तुलना की अनुमति देना'' वाक्यांश सामान्य मूल्य के लिए आधार के रूप में घरेलू बाजार बिक्री की उपेक्षा करने के

लिए एक शर्त स्थापित करने के लिए एक साथ कार्य करता है। विशिष्ट तौर पर, यह कि घरेलू बिक्री ''उचित तुलना की अनुमति नहीं देता है'' बाजार की विशेष स्थिति के कारण'' होना चाहिए। यदि घरेलू बिक्री उचित तुलना की अनुमति नहीं देता है, तब उन्हें बाजार की विशेष स्थिति और इसके प्रभावों चाहे वे जो भी हों, की मौजूदगी पर विचार किये बिना सामान्य मूल्य के लिए आधार के रूप में उपेक्षा नहीं की जा सकती है। हम यह पाते हैं कि कोई कार्यात्मक उद्देश्य ''बाजार की विशेष स्थिति'' के आशय को शामिल कर पूरा नहीं किया जाता है, कार्य का वह भाग जिसे आवश्यक रूप से ''के कारण'' और ''उचित तुलना की अनुमति नहीं देता है'' शब्दांशों के द्वारा पूरा किया जायेगा। तदनुसार, हम पाते हैं कि ''उचित तुलना रोकने में सक्षम'' ''बाजार की विशेष स्थिति'' बनने के लिए स्थिति के वास्ते आवश्यक नहीं रहता है। वास्तव में, ''बाजार की विशेष स्थिति'' वाक्यांश में ऐसे अर्थ को शामिल करने से इस प्रावधान के कार्यचालन में बदलाव आयेगा। इस प्रकार हम पाते हैं कि ''बाजार की विशेष स्थिति'' पारिभाषित शब्द को सार में उचित तुलना करने की अनुमति नहीं देने के लिए घरेलू बिक्री करने की क्षमता से संबंधित विश्लेषण अपेक्षित नहीं है अथवा उस पर विचार करना अपेक्षित नहीं है। बल्कि अनुच्छेद 2.2 में ''के कारण'' और ''उचित तुलना करने की अनुमति नहीं देना'' परिभाषिक शब्द पहले ही उचित रूप से और पर्याप्त रूप से इस कार्य को पूरा करता है।

''7.28 घरेलू और निर्यात बाजारों के लिए मर्केंडाइज का उत्पादन करने के लिए सदृश्य रूप से उपयोग किये जाने वाले कम कीमत के इनपुट का इण्डोनेशिया द्वारा प्रस्तुत किये गये विशिष्ट मुद्दे की चर्चा करते हुए हम पुन: तैयार नहीं हैं कि ''बाजार की विशिष्ट स्थिति'' स्थापित करने से एक स्पष्ट अंर्हता को व्याख्या के मामले के रूप में माना जा सकता है। हम समझते हैं कि इण्डोनेशिया तर्क दे रहा है कि ऐसी स्थिति जो समान रूप से घरेलू और निर्यात बाजारों में बिक्री के लिए मर्केंडाइज का उत्पादन करने की लागत को प्रभावित करता है, आवश्यक रूप से दोनों बाजारों में बिक्री की कीमतों को समान रूप से प्रभावित करेगा और इस कारण से घरेलू बाजार की बिक्री और निर्यात बिक्री के बीच उचित तुलना की अनुमति देगा। सबसे पहले हम ''बाजार की विशिष्ट स्थिति'' पारिभाषिक शब्द में इस प्रस्तावित अर्थ को शामिल करने, जहां इस प्रकार के दृष्टिकोणों की उपर्युक्त विश्लेषण द्वारा दिये गये सुझाव के अनुसार ''के कारण'' और ''उचित तुलना की अनुमति देना'' पारिभाषिक शब्दों की तुलना में अधिक उपयुक्त तरीके से जांच की गई है, के लिए कोई औचित्यपूर्ण व्याख्यात्मक आधार नहीं पाते हैं। दूसरा, हम इसे मानी हुई बात के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं कि घरेलू और निर्यात बाजारों के लिए उत्पादन किये गये मर्केंडाइज की लागत पर समान प्रभाव आवश्यक रूप से दोनों बाजारों में बिक्री की कीमतों को समान रूप से इस तरह से प्रभावित करेगा कि एक घरेलू बिक्री और निर्यात बिक्री के बीच उचित तुलना को रोका नहीं जायेगा। हम मानते हैं कि ये अभिकथन ''बाजार की विशिष्ट स्थिति'' पारिभाषिक शब्द की व्याख्या के लिए उपयुक्त कारक नहीं है बल्कि इस तथ्य के विश्लेषण के लिए बेहतर तरीके से उपयुक्त है कि क्या घरेलू बिक्री जांच करने वाले प्राधिकारी द्वारा पहचान की गई बाजार की विशिष्ट स्थिति के कारण उचित तुलना की अनुमति नहीं देता है। हम ''उचित तुलना की अनुमति देना'' पारिभाषिक शब्द के आशय से संबंधित इण्डोनेशिया के तर्कों की अपनी जांच में इन बिंदुओं पर लौटेंगे।''

54. प्राधिकारी इस मामले के संबंध में कि इनपुट कीमत में बदलाव पर, चाहे निर्यात कीमत पर इसका कुछ प्रभाव भी पड़ता हो, एक विशिष्ट बाजार स्थिति के रूप में विचार किया जा सकता है, नीचे उल्लिखित ए4 कॉपी पेपर के संबंध में ऑस्ट्रेलिया – पाटनरोधी उपाय के मामले में डब्ल्यू एच ओ पैनल के निर्णय को भी नोट करते हैं।

''7.57 उपरोक्त जांच परिणामों के आधार पर, हम यह निर्धारित करते हैं कि इंडोनेशिया ने यह प्रदर्शित नहीं किया है कि ए डी सी ने पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.2 के तहत ऑस्ट्रेलिया के

दायित्वों के अनुसार कार्य नहीं किया है, जब यह पाया गया कि ए4 कॉपी पेपर के लिए इंडोनेशियाई घरेलू बाजार में एक ''विशेष बाजार स्थिति'' मौजूद है। इंडोनेशिया के तर्कों ने हमें इस बात के लिए विश्वस्त नहीं किया है कि एक घरेलू बाजार स्थिति, जिसके कारण निर्यातित और घरेलू रूप से बिक्री किए गए उत्पाद, दोनों के लिए उत्पादन हेतु प्रयुक्त इनपुट के लिए कमतर लागत आई है, उसे ''विशेष बाजार स्थिति'' से अनिवार्य रूप बाहर किया गया है। न ही इसने हमें इस बात के लिए विश्वस्त किया है कि एक सामान्य मत के अनुसार, कोई स्थिति, जिसका कि घरेलू बाजार की बिक्रियों के अलावा निर्यात बिक्रियों पर कुछ प्रभाव है अथवा हो सकता है, उसे आवश्यक रूप से ''विशेष बाजार स्थिति'' से बाहर किया गया है क्योंकि हम यह मानते हैं कि कम से कम कुछ मामलों में तो, घरेलू और निर्यात बिक्रियों पर प्रभाव के अंतर से एक उचित तुलना से बचा जा सकेगा। अंततः हमें यह भी विश्वास नहीं दिलाया गया है कि इस प्रावधान से संदर्भित ''विशेष बाजार स्थिति'' अनिवार्य रूप से ऐसी स्थिति से बाहर हो जाती है जो एक सब्सिडी अथवा अन्य सरकारी कार्रवाई से उत्पन्न हुई हो।''

55. प्राधिकारी इस तथ्य को भी नोट करते हैं कि इस बात को साबित करने के लिए रिकार्ड पर कोई भी साक्ष्य नहीं रखे गए हैं कि कच्ची सामग्री की कीमतें कुवैत में सरकार द्वारा निर्धारित या नियंत्रित की जाती हैं। अत: प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि कुवैत में कोई विशेष बाजार स्थिति मौजूद नहीं है।

56. इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद कि इथेन, प्रोपेन, बुटेन, प्राकृतिक गैस आदि जैसी इनपुट सामग्री की कीमतों पर सरकारी हस्तक्षेप का प्रभाव है और इस संबंध में सऊदी अरब में एक विशेष बाजार स्थिति मौजूद है, जिसमें अगले मामले की यह जांच की जानी है कि क्या विशेष बाजार स्थिति का प्रभाव इतना है कि इससे घरेलू बिक्री कीमत और निर्यात कीमत के बीच उचित तुलना अनुमत नहीं है।

57. इस संबंध में, ऑस्ट्रेलिया कॉपी पेपर में पेनल ने यह भी पाया है कि :

''7.73 जहां एक ''विशेष बाजार स्थिति'' मौजूद पाई गई है, वहां जांच प्राधिकारी को यह जांच करनी चाहिए कि क्या घरेलू और निर्यात कीमत की ''एक उचित तुलना'' अनुमत है अथवा नहीं। हम यह विचार करते हैं कि ''उचित तुलना'' की भाषा में घरेलू और निर्यात कीमतों की तुलना के संबंध में एक आकलन अपेक्षित है।

7.74 ''उचित'' शब्द का सामान्य अर्थ ''किसी विनिर्दिष्ट अथवा निहित प्रयोजन अथवा जरूरत के लिए उपयुक्त', परिस्थितियों अथवा स्थितियों के लिए उपयुक्त, . . . योग्य, अनुकूल, सही, ठीक'' से है। ''तुलना'' शब्द को दो अथवा अधिक वस्तुओं की समानताओं और अंतर की तुलना करने अथवा नोट करने की ''कार्रवाई अथवा कार्य'' के रूप में समझा जा सकता है। ''एक उचित तुलना की अनुमति'' का कार्य यह निर्धारण करने के लिए कि क्या घरेलू कीमत को पाटन की मौजूदगी की पहचान करने के लिए निर्यात कीमत के साथ तुलना के लिए एक आधार के रूप में प्रयोग किया जा सकता है अथवा प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 2.2 में यह निहित है कि ''एक उचित तुलना'' शब्द घरेलू कीमत और निर्यात कीमत के बीच तुलना के संदर्भ में है। इस प्रकार, पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.2 के दूसरे खंड के अंतर्गत एक जांच प्राधिकारी की जांच का प्रयोजन यह निर्धारित करने के लिए है कि क्या सामान्य व्यापार प्रक्रिया में समान उत्पाद की घरेलू बिक्रियां निर्यात कीमत और घरेलू बिक्री कीमत के बीच एक उचित तुलना की अनुमति नहीं है क्योंकि विशेष बाजार स्थिति अथवा कम मात्रा मौजूद है।

7.75 यद्यपि अनुच्छेद 2.2 में उचित तुलना घरेलू और निर्यात कीमतों के बीच तुलना के संदर्भ में है, जो दो कीमतों के बीच एक स्पष्ट सांख्यकीय तुलना है, जिससे इस संबंध में कुछ भी प्रकट नहीं हो सकता कि क्या घरेलू कीमत की निर्यात कीमत के साथ उचित तुलना की जा सकती है। इसकी

बजाय, घरेलू और निर्यात कीमतों की गुणात्मक तुलना करना आवश्यक है। ''विशेष बाजार स्थिति के कारण'' शब्द से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस बात का गुणात्मक आकलन करने से कि घरेलू और निर्यात कीमतों की उचित तुलना की जा सकती है, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि कैसे विशेष बाजार स्थिति से तुलना पर प्रभाव पड़ता है। अत: हम यह विचार करतें हैं कि ''उचित तुलना'' की मात्रा में घरेलू और निर्यात कीमतों के संबंध में विशेष बाजार स्थिति के संगत प्रभाव का आकलन अपेक्षित है। हम समझते हैं कि कुछ परिस्थितियों में, इस आकलन के फलस्वरूप, जांच प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि विशेष बाजार स्थिति का निर्यात कीमतों पर कोई प्रभाव नहीं है।

7.76 इस आकलन को देखते हुए कि क्या ''एक उचित तुलना'' विशेष बाजार स्थिति के कारण से अनुमत नहीं है, हम यह नोट करते हैं कि विश्लेषण का बल इस बात पर है कि क्या विशेष बाजार स्थिति का प्रभाव इतना है कि जांच की जा रही घरेलू बिक्री कीमतों और निर्यात कीमतों के बीच एक उचित तुलना अनुमत नहीं है। दूसरे शब्दों में, जांच प्राधिकारी को यह निर्धारित करने के लिए घरेलू बिक्रियों की जांच करनी चाहिए कि क्या दो कीमतों के बीच एक उचित तुलना, विशेष बाजार स्थिति के प्रभाव के बावजूद अनुमत है। प्रश्न यह निर्धारण करने का है कि क्या एक तुलनात्मक घरेलू कीमत है (अर्थात जीएटीटी 1994 अनुच्छेद VI :1 (ख) और पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.1 के अनुसार यदि समान उत्पाद के लिए व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में तुलना कीमत है, जब निर्यातक देश में खपत के लिए भेजा जाता है। वह निर्धारण तथ्यात्मक है और निर्यात कीमत, यदि कोई हो, पर प्रभाव के संबंध में घरेलू कीमत पर विशेष बाजार स्थिति के प्रभाव का आकलन करने वाले जांच प्राधिकारी द्वारा मामला – दर – मामला आधार पर निर्धारण किया जा ना चाहिए। यह संगत आकलन आवश्यक है क्योंकि हमने निम्नलिखित उप धारा में स्पष्ट किया है, जबकि घरेलू और निर्यात कीमतों, दोनों पर एक विशेष बाजार स्थिति का प्रभाव हो सकता है, इसका यह अर्थ नहीं होता कि घरेलू और निर्यात कीमतों का प्रभाव समान होगा। यदि जांच प्राधिकारी ने यह पाया है कि क्योंकि एक विशेष बाजार स्थिति होने के कारण, घरेलू कीमत और निर्यात कीमत की एक उचित तुलना की अनुमति नहीं है, इसके लिए इसके निष्कर्ष का एक तर्कसंगत और पर्याप्त स्पष्टीकरण देने की जरूरत है।''

58. प्राधिकारी ने सरकारी हस्तक्षेप के कारण इनपुट की कमतर कीमत के कारण सउदी अरब में विशेष बाजार स्थिति की मौजूदगी निर्धारित की है। प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद की लागत, घरेलू बिक्री कीमत और विचाराधीन उत्पाद की निर्यात कीमत के संबंध में रिकार्ड पर सभी उपलब्ध साक्ष्य की जांच की है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि कच्ची सामग्री की कमतर कीमत के कारण विशेष बाजार स्थिति के परिणामस्वरूप घरेलू बिक्री कीमत कम होगी और साथ ही निर्यात कीमत भी कम होगी, जब तक इसके प्रतिकूल सिद्ध न हो जाए। यदि कच्ची सामग्री की कीमतें कमतर हैं, तो इसके परिणामस्वरूप इस बात के बावजूद जब तक कि यह सिद्ध न हो जाए सामान्यत: अंतिम उत्पाद की कमतर बिक्री कीमत होगी, कि क्या ऐसे अंतिम उत्पाद घरेलू बाजार या निर्यात बाजार के लिए हैं। वर्तमान मामले में, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि एस ए बी आई सी ग्रुप में, जिसने कि इस जांच में भाग लिया है, विचाराधीन उत्पाद के उत्पादकों में से उत्पादकों के लिए एक उपयुक्त तीसरे देश के लिए उनकी निर्यात कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया गया है न कि सउदी अरब में घरेलू बिक्री कीमत के आधार पर। अत: घरेलू बिक्री को प्रभावित करने वाली विशेष बाजार स्थिति का मामला और उससे पाटन मार्जिन के निर्धारण के प्रयोजन से घरेलू बिक्री कीमत और निर्यात कीमत के बीच तुलना को खराब करने का अधिक संबंध नहीं है। इसके अलावा, प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि यह निष्कर्ष निकालने के लिए कोई पयापत साक्ष्य नहीं है कि सउदी अरब में प्रचलित विशेष बाजार स्थिति का एस ए बी आई सी ग्रुप में एक उत्पाद के लिए विचाराधीन उत्पाद की घरेलू बिक्री कीमत पर विशेष प्रभाव पड़ा है,

जिसके लिए घरेलू बिक्री कीमत के आधार पर इस तरीके से सामान्य मूल्य निर्धारित किया गया है कि घरेलू बिक्री कीमत और निर्यात कीमत के बीच एक उचित तुलना अनुमत नहीं है।

59. इस प्रकार, प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि पाटन मार्जिन का निर्धारण करने के लिए सउदी अरब से उत्पादकों/ निर्यातकों की घरेलू बिक्री कीमत और कच्ची सामग्री की वास्तविक लागत को अस्वीकार करने का रिकार्ड पर कोई पर्याप्त साक्ष्य नहीं है।

छ. 3.1. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण

कुवैत

इक्वैत पैट्रोकेमिकल कंपनी के. एस. सी. सी. (''इक्वेत'') द कुवैत ओलेफिंस कंपनी के. एस. सी. सी. (''टी के ओ सी'') और एमई ग्लोबल इंटरनेशनल एफ जेड ई (''एमई ग्लोबल'') (साझा तौर पर ''इक्वेत ग्रुप'' के रूप में कहा गया है)

सामान्य मूल्य

60. इक्वेत पैट्रोकेमिकल कंपनी के. एस. सी. सी. (''इक्वेत'') और द कुवैत ओलेफिंस कंपनी के. एस. सी. सी. (''टी के ओ सी'') कुवैत में विचाराधीन उत्पाद के उत्पादक हैं। इक्वेत और टी के ओ सी ने भारत और अन्य तीसरे देशों को एक संयुक्त अरब अमीरात स्थिति एक संगत निर्यातक, एमई ग्लोबल इंटरनेशनल एफ जेड ई (''एमई ग्लोबल'') के माध्यम से विचाराधीन उत्पाद का निर्यात किया है। प्राधिकारी द्वारा यह नोट किया गया है कि इक्वेत और टी के ओ सी ने जांच की अवधि के दौरान घरेलू बाजार में विचाराधीन उत्पाद की कोई बिक्रियां नहीं की हैं। अत: कुवैत में घरेलू बिक्रियों के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करना संभव नहीं है।

61. सीमा प्रशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 9क (1) के स्पष्टीकरण (ग) के तहत यह प्रावधान है :

किसी वस्तु के संबंध में ''सामान्य मूल्य'' से तात्पर्य है -

(i) *व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा*

(ii) *जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:*

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा

(ख) उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत।

परंतु यदि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल स्थानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय

कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उदगम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

62. चूंकि घरेलू बाजार में इक्वेट ग्रुप द्वारा पीयूसी की बिक्री (भारत को निर्यात मात्रा के 5% से कम) नगण्य है, प्राधिकारी ने सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के तहत प्रदान की गई अन्य अनुमेय पद्धति के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए आगे आएं हैं। तदनुसार, दोनों उत्पादकों से अनुरोध किया गया है कि वे सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क(1) के स्पष्टीकरण (ग) की क्लॉज (ii) (क) के अनुसार सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए एक उपयुक्त अन्य देश के चयन के लिए अन्य देशों को अपनी निर्यात बिक्रियों क सौदा-वार ब्यौरा प्रदान करें। अन्य देशों को प्रतिवादी उत्पादकों द्वारा प्रदान किए गए निर्यातों से सौदा-वार आकड़ों की एक उपयुक्त अन्य देश का चयन करने के लिए जांच की गई है। इस संबंध में कोई विशिष्ट दिशानिर्देश न होने के कारण या तो डब्ल्यू टी ओ पाटनरोधी करार में या सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम में या पाटनरोधी नियमावली में, उस देश में उत्पाद विकास की स्थिति और आयातों की मात्रा को उपयुक्त अन्य देश के चयन के लिए मार्गदर्शी मानक के रूप में लिया गया है। यह नोट किया गया है कि इक्वेत ग्रुप द्वारा निर्यातों की अधिकतम मात्रा चीन जन. गण. को है। प्राधिकारी चीन जन. गण. को एक उपयुक्त अन्य देश के रूप में नहीं मानते क्योंकि (i) चीन बाजार अर्थव्यवस्था स्थितियों के अंतर्गत प्रचालन नहीं करता है और (ii) चीन जन. गण. के लिए निर्यात की मात्रा भारत को निर्यात की मात्रा से काफी अधिक है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाकिस्तान को निर्यात की मात्रा जांच की अवधि के दौरान भारत को निर्यात की मात्रा की तुलना में सब से नजदीक रेंज में है। अत: पाकिस्तान को उपयुक्त अन्य देश के रूप में चुना गया है और इक्वेत ग्रुप के पाकिस्तान के निर्यातों को इक्वेत ग्रुप के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए चिार में लिया गया है।

63. सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए, प्राधिकारी ने सामान्य व्यापार जांच प्रक्रिया आयोजित की है ताकि संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत के संदर्भ में पाकिस्तान को लाभ अर्जक निर्यात बिक्रियों के सौदों का निर्धारण किया जा सके। प्राधिकारी ने एमई ग्लोबल की बिक्री कीमतों पर विचार किया है और कारखाना बाह्य व्ययों, एस जी ए व्ययों तथा अन्य मदों के संबंध में उपयुक्त समायोजन किया है, जिससे कि उत्पादक के स्तर पर कारखाना बाह्य कीमतें निकाली जा सकें। व्यापार जांच की सामान्य प्रक्रिया के दौरान, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाकिस्तान को निर्यातों के 80 प्रतिशत से अधिक सौदे लाभकारी हैं। अत: प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए जांच की अवधि के दौरान पाकिस्तान को किए गए सभी निर्यात सौदों पर विचार किया है।

64. इक्वेत ग्रुप ने शिपिंग लागत, कमीशन, क्रेडिट लागत, बैंक प्रभारों और ऋण बीमा के संबंध में समायोजनों का दावा किया है। प्राधिकारी ने इक्वेट ग्रुप द्वारा दावा किए गए सभी समायोजनों को स्वीकार किया है। तदनुसार इक्वेत ग्रुप के लिए कारखाना बाह्य स्तर पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया गया है और उसे नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

निर्यात कीमत

65. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इक्वेत ग्रुप ने निम्नलिखित व्यापार माध्यमों के ज़रिए कुवैत के मूल के *** मी. ट. विचाराधीन उत्पाद की कुल मात्रा का जांच की अवधि के दौरान भारत को निर्यात किया है :

व्यापार माध्यम	मात्रा	कुल निर्यात के अंश का %	व्यापार माध्यम की स्थिति
इक्वेत/ टी के ओ सी → एमई ग्लोबल → भारत	***	*** %	सहयोगी

के ग्राहक			
इक्वेत/ टी के ओ सी → एमई ग्लोबल → मित्सुबिसी कॉर्पोरेशन → भारत के ग्राहक	***	*** %	सहयोगी
इक्वेत/ टी के ओ सी → एमई ग्लोबल → ग्लोब ट्रेड वेल → भारत के ग्राहक	***	*** %	असहयोगी
इक्वेत/ टी के ओ सी → एमई ग्लोबल → सी पी एफ पेकेजिंग → भारत के ग्राहक	***	*** %	असहयोगी
इक्वेत/ टी के ओ सी → एमई ग्लोबल → समिका ग्लोब → भारत के ग्राहक	***	*** %	असहयोगी
कुल	***		

66. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि भारत को कुल निर्यातों के *** प्रतिशत से अधिक निर्यात करने में शामिल कंपनियों ने संगत सूचना प्रदान कर दी है और प्राधिकारी के समक्ष सहयोगी हैं। इक्वेत ग्रुप द्वारा प्रदान की गई सूचना पर निर्यात कीमत का निर्धारण करने के लिए प्राधिकारी द्वारा विचार किया गया है। इक्वेत ग्रुप ने शिपिंग लागत, ऋण लागत और बैंक प्रभारों के संबंध में समायोजनों का दावा किया है। इसके अलावा, प्राधिकारी ने एस जी ए व्ययों एमई ग्लोबल के लाभ (यदि कोई हैं) के लिए भी समायोजन किए हैं ताकि उत्पादक के स्तर पर कारखाना बाह्य निर्यात कीमत निकाली जा सके।

67. भारत को किए गए निर्यातों के संबंध में, जिनके के लिए प्राधिकारी के समक्ष पूरी निर्यात श्रृंखला ने भाग नहीं लिया है, प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्यात कीमत निर्धारित की है। तदनुसार, इक्वेट ग्रुप द्वारा भारत को किए गए समग्र निर्यातों के लिए भारित औसत निर्यात कीमत निर्धारित की गई है और इसे नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

कुवैत से सभी अन्य उत्पादक

68. कुवैत में सभी अन्य असहयोगी उत्पादकों के लिए, सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण सहयोगी उत्पादक के डेटा को शामिल करते हुए उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है और उसे नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

सउदी अरब

अरबियन पैट्रोकेमिकल कंपनी (पैट्रोकेम्या), ईस्टर्न पैट्रोकेमिकल कंपनी (एस एच ए आर क्यू), जुबेल यूनाइटेड पैट्रोकेमिकल कंपनी (यूनाइटेड), सउदी कयान पैट्रोकेमिकल कंपनी (सउदी कयान), सउदी यान्बू पैट्रोकेमिकल कंपनी (यानपेट) और यान्बू नेशनल पैट्रोकेमिकल कंपनी (यानसब) [सम्मिलित रूप से ''सेबिक ग्रुप उत्पादकों'' के रूप में उल्लिखित किया गया है] के साथ साथ संगत व्यापारी, सउदी अरब इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन (सेबिक) और सेबिक एशिया पैरसिफिक प्रा. लिमि. (साप्पल)

सामान्य मूल्य

69. अरबियन पैट्रोकेमिकल कंपनी (पैट्रोकेम्या), ईस्टर्न पैट्रोकेमिकल कंपनी (सार्कयू), जुबेल यूनाइटेड पैट्रोकेमिकल कंपनी (यूनाइटेड) सउदी कयान पैट्रोकेमिकल कंपनी (सउदी कयान), सदी यान्बू पैट्रोकेमिकल कंपनी (यानपेट) तथा यान्बू नेशनल पैट्रोकेमिकल कंपनी (यानसब) सेविक ग्रुप के अंदर सउदी अरब में विचाराधीन उत्पाद की संगत उत्पादक कंपनियां हैं। प्राधिकारी द्वारा यह नोट किया गया है कि जांच की अवधि के दौरान, केवल सार्क्यू और यानपेट में सउदी अरब के घरेलू

बाजार में विचाराधीन उत्पाद की बिक्रियां की हैं। घरेलू बाजार में सभी बिक्रियां संगत व्यापारी, सउदी बेसिक इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन (सेबिक) को की गई थी, जिसने असंबद्ध घरेलू ग्राहकों को संबद्ध वस्तुओं की बिक्री की है। अत: प्राधिकारी सार्क्यू और यानपेट के लिए जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद की उनकी घरेलू बिक्रियों के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करने की कार्रवाई की है।

70. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि सार्क्यू और यानपेट की घरेलू बिक्रियां भारत को निर्यातों की तुलना में पर्याप्त मात्रा में हैं। प्राधिकारी ने सार्क्यू और यानपेट के लिए संबद्ध वस्तुओं की बिक्रियों की लागत के संदर्भ में लाभ अर्जक घरेलू बिक्री सौदों के लिए सामान्य व्यापार जांच प्रक्रिया आयोजित की है। प्राधिकारी ने यह जांच की है कि क्या लाभ अर्जक सौदे 80 प्रतिशत से अधिक हैं या नहीं। वर्तमान मामले में, यह नोट किया जाता है कि यानपेट की घरेलू बिक्रियों का 80 प्रतिशत से अधिक लाभप्रद है और इसीलिए यानपेट की सभी घरेलू बिक्रियां सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए विचार में ली गई हैं। सार्क्यू के मामले में, कोई लाभप्रद बिक्रियां नहीं हैं। अत: सार्क्यू के लिए अपनी घरेलू बिक्रियों के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करना संभव नहीं है।

71. सीमा शुल्क अधिनियम 1975 की धारा 9क (1) के स्पष्टीकरण (ग) के तहत प्रावधान इस प्रकार है :

किसी वस्तु के संबंध में ''सामान्य मूल्य'' से तात्पर्य है-

(iii) *व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा*

(iv) *जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा :*

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो, अथवा

(ख) उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत।

परंतु यदि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल स्थानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उदगम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

72. चूंकि पैट्रोकेम्या, यूनाइटेड, सउदी कयान, यानसब द्वारा विचाराधीन उत्पाद की कोई घरेलू बिक्रियां नहीं हैं और सार्क्यू द्वारा कोई लाभप्रद घरेलू बिक्रियां नहीं हैं, प्राधिकारी ने सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त किसी अन्य अनुमत प्रद्धति के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करने की कार्रवाई की है। तदनुसार, इन पांच उत्पादकों को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क (1) के स्पष्टीकरण (ग) के क्लॉज (ii) (क) के तहत सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए

उपयुक्त अन्य देश के चयन के लिए अन्य देशों को निर्यात बिक्रियों के सौदा-वार ब्यौरे प्रदान करने का अनुरोध किया गया था। इन पांच उत्पादकों द्वारा प्रदान किए गए, अन्य देशों के निर्यातों के सौदा-वार डेटा की एक उपयुक्त अन्य देश के चयन के लिए जांच की गई है। इस संबंध में किसी विशिष्ट दिशानिर्देश के अभाव में, या तो डब्ल्यू टी ओ पाटनरोधी करार में या सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम में या पाटनरोधी नियमावली में, उस देश के उत्पाद विकास की स्थिति और आयातों की मात्रा को उपयुक्त अन्य देश के चयन के लिए मार्गदर्शी मानक के रूप में शामिल किया गया है। प्राधिकारी ने उपयुक्त अन्य देश के निर्धारण के लिए सभी पांच उत्पादकों के लिए अन्य देशों को निर्यात पर विचार किया है। यह नोट किया गया है कि इन उत्पादकों द्वारा निर्यातों की सबसे अधिक मात्रा चीन जन. गण. के लिए है। प्राधिकारी चीन. गण. को एक उपयुक्त अन्य देश के रूप में नहीं मानते क्योंकि (i) चीन बाजार अर्थव्यवस्था स्थितियों के अंतर्गत प्रचालन नहीं करता और (ii) चीन जन. गण. को निर्यात की मात्रा भारत को निर्यात की मात्रा से काफी अधिक है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इन उत्पादकों को निर्यात मात्रा मिलाकर इंडोनेशिया को, सेबिक द्वारा प्रदान की गई सूचना के आधार पर, जांच की अवधि के दौरान भारत को निर्यात मात्रा की तुलना में नजदीकी रैंज में है। अत: इंडोनेशिया को उपयुक्त अन्य देश के रूप में चुना गया है और पैट्रोकेम्या, यूनाइटेड और सऊदी अरब द्वारा इंडोनेशिया को किए गए निर्यातों पर इन तीन उत्पादों के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए विचार किया गया है। यह नोट किया जाता है कि यानसब और सार्क्यू ने जांच की अवधि के दौरान इंडोनेशिया को निर्यात नहीं किया है।

73. पैट्रोकेम्या, यूनाइटेड और सऊदी कयान के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए, प्राधिकारी ने सामान्य व्यापार जांच की प्रक्रिया आयोजित की है ताकि संबद्ध वस्तुओं की बिक्री की लागत के संदर्भ में इंडोनेशिया के लिए लाभ अर्जक निर्यात बिक्री सौदों का निर्धारण हो सके। यदि लाभ अर्जक सौदे 80 प्रतिशत से अधिक हैं, तो प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए इंडोनेशिया को सभी निर्यात सौदों पर विचार किया है और यदि जहां लाभकारी सौदे 80 प्रतिशत से कम हैं, वहां इंडोनेशिया को केवल लाभकारी निर्यात बिक्री सौदों को सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए विचार में लिया गया है।

74. यह नोट किया जाता है कि यूनाइटेड के इंडोनेशिया को लाभ अर्जक सौदे 80 प्रतिशत से अधिक हैं, और पैट्रोकेम्या तथा सऊदी कयान के इंडोनेशिया को लाभ अर्जक सौदे 80 प्रतिशत से कम हैं। तदनुसार, प्राधिकारी ने यूनाइटेड के लिए इंडोनेशिया के सभी निर्यात सौदों और सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए पैट्रोकेम्या और सऊदी कयान के लिए इंडोनेशिया के केवल लाभ अर्जक निर्यात सौदों पर विचार किया है।

75. जहां तक अन्य दो उत्पादकों, यानसब और सार्क्यू का संबंध है, प्राधिकारी ने टर्की को उपयुक्त अन्य तीसरे देश के रूप में चुना है क्योंकि इन दोनों उत्पादकों ने जांच की अवधि के दौरान इंडोनेशिया को कोई निर्यात नहीं किया है और टर्की को निर्यात निर्यात मात्रा की तुलना में निकटतम सीमा में है। यह नोट किया गया है कि जांच की अवधि के दौरान भारत के लिए तुर्की में सार्क्यू और यानसब के लिए लाभ अर्जित करने वाले लेनदेन 80% से अधिक हैं। तदनुसार, प्राधिकारी ने सार्क्यू और यानसब के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु तुर्की को सभी निर्यात लेनदेन पर विचार किया है।

76. सभी उत्पादकों ने लाजिस्टिक्स व्ययों और ऋण लागत के संबंध में समायोजनों का दावा किया है। प्राधिकारी ने उत्पादकों द्वारा किए गए सभी समायोजनों को स्वीकार किया है। उपरोक्त उत्पादकों के लिए कारखाना बाह्य स्तर पर सामान्य मूल्य का तदनुसार निर्धारण किया गया है और इसे नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

<u>निर्यात कीमत</u>

77. प्रतिवादी उत्पादकों द्वारा दाखिल की गई सूचना के अनुसार, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच की अवधि के दौरान, पैट्रोकेम्या, सार्क्यू, यूनाइटेड, सऊदी कयान और यानपेट ने संगत व्यापारियों सेबिक, एस पी डी सी लिमि. (''एस पी डी सी'') और एक्सोनमोबिल केमिकल एशिया पैसिफिक (''एक्सोन मोबिल'') के माध्यम से भारत को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। यानसब ने जांच की अवधि के दौरान भारत को संबद्ध वस्तुओं का कोई निर्यात नहीं किया है। सेबिक ने संबद्ध वस्तुओं की आगे अन्य संगत व्यापारी सेबिक एशिया पैसिफिक प्रा. लिमि. (''साप्पल'') को पुन: बिक्री की है, जिसने संबद्ध वस्तुओं की आगे भारत में असंबद्ध ग्राहकों को बिक्री की है। एस पी डी सी और एक्सोन मोबिल ने संबद्ध वस्तुएं आगे मित्सुबिशी केमिकल एशिया पैसिफिक लिमि. (''एम सी ए पी'') और मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन को बिक्री की है, जिसने अंतत: संगत और असंगत भारतीय ग्राहकों को बिक्री की है।

78. प्राधिकारी द्वारा यह नोट किया गया था कि सेबिक ग्राहकों से आदेश प्राप्त करता है और उत्पादकों को डिलीवरी प्रभावी बनाने के लिए निदेश देता है। उत्पादक एक अनंतिम कीमत पर सेबिक के संबंध में एक इनवॉयस निकालते हैं। सेबिक सेप्पल के संबंध में एक इनवॉयस निकालता है और सेप्पल भारत में वास्तविक ग्राहक के संबंध में इनवॉयस निकालता है। बिक्रियों के बाद कीमत में संशोधन डेबिट और क्रेडिट नोट के ज़रिए समायोजित किए जाते हैं। सेबिक बाजार शुल्क और सभी डिलीवरी संबंधी खर्चों की ग्राहक से ली गई वास्तविक कीमत से कटौती करता है और शेष राशि उत्पादकों को भुगतान कर दी जाती हैं। उत्पादक क्रेडिट अवधि के बाद सेबिक से निवल भुगतान वापस प्राप्त करते हैं और कुछ खर्चों की कटौती भी की जाती है। यह जांच की गई थी कि क्या सेबिक द्वारा ली गई विपणन फीस और सेबिक द्वारा रखे गए डिलीवरी संबंधी खर्चें सभी लाभों की पूर्ति के लिए पर्याप्त होते हैं और उचित लाभ प्रदान करते हैं। इसी प्रकार की व्यवस्था एस पी डी सी और एक्सोन मोबिल के ज़रिए किए गए निर्यातों के लिए भी अपनाई जाती है। यह नोट किया गया था कि सेबिक ने सउदी कायन और सार्क्यू द्वारा निर्मित संबद्ध वस्तुओं के भारत को निर्यातों के संबंध में हानि हुई है। उत्पादकों ने स्वदेशी मालभाड़ा (जहां कहीं भी लागू है), हैंडलिंग और क्रेडिट लागत, जो सेबिक, एस पी डी सी और एक्सोन मोबिल से वापस प्राप्त हुई, के संबंध में समायोजकों का दावा किया है। प्राधिकारी ने उत्पादकों द्वारा दावा किए गए समायोजनों की अनुमति प्रदान की है तथा साथ ही, सेबिक द्वारा हुई हानियों के लिए (सउदी कायान और सार्क्यू द्वारा निर्मित संबद्ध वस्तुओं के संबंध में) अतिरिक्त समायोजन भी किए हैं ताकि उत्पादकों के लिए निवल कारखाना बाह्य निर्यात कीमत निकाली जा सके। तदुनसार, सेबिक ग्रुप प्रोड्यूसर्स द्वारा भारत को समग्र निर्यातों के लिए भारित औसत निर्यात कीमत निर्धारित की गई है और उसे नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

<u>राबिघ रिफाइनिंग एंड पैट्रोकेमिकल कंपनी (''पैट्रो राबिघ'')</u>

<u>पैट्रो राबिध के लिए सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन</u>

79. पैट्रो राबिध के लिए दाखिल किए गए उत्तर से, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पैट्रो राबिध सउदी अरब में एम ई जी का एक उत्पादक है। पैट्रो राबिध के जांच की अवधि के दौरान भारत को विचाराधीन उत्पाद का कोई निर्यात नहीं किया है। अत: प्राधिकारी पैट्रो राबिध के लिए व्यक्तिगत पाटन मार्जिन निर्धारित करने की स्थिति में नहीं है।

80. पैट्रो राबिध द्वारा दाखिल किए गए उत्तर से, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पैट्रो रोबिध ने जांच की अवधि के दौरान सउदी अरब के घरेलू बाजार में विचाराधीन उत्पाद की बिक्रियां नहीं की हैं। तथापि, पैट्रो राबिध ने अन्य देश के बाजारों को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है।

81. पैट्रो राबिध ने यह अनुरोध किया है कि यहां तक कि उन्होंने जांच की अवधि के दौरान भारत को विचाराधीन उत्पाद का निर्यात नहीं किया है, लेकिन उन्होंने वर्ष 2017 के दौरान भारत को विचाराधीन उत्पाद का निर्यात किया है। पैट्रो राबिध द्वारा प्रश्नावली उत्तर दाखिल करने के बाद दाखिल करने अपने अनुरोधों में यह दावा किया गया है कि वे सेबिक से संबद्ध हैं। पैट्रो राबिध ने यह भी अनुरोध किया है कि सेबिक ग्रुप प्रोड्यूर्स द्वारा निर्धारित पाटन मार्जिन पैट्रो राबिध के लिए भी अपनाया जाना चाहिए और तदनुसार, सेबिक ग्रुप प्रोड्यूसर्स के लिए निर्धारित व्यक्तिगत पाटनरोधी शुल्क दर, यदि कोई है, पैट्रो राबिध के लिए भी प्रदान की जानी चाहिए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि एसएबीआईसी/एसएबीआईसी समूह के उत्पादकों के लिए पेट्रो राबिध के लिए निर्धारित पाटनरोधी शुल्क दर का विस्तार करने की आवश्यकता के संबंध में इस मुद्दे की जांच करने के लिए प्राधिकारी की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्राधिकारी ने निष्कर्ष निकाला है कि घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है। और इसलिए प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तुओं के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश नहीं की है ।

<u>सउदी अरब से सभी अन्य उत्पादक</u>

82. सउदी अरब से सभी अन्य असहयोगी उत्पादों के लिए सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण सहयोगी उत्पादों के डेटा को ध्यान में रखते हुए उलपब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है और उसे नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

<u>मैसर्स नान या प्लास्टिक्स कॉर्पोरेशन, अमेरिका (उत्पादक/ निर्यातक), मैसर्स नान या प्लास्टिक्स कॉर्पोरेशन, टेक्सास (उत्पादक/ घरेलू विक्रेता) एवं मैसर्स मित्सुबिसी इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन (ट्रेडर)</u>

<u>सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत एवं पाटन मार्जिन</u>

83. नान या प्लास्टिक्स कॉर्पोरेशन, अमेरिका यू एस ए से संबद्ध वस्तुओं का एक उत्पादक व निर्यातक है। प्राधिकारी द्वारा यह नोट किया गया है कि जांच की अवधि के दौरान, कंपनी के पास संबद्ध वस्तुओं की कोई घरेलू बिक्रियां नहीं थी। यह भी पाया गया है कि नान या प्लास्टिक्स कॉर्पोरेशन, टेक्सास, जो कि नान या प्लास्टिक्स कॉर्पोरेशन, अमेरिका की एक संगत कंपनी है, भी यू एस ए में संबद्ध वस्तुओं का एक उत्पादक है और जांच की अवधि के दौरान, कंपनी ने केवल घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तुओं की बिक्री की है।

84. प्राधिकारी ने दोनों कंपनियों को उनके प्रश्नावली उत्तर में प्रस्तुत सूचना का सत्यापन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज प्रदान करने का अनुरोध किया है। तथापि, दोनों ही कंपनियां सत्यापन कार्यवाही के दौरान निर्यातक प्रश्नावली उत्तर में प्रस्तुत की गई उत्पादन की लागत को साबित करने में विफल रही हैं। इसे देखते हुए, प्राधिकारी नान या प्लास्टिक्स कॉर्पोरेशन, अमेरिका और नान या प्लास्टिक्स कॉर्पोरेशन, टेक्सास द्वारा दाखिल किए गए निर्यातक प्रश्नावली उत्तर को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। तदनुसार, प्राधिकारी नान या प्लास्टिक्स कॉर्पोरेशन, अमेरिका और नान या प्लास्टिक्स कॉर्पोरेशन, टेक्सास तथा यू एस ए से अन्य सभी असहयोगी उत्पादकों के लिए उपलब्ध सूचना के तथ्यों के आधार पर सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण करने का निर्णय लेते हैं और इसे नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

<u>पाटन मार्जिन तालिका</u>

85. कुवैत, सऊदी अरब और यू एस ए से उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए निर्धारित किया गया पाटन मार्जिन नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है :

पाटन मार्जिन तालिका

उत्पादक	सामान्य मूल्य (यू एस डॉ./ मी. ट.)	एन ई पी (यू एस डॉ./ मी. ट.)	पाटन मार्जिन (यू एस डॉ./ मी. ट.)	पाटन मार्जिन %	रेंज
कुवैत					
इक्विट पेट्रोकेमिकल कंपनी के. एस. सी. सी.	***	***	***	***%	0-10
द कुवैत ओल्फिन्स कंपनी के.एस.सी.सी.	***	***	***	***%	0-10
अन्य सभी	***	***	***	***%	0-10
सउदी अरब					
अरेबियन पैट्रोकेमिकल कंपनी	***	***	***	***%	10-20
इस्टर्न पैट्रोकेमिकल कंपनी	***	***	***	***%	10-20
जुबेल यूनाटेड पैट्रोकेमिकल कंपनी	***	***	***	***%	10-20
सऊदी कयान पैट्रोकेमिकल कंपनी	***	***	***	***%	10-20
सऊदी यानबू पैट्रोकेमिकल कंपनी	***	***	***	***%	10-20
यानबू नेशनल पैट्रोकेमिकल कंपनी	***	***	***	***%	10-20
अन्य सभी	***	***	***	***%	10-20
यू एस ए					
कोई उत्पादक/ निर्यातक	***	***	***	***%	10-20

ज. क्षति और कारणात्मक संबंध में मूल्यांकन

ज. 1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया अनुरोध

86. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :

क. घरेलू उद्योग द्वारा दाखिल की गई याचिका में घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति तथा कथित पाटित आयातों और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के पर्याप्त साक्ष्य का अभाव है।

ख. ''आवेदक को वास्तविक क्षति की आशंका'' का आरोप स्वयं ही यह प्रदान करता है कि घरेलू उद्योग को वर्तमान में कोई क्षति नहीं है।

ग. क्षति की स्थापना के लिए, घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंडों पर आयातों की मात्रा में वृद्धि और प्रतिकूल प्रभाव, दोनों मापदंडों की पूर्ति की जानी आवश्यक है। तथापि, वर्तमान जांच में कोई मात्रात्मक प्रभाव नहीं है, जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है।

घ. क्षति के परिणाम केवल तभी दर्ज किए जा सकते हैं, जब अनुबंध-II के पैरा (ii) और (iv), दोनों के तहत शर्तें पूरी हो, जो कि वर्तमान जांच में नहीं है, क्योंकि दोनों पैरा के तहत शर्तें पूरी नहीं हैं।

ङ. अनुबंध-।। के पैरा (ii) में प्रयुक्त शब्द "महत्वपूर्ण" से तात्पर्य है कि आयातों की मात्रा में मात्र वृद्धि अथवा नगण्य कीमत कटौती पाटित आयातों के प्रतिकूल प्रभाव की स्थापना के लिए पर्याप्त नहीं है।

च. प्राधिकारी को वास्तविक क्षति के परिणाम तक पहुंचने से पूर्व पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 3.4 में सूचीबद्ध सभी कारकों की जांच करनी चाहिए, जैसा कि अपील निकाय और थाइलैंड में पैनल – एच – बीम्स द्वारा पाया गया है। जब अनेक कारकों में सकारात्मक बदलाव है, तो क्षति के जांच परिणाम में जांच प्राधिकारियों से एक अनिवार्य स्पष्टीकरण आवश्यक होगा।

छ. सऊदी अरब से आयातों का यू एस ए और कुवैत से आयातों के साथ संचित रूप से आकलन नहीं किया जा सकता क्योंकि सउदी अरब से पाटन के कोई साक्ष्य नहीं हैं, यू एस ए से आयातों में वृद्धि हुई है, जबकि कुवैत और सऊदी अरब से आयातों में गिरावट आई है और सऊदी अरब से आयात कीमतों के कारण घरेलू कीमतों में कटौती नहीं हुई जबकि यू एस ए और कुवैत से आयात कीमतों में कटौती हुई।

ज. नान या प्लास्टिक्स कॉर्पोरेशन ने वर्ष 2019-20 के दौरान और जांच की अवधि के दौरान भारत को एम ई जी का निर्यात करना शुरू किया था। इसके अलावा, भारत को नान या द्वारा निर्यातों में 12 प्रतिशत तक कमी हुई, जबकि अन्य देशों को निर्यातों में 17 प्रतिशत तक वृद्धि हुई। इसके अलावा, नान या प्लास्टिक कॉर्पोरेशन, अमेरिका जांच की अवधि के दौरान 90 प्रतिशत से अधिक क्षमता पर प्रचालन कर रहा है और घरेलू उद्योग जांच की अवधि के दौरान 112 प्रतिशत पर प्रचालन कर रहा है।

झ. आयातों की मात्रा में सापेक्ष और निरपेक्ष संदर्भ में विगत वर्षों की तुलना में जांच की अवधि में गिरावट आई है और घरेलू उद्योग के बाजार अंश में वृद्धि हुई है, जबकि संबद्ध आयातों में गिरावट आई है।

ञ. मांग में वृद्धि रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा सभी स्रोतों से आयातों को हटाकर प्राप्त की गई है।

ट. आयातों में गिरावट कोविड-19 के कारण ही नहीं हो सकती है, क्योंकि आयातों में गिरावट मांग में गिरावट और घरेलू उद्योग की बिक्री से अधिक है।

ठ. घरेलू उद्योग ने एक संभावित मांग विश्लेषण का प्रस्ताव किया है, जो अपर्याप्त साक्ष्य के आधार पर है। इसने बिना किसी आधार के 6 प्रतिशत तक मांग में वृद्धि की संभावना जताई है।

ड. घरेलू उद्योग द्वारा परिकलित मांग – आपूर्ति अंतराल के संबंध में आयात ऐसी खपत के आधार पर है, जिस पर घरेलू उत्पादक पूरी क्षमता के साथ प्रचालन कर रहे हैं और भारतीय प्रयोक्ता केवल घरेलू रूप से उत्पादित एम ई जी की खरीद कर रहे हैं। ऐसी संकल्पना सामान्य आर्थिक सिद्धांतों के विपरीत है और घरेलू उद्योग के संरक्षणवादी हित को दर्शाती है।

ढ. घरेलू उद्योग के मूल दावे के अनुसार, सऊदी अरब से आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती नहीं हो रही है और इस प्रकार ऐसे आयातों को चीन, इरान और कतर से लिनियर अल्काइल बेंजीन में, प्राधिकारी की प्रक्रिया से अनुसार जांच से बाहर किया जाना चाहिए।

ण. कुवैत से आयातों के कारण कोई महत्वपूर्ण कीमत कटौती नहीं हो रही है और घरेलू उद्योग ने स्वयं ही यह प्रस्तुत किया है कि कीमत कटौती मामूली है।

त. बिक्री कीमत पहुंच कीमत के समान हो गई है और संबद्ध आयातों के लिए कोई भी कीमत ह्रास अथवा मंदी नहीं है।

थ. घरेलू उद्योग जब कीमत कटौती अधिक थी, तो अधिक लाभ कमा रहा था और इस प्रकार, लाभों में नुकसान केवल अतिरिक्त क्षमताएं स्थापित करने के कारण ब्याज में वृद्धि, मूल्यह्रास और ऋण परिशोधन लागत के कारण है।

द. आवेदकों ने पहुंच कीमत में गिरावट के बारे में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए हैं, क्योंकि पहुंच कीमत इथाइलीन की कीमत में गिरावट से अधिक है।

ध. घरेलू उद्योग के निष्पादन में, स्थापित क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्रियों और उत्पादकता के संबंध में सुधार आया है।

न. कुवैत से आयातों का बाजार अंश आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में स्थिर रहा है, जबकि घरेलू उद्योग के बाजार अंश में 13 प्रतिशत तक वृद्धि हुइ है।

प. घरेलू उद्योग ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में यह स्वीकार किया है कि एम ई जी बाजार में सुधार आया है।

फ. वर्ष 2019-20 की तुलना में जांच की अवधि में माल सूची में सुधार आया है।

ब. घरेलू उद्योग की कर्मचारी संख्या, मजदूरी और उत्पादकता में जांच की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है, जिसका अर्थ है कि ऐसे मापदंडों के संबंध में कोई क्षति नहीं है।

भ. घरेलू उद्योग की पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर प्रभाव नहीं पड़ा है क्योंकि वह अपनी क्षमताओं का विस्तार करने में समर्थ रहा है।

म. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में वर्ष 2018-20 और 2019-20 की तुलना में जांच की अवधि के दौरान काफी वृद्धि हुई है, जो कि विगत जांच में जांच की अवधि का हिस्सा थे।

य. आर आई एल ने जांच की अवधि समाप्त होने के बाद कीमतों में 52 प्रतिशत और उत्पाद के लिए मार्जिन में 27 प्रतिशत की वृद्धि की सूचना दी है।

कक. कम लाभप्रदता अधिक मूलयह्रास और ऋण परिशोधन व्यय तथा वित्त लागत के कारण से है।

खख. इथाइलीन की उत्पादन की वास्तविक लागत पर, क्षति रहित कीमत का निर्धारण करते समय विचार किया जाना चाहिए। चूंकि इथाइलीन का कैप्टिव रूप से उत्पादन होता है, अत: उत्पादक की लागत सामान्य की जानी चाहिए।

गग. औसत पूंजी, नियोजित की प्रवृत्ति मूल्यह्रास और ऋण परिशोधन व्ययों में इतना अधिक अंतर सहायक नहीं है।

घघ. आवेदकों ने 'अपने हाल ही के संयंत्रों के लिए बिक्रियों की सामान्य लागत' की प्रतिशतता के रूप में निवेश पर प्रतिफल की गणना की है क्योंकि पुराने संयंत्रों का, अनुबंध-III के पैरा 4 (viii) के उल्लंघन में मूल्यह्रास हुआ है, जिसके कारण क्षति मार्जिन में वृद्धि हुई है।

ङङ. घरेलू उद्योग वित्तीय लागत, डिस्काउंट, प्रशासनिक व्ययों, बिक्री और वितरण लागत को अलग करने और उसके बाद लागतों को सामान्य करने के लिए विगत वर्षों के उत्पादन और बिक्रियों के अनुपात पर विचार करने के अपने अनुरोध के लिए कानूनी आधार प्रदान करने में विफल रहा है।

चच. घरेलू उद्योग के यह तर्क कि मूल्यह्रास वाले संयंत्रों पर प्रतिफल की अनुमति नए संयंत्र पर अनुमत प्रतिफल के बैंचमार्क के आधार पर प्रदान की जाए, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि अनुबंध-III में यह प्रावधान है कि नियत परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन नियोजित पूंजी की गणना में विचार नहीं किया जाना है।

छछ. क्षतिरहित कीमत के निर्धारण के 22 प्रतिशत के प्रतिफल पर विचार करना उपयुक्त नहीं है।

जज. घरेलू उद्योग को इतना अधिक प्रतिफल इस वैश्विक मंदी के दौरान अनुमत करना पूरी तरह से गलत है और ऐसा किसी भी क्षेत्र में कभी नहीं सुनने में आया।

झझ. मात्र इस कारण से कि डी जी टी आर कई वर्षों से 22 प्रतिशत प्रतिफल अपना रहा है, यह तर्कसंगत दावा करने के लिए आधार नहीं है।

ञञ. औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1987 के आधार पर 22 प्रतिशत का प्रतिफल है। तथापि, विभिन्न कारक जैसे कारपोरेट कर दर और ब्याज की दर तब से बदली नहीं गई है।

टट. नियोजित पूंजी पर 22 प्रतिशत प्रतिफल तर्कसंगत होने के मामले की माननीय सेस्टेट द्वारा ब्रिज स्टोन टायर मैन्यूफैक्चरिंग एंड अन्य बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी मामले में और ह्योसंग कॉर्पोरेशन बनाया निर्दिष्ट प्राधिकारी मामले में जांच की गई थी, जिसमें यह पाया गया था कि 22 प्रतिशत प्रतिफल अपनाने से क्षति निर्धारण का मामला छिप गया है।

ठठ. यूरोपीय संघ क्षति अवधि के भाग के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित प्रतिफल पर विचार करने की प्रक्रिया अपनाता है जिसमें पाटित आयातों का घरेलू उद्योग पर नकारात्मक प्रभाव था। ई एफ एम ए बनाम काउंसिल के मामले में, न्यायालय ने यह पाया कि लक्ष्य कीमत लाभ मार्जिन के साथ सीमित रखी जाए, जिसे उद्योग क्षति के अभाव में उचित गणना पर सकेंगे।

डड. प्राधिकारी को घरेलू उद्योग द्वारा खर्च की गई वास्तविक वित्त लागत का आकलन करना और यूरोपीय संघ द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया की तरह, नियोजित पूंजी पर प्रतिफल की तुलना में तर्कसंगत ब्याज की दर का उद्देश्यपरक आकलन करना आवश्यक है।

ढढ. चूंकि आर आई एल एक वर्टिकल इंटिग्रेटेड उत्पादक है, उसे अपने वास्तविक निष्पादन की एक सही तस्वीर प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण है कि समग्र मूल्य श्रृंखला में संसाधनों के नियतन का आकलन लिया जाए क्योंकि उसे अधिक लाभकारी उत्पादों के लिए कच्ची सामग्री आबंटित की हो सकती है।

णण. प्राधिकारी और घरेलू उद्योग से अनुरोध है कि वे इस संबंध में आर आई एल द्वारा दिए गए विवरण पर क्षति और कारणात्मक संबंध में विश्लेषण पर प्रभाव को स्पष्ट करें कि उनके पास ''एम ई जी का उत्पादन न करने'' का विकल्प नहीं है।

तत. घरेलू उद्योग को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वे बाजार कीमत या लागत पर कैप्टिव कच्ची सामग्री हस्तांतरित करते हैं।

थथ. इंडिया ग्लाइकोल्स लिमिटेड और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा एम ई जी के निर्माण के लिए अपनाई गई विभिन्न उत्पादन प्रक्रियाओं के कारण दोनों कंपनियों के क्षति मापदंड और क्षति मार्जिन को इकट्ठा नहीं किया जा सकता।

दद. वास्तविक क्षति और वास्तविक की आशंका, दोनों का आरोप एक ही जांच में नहीं किया जा सकता। पाटनरोधी नियमावली के नियम 4 के तहत, प्राधिकारी वास्तविक क्षति या वास्तविक क्षति की आशंका के बारे में अपने जांच परिणाम प्रस्तुत करेंगे। पंजाब राज्य बनाम राम सिंह भूतपूर्व सिपाही मामले में और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बनाम भारत संघ मामलों ने यह पाया गया है कि शब्द ''अथवा'' को शब्द ''और'' के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता, जो कि योजक और स्वतंत्र है। इसके अलावा, प्रचालन प्रक्रिया मैनुअल में यह प्रावधान है कि क्षति की आशंका का आरोप तब भी लगाया जा सकता है, जब घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई हो।

धध. घरेलू उद्योग को कोई वास्तविक क्षति की आशंका नहीं है क्योंकि निर्यातकों के पास भारत को निर्यातों के लिए आसानी से निपटान किए जाने योग्य क्षमता नहीं है और एम ई जी की कीमतें जांच की अवधि समाप्त होने के बाद से काफी बढ़ गई है।

नन. घरेलू उद्योग का यह दावा कि सऊदी अरब में एम ई जी के लिए कोई मांग मौजूद नहीं है, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचना के प्रतिकूल है।

पप. आवेदकों के अनुरोध से प्रतिकूल, मध्य पूर्व में संबद्ध वस्तुओं के लिए मांग एशिया पैसिफिक क्षेत्र से कम है और चीन वस्त्रों का अग्रणी उत्पादक है, जिसके कारण चीन के उत्पादक क्षमताओं का विस्तार कर रहे हैं।

फफ. किसी उत्पादक को प्राकृतिक और भौगोलिक फायदा घरेलू उद्योग को क्षति के रूप में नहीं माना जा सकता।

बब. यह तर्क कि संबद्ध देशों में आसानी से निपटान होने योग्य क्षमताएं हैं और वैश्विक रूप से अधिक आपूर्ति है, गलत है क्योंकि आयातों की मात्रा में गिरावट आई है, जबकि कीमतों में जांच की अवधि समाप्त होने के बाद से वृद्धि हुइ्र है।

भभ. सऊदी अरब में प्रतिवादी उत्पादक 98 प्रतिशत क्षमता उपयोग पर प्रचालन कर रहे हैं और इसलिए उनके पास कोई अप्रयुक्त क्षमताएं शेष नहीं है।

मम. जहां एक ओर वैश्विक रूप से अधिक आपूर्ति है, वहां वैश्विक खपत में भी वृद्धि होने की संभावना है, जैसा कि घरेलू उद्योग द्वारा भरोसा किए गए जर्नल से स्पष्ट है।

यय. मात्र एक कारक की स्थापना होने से वास्तविक क्षति की आशंका का निर्धारण नहीं किया जा सकता।

ककक. घरेलू उद्योग की महत्वपूर्ण कैप्टिव खपत को शामिल नहीं किया जाना चाहिए और क्षति विश्लेषण के प्रयोजन के लिए उसे अलग किया जाना चाहिए।

खखख. कैप्टिव खपत वाले उत्पाद के हिस्से में आलोक इंडस्ट्रीज, जे बी एफ इंडस्ट्रीज और शुभलक्ष्मी पॉलिस्टर लिए का आर आई एल द्वारा अधिग्रहण होने के साथ ही हाल की अवधि में वृद्धि हुई है। आर आई एल के पास अब अपने कैप्टिव उत्पादन की 70 प्रतिशत खपत होती है, जो बाजार में एम ई जी की उपलब्धता को और भी कम कर देगा।

गगग. क्षमता वर्धन में 28 प्रतिशत तक की वृद्धि होने के कारण मूल्यह्रास में संभावित वृद्धि के चलते लाभों में गिरावट आ रही है। घरेलू उद्योग ने भी कहा है कि उसके कुछ संयंत्रों का मूल्यह्रास हो रहा है।

घघघ. आर आई एल इथेन का आयात करता है, जिसे यातायात के प्रयोजन के लिए संकुचित किए जाने की जरूरत है, जिससे यातायात लागतें अत्यधिक हो रही है। उसके प्रभाव को अलग किया जाना चाहिए।

ङङङ. घरेलू उद्योग ने वर्ष 2018-19 में, जबकि कीमत कटौती नकारात्मक थी, लाभ खो दिया, जिसका तात्पर्य हुआ कि आयात की कीमतों का आर आई एल की लाभप्रदता पर कोई प्रभाव नहीं है।

चचच. रिलायंस को हुई क्षति स्वयं की बढ़ाई गई है, क्योंकि वह अत्यधिक मालभाड़ा और बीमा लागतों के खर्च करके इथेन का आयात कर रहा है, जिससे सऊदी उत्पादकों की तुलना में महत्वपूर्ण लागत नुकसान हुआ है, जिन्हें ऐसी लागतों पर खर्च करना नहीं होता। इसके अलावा, इथेन की तुलना में, इथाइलीन के उत्पादन के लिए नेप्था का उपयोग भी सऊदी अरब के उत्पादकों की तुलना में काफी लागत नुकसान लाता है।

छछछ. घरेलू उद्योग ने संबद्ध वस्तुओं को स्टोर करने के लिए अपेक्षित अवसंरचना में पर्याप्त निवेश नहीं किया और इसके परिणामस्वरूप वह क्षति का सामना कर रहा है। चूंकि घरेलू उद्योग वर्टिकल इंटिग्रेटेड है, अत: यह अन्य उत्पादों के उत्पादन के लिए इथाइलीन का प्रयोग कर सकता है और निरंतर संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन करने और कमतर कीमतों पर बिक्री करने के लिए बाध्य नहीं है।

जजज. आर आई एल शेल गैस परिसंपत्तियों के लिए यू एस में एन्साइन नेचुरल रिसोर्सेज के साथ संयुक्त उद्यम था। इसकी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, आर आई एल के प्रबंधन ने एक अनुचित आकलन किया है। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसा असाधारण नुकसान क्षति रहित कीमत की गणना के लिए अलग किया जाए।

झझझ. आर आई एल को क्षति इस कारण से है कि जब देश में कोविड-19 से प्रभावित लोगों के लिए ऑक्सीजन आपूर्ति की समस्या हो रही थी, तो आर आई एल ने 1000 मी. टन ऑक्सीजन प्रदान की, जो कि एम ई जी की एक कच्ची सामग्री है। ऑक्सीजन को अन्यत्र प्रयोग करने से कच्ची सामग्री के अभाव के कारण एम ई जी का लाभ प्रभावित हुआ।

ञञञ. आर आई एल की वार्षिक रिपोर्ट यह दर्शाती है कि इस लाभों में अच्छी आपूर्ति वाले बाजारों में एम ई जी की मांग कमजोर होने के कारण गिरावट आई है।

टटट. घरेलू उद्योग कम लाभप्रदत्ता पर जांच की अवधि के दौरान निर्यातों में महत्वपूर्ण वृद्धि के प्रभावों का आकलन करने में विफल रहा है। आर आई एल की वार्षिक रिपोर्ट यह दर्शाती है कि कोविड-19 के कारण जब घरेलू बाजार में एम ई जी की मांग में गिरावट आई थी, तो आर आई एल ने अपनी सरप्लस मात्रा सफलतापूर्वक निर्यात बाजारों को भेज दी।

ठठठ. कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की कीमत इथाइलीन और एम ई जी जैसे डाउनस्ट्रीम उत्पादों की कीमत को सीधे प्रभावित करती हैं, जो आर आई एल और आई जी एल की वार्षिक रिपोर्ट से है।

डडड. जीवाश्म (प्राकृतिक गैस) से उत्पन्न एम ई जी का निर्यात भारत में बायो - एम ई जी उत्पादक को क्षति का कारण नहीं हो सकता, जो अपने मौजूदा लागत नुकसानों के कारण से क्षति का सामना कर रहे हैं।

ढढढ. आई जी एल की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, ग्रीन 'पैट्रोकेमिकल्स' और पारंपरिक क्रूड आधारित पैट्रोकेमिकल्स के बीच कीमत वृद्धि का अंतर बायो-एम ई जी की कोराबारी मात्रा पर एक प्रत्यक्ष प्रतिकूल प्रभाव था।

णणण. आई जी एल ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में यह उल्लेख किया है कि वह अपने एक महत्पवूर्ण विकास के क्षेत्र के रूप में निर्यात बाजार पर ध्यान दे रहा है।

ततत. आई जी एल की वार्षिक रिपोर्ट है। यह देखा जा सकता है कि घरेलू उद्योग के निष्पादन में कोविड-19 और बाये – एम ई जी की वैश्विक रूप से कमतर कीमत के कारण कम मात्रा के चलते गिरावट आई है। आई जी एल के देहरादून और काशीपुर के संयंत्र महामारी के कारण 6 माह के लिए बंद कर दिए गए थे।

थथथ. सऊदी अरब से आयातों की मात्रा और घरेलू उद्योग को कथित क्षति के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है, क्योंकि ऐसे आयातों की मात्रा और आयातों के बाजार अंश में ऐसी अवधि के दौरान गिरावट आई है, जिसके दौरान घरेलू उद्योग को कथित क्षति हो रही थी।

ददद. एम ई जी के लिए मांग में, वैश्विक महामारी कारण जांच की अवधि में 7 प्रतिशत तक की कमी आई है, जो कि घरेलू उद्योग की वार्षिक रिपोर्ट से स्पष्ट है।

धधध. घरेलू उद्योग को क्षति यू एस – चीन व्यापार युद्ध कम क्रूड कीमतों के कारण से है, जो कि उनकी वार्षिक रिपोर्टों में स्पष्ट रूप से कहा गया है।

ननन. घरेलू उद्योग का निष्पादन वर्ष 2019-20 में बाजार में मंदी, कमतर कीमत प्राप्ति और कम मांग के चलते प्रभावित हुआ था, जिसके कारण बाजार में अप्रत्याशित मंदी आई है, जैसा कि आर आई एल की वार्षिक रिपोर्ट से स्पष्ट है।

पपप. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता पर भी इथाइलीन की कीमत में उतार-चढ़ाव के कारण प्रभाव पड़ा है और ऐसे प्रभाव की जांच की जानी चाहिए।

फफफ. घरेलू उद्योग के औसत स्टॉक में वृद्धि चीन जन. गण. में स्थापित बड़े एम ई जी के कारण है, जो कि घरेलू उद्योग की वार्षिक रिपोर्ट से स्पष्ट है।

बबब. घरेलू उद्योग की कीमत और मार्जिन, जैसा कि के आई एस या प्लाट्स द्वारा प्रकाशित किया गया है, एम ई जी की सी एफ आर चीन आधारित कीमतों के आधार पर है। तथापि, जैसा कि घरेलू उद्योग द्वारा स्वीकार किया गया है, चीन के बाजार में अत्यधिक आपूर्ति है।

भभभ. घरेलू उद्योग ने वर्ष 2021 में एम ई जी की महत्वपूर्ण कीमत वृद्धि के संबंध में कुछ नहीं कहा है।

ममम. प्रतिवादी उत्पादकों के पास पर्याप्त भंडारण क्षमताएं हैं और उन्हें संबद्ध वस्तुएं भारत में पाटित करने की जरूरत नहीं है।

ययय. वर्तमान जांच में आधार वर्ष पूरी तरह से असामान्य है, जैसा कि वर्ष 2017 में चीन ने प्लास्टिक कचरे के अपने आयात पर रोक लगाने की घोषणा की थी, जिसके कारण, एम ई जी के लिए मांग में वृद्धि हुई है। इसे आर आई एल द्वारा अपनी वर्ष 2017-18 की वार्षिक

रिपोर्ट में भी स्वीकार किया गया है। अत: वर्ष 2017-18 को आधार वर्ष के रूप में प्रयोग करके यह प्रकट किया गया है कि कैसे क्षति दर्शाई गई है। आधार वर्ष को नजरअंदाज अथवा समायोजित किया जाना चाहिए जैसा कि थाइलैंड और यू एस ए से फिनोल के आयातों के संबंध में जांच में किया गया था।

ज. 2. घरेलू उद्योग द्वारा किया गया अनुरोध

87. घरेलू उद्योग द्वारा क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :

क. घरेलू उद्योग संबद्ध आयातों की कीमतों के अनुकूल कीमतें रखने को बाध्य है, जिससे घरेलू उद्योग अपने मात्रा संबंधी मापदंडों को बनाए रख रहा है लेकिन इसकी लाभप्रदत्ता पर गंभीर प्रभाव पड़ा है।

ख. जिस ढंग से उत्पादन प्रक्रिया बनाई गई है, उसके कारण आवेदक पर यह बाध्यता है कि वह इथाइलीन और उसके बाद एम ई जी का उत्पादन करें।

ग. एम ई जी को केवल विशिष्ट भंडारण क्षमताओं में ही स्टोर किया जा सकता है और ऐसी क्षमताएं सीमित होने के कारण उत्पादक उपलब्ध कीमतों पर उत्पाद की बिक्री करने के लिए बाध्य है।

घ. संबद्ध देशों में उत्पाद अन्य उत्पादों के संबंध में उत्पादन श्रृंखला के कारण एम ई जी की बिक्री करने के लिए भी बाध्य हैं, जिसके परिणामस्वरूप वे अपने बाजारों में ऊंची कीमतों पर बिक्री करते हुए अपने उत्पादन का निपटान करने के लिए भारत में पाटन का सहारा लेते हैं।

ङ. एम ई जी के उपयोक्ताओं के लिए कीमत एक महत्वपूर्ण कारक है और इस प्रकार उत्पादक कीमत प्रतिस्पर्धा में लगे हुए हैं।

च. चूंकि एम ई जी एक पैट्रोकेमिकल उत्पाद है, यह अधिकतर पास-थ्रू आधार पर प्रचालन करता है। तथापि, सामग्री की लागत पर पहुंच कीमत को वर्तमान मामले में नजर अंदाज किया गया है, जिससे घरेलू उद्योग अपनी कीमतों को कम करने के लिए मजबूर है।

छ. घरेलू उद्योग ने वर्ष 2019-20 से क्षति का सामना किया है, जो जांच की अवधि में जारी रही है।

ज. संबद्ध वस्तुओं के लिए मांग में पूरी क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है, लेकिन इसमें कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण जांच की अवधि में गिरावट आई है।

झ. यद्यपि शुरू में आयातों की मात्रा अधिक थी, लेकिन इसमें वर्ष 2018-19 में घरेलू उद्योग द्वारा क्षमता विस्तार के कारण गिरावट आई है। तथापि, आयातों की मात्रा में वर्ष 2019-20 में वृद्धि हुई है, लेकिन इसमें जांच की अवधि के दौरान कोविड-19 महामारी के कारण, पुन: गिरावट आई है।

ञ. आयातों की मात्रा देश में मांग आपूर्ति अंतर से अधिक है। इसके अलावा, जब अवधि के दौरान मांग और आपूर्ति का अंतर कम हुआ है तो ऐसे अंतर से अधिक आयात में वृद्धि हुई है।

ट. संबद्ध देशों से आयात जांच की अवधि में कुल आयातों के 95 प्रतिशत है, जबकि अन्य देशों से आयातों में गिरावट आई है।

ठ. आयातों की पहुंच कीमत में काफी गिरावट आई है और जांच की अवधि के दौरान यह न्यूनतम थी।

ड. पहुंच कीमत में गिरावट से इथाइलीन की कीमत में गिरावट आई है, जिसके कारण इथाइलीन पर पहुंच कीमत में इस अवधि के दौरान गिरावट आई है।

ढ. संबद्ध आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है, जबकि घरेलू उद्योग ने अपनी कीमतों के आयात के साथ मुकाबला करने के लिए कम किया है।

ण. कीमत कटौती में परिवर्तन के कारण दावे के संदर्भ में सउदी अरब के लिए कीमत कटौती के बारे में मामूली त्रुटि की पहचान की गई थी और प्राधिकारी द्वारा जांच शुरू करने से पूर्व उसे सुधार लिया गया था।

त. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता वर्ष 2017-18 में अधिक थी, जब कीमत कटौती प्रतिस्पर्धा की अधिक कमी दिखा रही थी तथापि, घरेलू उद्योग आयातों के साथ मुकाबला करने के लिए अपनी कीमतों को कम करने के लिए बाध्य था, जिसके कारण से मामूली कीमत कटौती हुई।

थ. आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों का दमन हो रहा है।

द. घरेलू कीमतों की कटौती के कारण, घरेलू उद्योग की लाभप्रदत्ता में काफी गिरावट आई है। इसके अलावा, कच्ची सामग्री की कीमत पर आयात कीमत में वृद्धि में गिरावट और घरेलू उद्योग के लाभों में गिरावट के बीच एक सीधा संबंध है।

ध. घरेलू उद्योग द्वारा नकदी लाभों और नियोजित पूंजी पर अर्जित प्रतिफल में, जांच की अवधि की शुरुआत की तुलना में काफी गिरावट आई है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के दौरान काफी कम प्रतिफल अर्जित किया है।

न. घरेलू उद्योग के संबद्ध आयातों के कारण हुई पर्याप्त क्षति के कारण, नुकसान पर निर्यात करने के लिए बाध्य किया जा रहा है।

प. घरेलू उद्योग ने मात्र यह अपेक्षा की है कि मूल्यह्रास वाले संयंत्रों पर अनुमत प्रतिफल नए संयंत्र के लिए प्रतिफल पर आधारित होना चाहिए। ऐसा प्रस्ताव अनुबंध-III के अंतर्गत अलग नहीं है, जिसके तहत केवल यह अपेक्षित है कि तर्कसंगत प्रतिफल प्रदान किया जाए, जो इस मामले में 22 प्रतिशत से अधिक है। इसके अलावा, मूल्यह्रास वाली परिसंपत्तियों के आधार वर्ष पर निर्धारित क्षतिरहित कीमत से केवल आर आई एल की स्थिति का समाधान होगा, जिससे किसी भी नए उत्पादकों के लिए भेदभावपूर्ण होगा, जैसा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी मामले में पाया गया है। घरेलू उद्योग ने 22 प्रतिशत प्रतिफल की अनुमति देने की प्राधिकारी की निरंतर प्रथा रही है, जब तक कि हितबद्ध पक्षकार साक्ष्य के साथ विभिन्न प्रतिफल के विचार की जरूरत को प्रदर्शित न करें, जैसा कि अनेक मामलों में ट्रिब्यूनल द्वारा पाया गया है।

फ. ब्रिज स्टोन टायर मैन्यूफैक्चरिंग बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी मामले में, हिबद्ध पक्षकारों ने यह प्रदर्शित करने के लिए साक्ष्य रखे हैं कि कमतर प्रतिफल उत्पादकों द्वारा वैश्विक रूप से अर्जित किए थे।

ब. जहां तक यूरोपियन फर्टिलाइजर मैन्यूफैकचर्स एसोसिएशन (ई एफ एम एम) बनाम काउंसिल पर निर्भरता का संबंध है, घरेलू उद्योग का यह कहना है कि उसे कोई आपत्ति नहीं है, यदि प्राधिकारी हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के अनुसार, क्षति रहित कीमत का निर्धारण करने के लिए विगत में उसके द्वारा अर्जित अधिक प्रतिफल को स्वीकार करते हैं।

भ. यद्यपि संबद्ध वस्तुओं के लिए कम मांग, अपनी समग्र क्षमता का उपयोग करने के लिए घरेलू उद्योग के लिए पर्याप्त रही होगी, लेकिन वह आयातों से अत्यधिक प्रतिस्पर्धा के कारण ऐसा करने में असमर्थ था।

म. आर आई एल के उत्पादों की समग्र मूल्य श्रृंखला के निष्पादन की जांच के लिए दावे के संबंध में, यह अनुरोध है कि चूंकि घरेलू उद्योग के सभी आर्थिक मापदंडों के बारे में सूचना समान वस्तु के लिए अपने आप ही उपलब्ध है, व्यापक मात्रा में उत्पादों का संदर्भ अनुबंध-II के पैरा (vi) के अंतर्गत अनुमत नहीं है। इसके अलावा, अन्य उत्पादों के लिए संसाधनों का आवंटन स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि समान वस्तु का उत्पाद क्षति के कारण अव्यवहार्य हो गया है। बहरहाल, एम ई जी के उत्पादन में जांच की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है और इस प्रकार अन्य उत्पादों के लिए इथाइलीन का प्रयोग आवश्यक नहीं है।

य. चूंकि आर आई एल स्टैंड अलोन बिजनेस यूनिट (एस बी यू) आधार पर प्रचालन करता है, अन्य उत्पादों के संबंध में कोई भी व्यय, जिसमें कोई क्षति संबंधी व्यय भी शामिल है, उत्पादन की लागत का निर्धारण करने के लिए अथवा क्षतिरहित कीमत के लिए नहीं किया गया है।

कक. इस दावे के संबंध में कि प्राधिकारी को पाटित आयातों की मात्रा और कीमत के प्रभाव, दोनों की जांच करनी चाहिए, अनुरोध है कि प्राधिकारी को ही यह जांच करनी अपेक्षित है कि क्या आयातों की मात्रा अथवा कीमत प्रभाव था, जिससे घरेलू उद्योग को क्षति का निर्धारण हो सके। ऐसी संकल्पना प्राधिकारी द्वारा जापान, इरान, कतर और ओमान से कास्टिक सोडा के मामले में अपनाई गई थी।

खख. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के दावों के प्रतिकूल, प्राधिकारी को अनुबंध-II के पैरा (vii) के अंतर्गत प्रदत्त प्रत्येक मापदंड का विश्लेषण करना अपेक्षित नहीं है और एक या अधिक मापदंडों की मौजूदगी पर यू एस-सॉफ्टवुड लुम्बर मामले में डब्ल्यू टी ओर पैनल द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार क्षति की आशंका का निर्धारण करने पर विचार किया जा सकता है।

गग. हितबद्ध पक्षकारों के दावों के प्रतिकूल, प्राधिकारी को संचित विश्लेषण की पूर्व शर्त के रूप में देश-वार मात्रा और कीमत का विश्लेषण करने की जरूरत नहीं है, जैसा कि ई सी – ट्यूब अथवा पाइप फिटिंग मामले में अपील निकाय द्वारा पाया गया है।

घघ. जहां तक वर्ष 2017-18 को बाहर करने के लिए दावे का संबंध है, चूंकि यह एक आपवादिक अवधि थी, यह अनुरोध है कि घरेलू उद्योग के निष्पादन में वर्ष 2016-17 अथवा 2018-19 की तुलना में जांच की अवधि में गिरावट आई है, जबकि 2017-18 के लिए आकड़ों को बाहर कर दिया गया था। इसके अलावा, अनुबंध-II के पैरा (v) के अन्य कारकों के कारण क्षति को अलग करना अपेक्षित है, लेकिन अन्य कारकों के कारण निष्पादन में सुधार को अलग करने की जरूरत नहीं है।

ङङ. घरेलू उद्योग को क्षति अन्य कारकों के कारण नहीं है।

चच. पाटित आयातों और घरेलू उद्योग को क्षति के बीच एक कारणात्मक संबंध मौजूद है।

छछ. प्राधिकारी को घरेलू उद्योग के लिए मौजूद विशेषताओं के बारे में गैर-आरोपण विश्लेषण करने की जरूरत नहीं, है जो अपरिवर्तित रही है, जैसे प्रयुक्त कच्ची सामग्री, जैसा कि यूरोपीय संघ – बायोडीजल मामले में अपील निकाय द्वारा पाया गया है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग को क्षति को इसकी मौजूदगी के रूप में देखा जाना चाहिए।

जज. बायो एम ई जी और पैट्रोकेमिकल आधारित एम ई जी इसी बाजार में स्पर्धा करते हैं और इस प्रकार, आयातों की कीमत में गिरावट होने से आई जी एल को अपनी कीमतें कम करनी पड़ेगी, जिससे लाभप्रदता में गिरावट आएगी।

झझ. आई जी एल अपनी उत्पादन क्षमताओं का पूरा उपयोग करने में असमर्थ रहा है क्योंकि बाजार में सस्ते आयात मौजूद रहे हैं और वह वस्तुओं का निर्यात करने पर बाध्य रहा है।

ञञ. अन्य हितबद्ध पक्षकार साक्ष्य के साथ घरेलू उद्योग के निष्पादन पर कोविड-19 के प्रभाव को प्रदर्शित करने में विफल रहे हैं।

टट. आई जी एल ने कोविड-19 महामारी की केवल अल्प अवधि के लिए ही अपने संयंत्रों को बंद किया था, जबकि आर आई एल ने मांग में गिरावट के बावजूद अपने संयंत्रों का प्रचालन जारी रखा, क्योंकि बंद करने की लागत का अपस्ट्रीम संयंत्र पर व्यापक प्रभव होगा। इसके अलावा आर आई एल निरंतर पाटित आयातों के कारण पर्याप्त घरेलू मांग के बावजूद पर्याप्त मात्रा में निर्यात के लिए मजबूर था।

ठठ. घरेलू उद्योग ने वर्ष 2019-20 से क्षति का सामना किया है, जो कि महामारी से पूर्व की अवधि थी। इसके अलावा कम क्रूड कीमतें और महामारी वैश्विक कारक रहे हैं, जिनके प्रभाव घरेलू उद्योग तक सीमित नहीं हैं।

डड. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के दावों के विपरीत, एम ई जी की कीमतों में गिरावट कोविड-19 के कारण नहीं है, क्योंकि उसके कारण हुआ शट-डाउन लागतों में वृद्धि के कारण और कीमतों में वृद्धि के कारण ही हो सकता है। तथापि, संबद्ध आयातों की कीमत में जांच की अवधि के दौरान गिरावट आई है।

ढढ. घरेलू उद्योग ने घरेलू बिक्रियों में कम लाभों के कारण क्षति का दावा किया है। इसके अलावा, यदि फीडस्टॉक की कीमत, जो निर्यातकों के लिए उपलब्ध है, पर विचार किया जाता है तो घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में वृद्धि होने की संभावना है।

णण. दावा की गई क्षति निर्यात बिक्रियों के कारण नहीं हो सकती और यह घरेलू बाजार में निष्पादन से ही संबद्ध है।

तत. घरेलू उद्योग को निवेशों के कारण क्षति नहीं हुई है, क्योंकि घरेलू उद्योग के लिए ई बी आई डी टी ए में कमी आई है।

थथ. घरेलू उद्योग के निष्पादन में कमतर कीमत वसूली और संबद्ध वस्तुओं के पाटन के चलते परिवर्तनशीलता के कारण वर्ष 2019-20 में गिरावट आई है। इस कारण से घरेलू उद्योग ने पहले भी दिसंबर 2019 में एक याचिका दाखिल की थी।

दद. घरेलू उद्योग ने कच्ची सामग्रियों की कमी के कारण किसी क्षति का सामना नहीं किया है। इसके अलावा, कोविड-19 के दौरान आर आई एल द्वारा ऑक्सीजन का प्रावधान उसके अपने उत्पादन की लागत पर नहीं था।

धध. बाजार में अधिक आपूर्ति के साथ-साथ वर्ष 2019-20 में चीन जन. गण. में क्षमताओं में वृद्धि के चलते कीमत प्रतिस्पर्धा शुरू हुई, जिसके कारण संबद्ध देशों में उत्पादकों को अपनी कीमतें कम करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे पाटन हुआ।

ननन. एमईजी की सीएफआर चीन कीमतों के लिए बैंच मार्क कीमत पर वैश्विक रूप से बिक्री की जाती है। तथापि, संबद्ध देशों में उत्पादक भारत को निर्यात करते समय डिस्काउंट पेश करते हैं, जिससे घरेलू उद्योग अपनी कीमतों को कम करने पर विवश है, जिससे कीमत क्षति होती है।

पप. आर आई एल ने जे बी एफ इंडस्ट्रीज और शुभलक्ष्मी पॉलियर्स को अधिग्रहित नहीं किया है। इसके अलावा, आर आई एल द्वारा आलोक इंडस्ट्रीज के अधिग्रहण से उत्पाद की मांग या आपूर्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता।

फफ. अन्य देशों में एम ई जी की कीमतों में गिरावट वर्तमान जांच के लिए संगत नहीं है।

बब. एम ई जी की कीमतों में जांच की अवधि के बाद वृद्धि अस्थायी है जो मालभाड़ा कंटेनर दरों में वृद्धि के कारण है।

भभ. यू एस – चीन व्यापार मामले में जांच की अवधि के दौरान क्षति नहीं हुई है, क्योंकि यू एस से चीन जन. गण. को एम ई जी के निर्यातों में ऐसी अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

मम. घरेलू उद्योग को आगे वास्तविक क्षति होने की आशंका मौजूद है।

यय. संबद्ध देशों में उत्पादकों के पास अप्रयुक्त क्षमताएं हैं, जिनका भारत को निर्यातों की मात्रा में वृद्धि के लिए प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा, ऐसी अप्रयुक्त क्षमताएं भारत में कुल मांग की कुल 95 प्रतिशत तक हैं।

ककक. महत्वपूर्ण उत्पादन के साथ साथ एम ई जी के लिए सीमित मांग के कारण वैश्विक रूप से अधिक आपूर्ति हुई है, जिसके परिणामस्वरूप उत्पादकों ने अपने बाजार अंश में वृद्धि करने के लिए अपनी कीमत को कम करके अनुचित व्यापार प्रक्रियाओं का सहारा लिया है।

खखख. संबद्ध देशों में एम ई जी के लिए न्यूनतम मांग मौजूद हैं, जो यह दर्शाती है कि ऐसे देशों में कुल उत्पादन निर्यातों के लिए होता है।

गगग. संबद्ध देशों में उत्पादकों ने जांच की अवधि में अपनी क्षमताएं बढ़ाई हैं जो वर्ष 2021 से पूरी तरह से प्रभावी हो जाने की संभावना है।

घघघ. संबद्ध देशों के अलावा, चीन जन. गण. में उत्पादकों ने भी अपनी क्षमताएं बढ़ाई हैं, जिसका अर्थ है कि चीन के बाजार में संबद्ध आयातों के लिए कम मांग है।

ङङङ. सकारात्मक कीमत कटौती का अर्थ यह है कि शुल्कों को नहीं लगाया जाता है, तो आयातों से कीमतों का ह्रास और मंदी की संभावना है।

चचच. कुवैत और सउदी अरब के उत्पादकों को अनुचित रूप से कम कीमतों पर इनपुट सामग्री प्राप्त हुई है, जिसके कारण अन्य बाजारों की तुलना में उनके घरेलू बाजारों में कीमतें कम हुई हैं।

ज. 3. प्राधिकारी द्वारा जांच

88. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को क्षति होने के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों और प्रतितर्कों की जांच की है, प्राधिकारी द्वारा किया गया क्षति विश्लेषण यहां हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों का समाधान करता है।

I. संचयी आकलन

89. डब्ल्यू टी ओ करार के अनुच्छेद 3.1 और नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (iii) में यह प्रावधान है कि ऐसे मामलों में, जहां एक से अधिक देशों से किसी उत्पाद का आयात पाटनरोधी जांचों के अधीन है, वहां प्राधिकारी ऐसे आयातों के प्रभाव का संचित आकलन करेंगे, यदि यह निर्धारित किया जाता है :

(क) प्रत्येक देश के आयातों के संबंध में स्थापित पाटन का मार्जिन दो प्रतिशत से अधिक है, जिसे निर्यात कीमत की प्रतिशतता के रूप में व्यक्त किया गया है और प्रत्येक देश से आयातों की मात्रा समान वस्तु के आयात का 3 प्रतिशत अथवा अधिक है अथवा जहां अलग अलग देशों के निर्यात तीन प्रतिशत से कम हैं, वहां साझा रूप से आयात समान वस्तु के आयात के 7 प्रतिशत से अधिक होते हैं; और

(ख) आयातों के प्रभाव का संचित आकलन आयातित वस्तु और समान घरेलु वस्तुओं के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों के आलोक में उपयुक्त है।

90. प्राधिकारी नोट करते हैं कि:

क. संबद्ध वस्तुएं संबद्ध देशों से भारत में पाटित की जा रही हैं। प्रत्येक संबद्ध देश से पाटन का मार्जिन, नियमावली के तहत निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है।

ख. प्रत्येक संबद्ध देश से आयातों की मात्रा अलग-अलग रूप से आयातों की कुल मात्रा का 3 प्रतिशत से अधिक है।

ग. आयातों के प्रभाव का संचित आकलन उपयुक्त है, क्योंकि संबद्ध देशों से निर्यात न केवल सीधे परस्पर प्रतिस्पर्धा करते हैं, बल्कि भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत समान वस्तुओं के साथ भी प्रतिस्पर्धा करते हैं।

91. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए इन तर्कों के संबंध में कि कुवैत, सऊदी अरब और यू एस ए से आयातों का संचित रूप से विश्लेषण नहीं किया जा सकता क्योंकि सउदी अरब से आयातों की कीमत में गिरावट आई है, जबकि कुवैत और यू एस ए से आयातों की कीमत में गिरावट नहीं आई है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 3.3 और अनुबंध-II के पैरा (iii) के तहत यह प्रावधान है कि सभी संबद्ध देशों से आयातों का संचित विश्लेषण करने से पूर्व शर्तों को पूरा किया जाना है। ऐसे प्रावधानों में ऐसे संचयन से पूर्व कीमतों का देश-वार विश्लेषण करने की

प्राधिकारी को कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा ही दृष्टिकोण ब्राजील से मेलिएबल कास्ट आयरन ट्यूब या पाइप फिटनेस [डीएस/129/एबी] पर ई सी – पाटनरोधी शुल्कों में अपील निकाय ने भी लिया है, जिसमें यह पाया गया था कि -

> *''110. हम ब्राजील की धारणा के लिए अनुच्छेद 3.3 के पाठ में कोई आधार नहीं पाते कि पाटित आयातों की मात्रा और कीमतों के संभावित नकारात्मक प्रभावों का देश – विशिष्ट विश्लेषण सभी पाटित आयातों के प्रभावों का एक संचित आकलन करने के लिए एक पूर्व – शर्त है। अनुच्छेद 3.3 में स्पष्ट रूप से शर्तें निर्धारित की गई हैं जिन्हें जांच प्राधिकारियों द्वारा एक से अधिक देश से पाटित आयोग के प्रभावों का संचित आकलन करने से पूर्व पूरा किया जाना चाहिए। देश से देश की मात्रा का कोई संदर्भ नहीं है और कीमत विश्लेषण, जिसके लिए ब्राजील का तर्क है, संचित करने की पूर्व शर्त है। वास्तव में, अनुच्छेद 3.3 में स्पष्ट रूप से एक जांच प्राधिकारी को देश विशिष्ट मात्रा की जांच करना अपेक्षित है, न कि ब्राजील द्वारा सुझाए गए ढंग से, लेकिन निर्धारण करने के प्रयोजन के लिए क्या ''प्रत्येक देश से आयातों की मात्रा नगण्य नहीं है।''*

92. उपरोक्त को देखते हुए, प्राधिकारी ने यह मानते हैं कि कुवैत, सउदी अरब और यू एस ए से संचित रूप से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के प्रभाव का आकलन करना उपयुक्त है।

93. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह दावा किया है कि महत्वपूर्ण मात्रा और कीमत प्रभाव, दोनों ही वास्तविक क्षति के निष्कर्ष के लिए मौजूद होने चाहिए। यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग को क्षति के निर्धारण के संबंध में, नियमावली के अनुबंध-।। पैरा (i) में यह प्रावधान है कि प्राधिकारी को घरेलू कीमतों पर पाटित आयातों के कीमत प्रभाव व पाटित आयातों की मात्रा, घरेलू उद्योग पर ऐसे आयातों के प्रभाव, दोनों की जांच करनी चाहिए। पैरा (i) के संदर्भ में ''दोनों'' शब्द, आयात और कीमत के प्रभाव की एक ओर जांच करने तथा घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के संबंध में है, तथापि, ऐसा प्रावधान में प्राधिकारी के लिए अनिवार्य नहीं है कि घरेलू उद्योग को क्षति की मौजूदगी का निर्धारण केवल वहां किया जाए जहां आयातों की मात्रा में वृद्धि हुई है और पाटित आयातों का कीमत पर प्रतिकूल प्रभाव है।

94. इस तर्क के संबंध में कि मूल्य श्रृंखला के समग्र निष्पादन पर विचार किया जाना चाहिए, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-।। के पैरा (vi) के प्रावधानों के अनुसार, जिनका कि नीचे उल्लेख किया गया है, घरेलू उद्योग के मापदंडों पर आयातों के प्रभाव का केवल समान वस्तु के संबंध में आकलन किया जाएगा :

> *''(iv) समान वस्तु के घरेलू उत्पादन के संबंध में पाटित आयातों के प्रभाव का आकलन किया जाएगा, जब उपलब्ध डेटा से ऐसे मानदंडों जैसे उत्पादन प्रक्रिया, उत्पादकों की बिक्री और लाभ के आधार पर उस उत्पादन की अलग पहचान होती है। यदि उस उत्पादन की अलग पहचान संभव नहीं हो, तो पाटित आयातों के प्रभाव का आकलन किया जाना चाहिए, इसके लिए सबसे छोटे समूह के उत्पादन या उत्पाद की रेंज की जांच की जाएगी, जिसमें ऐसे समान उत्पाद शामिल है, जिनके लिए आवश्यक सूचना प्रदान की जा सकती है।''*

95. वर्तमान मामले में, घरेलू उद्योग द्वारा समान वस्तु के उत्पादन, बिक्री और लाभप्रदता के संदर्भ में निष्पादन के लिए अलग आंकड़े उपलब्ध कराए गए हैं जो पैरा (vii) के प्रावधानों के अनुसार क्षति विश्लेषण का आधार बनेगा। के ऊपर। तदनुसार, अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम उत्पादों सहित इसकी समग्र मूल्य श्रृंखला में आवेदक का प्रदर्शन प्रासंगिक नहीं है । तदनुसार, आवेदक का निष्पादन अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम उत्पादों सहित पूरी मूल्य श्रृंखला में संगत नहीं है।

96. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने भी यह दावा किया है कि चूंकि 2017 एम ई जी उद्योग के लिए एक आपवादिक वर्ष था, उसे क्षति विश्लेषण से बाहर किया जाना चाहिए। इस संबंध में, थाइलैंड, और यू एस ए से फिनोल के मामले में प्राधिकारी के जांच परिणामों पर भरोसा किया गया है। प्राधिकारी ने जांच की अवधि के लिए आधार वर्ष की तुलना करके और वर्ष दर वर्ष विश्लेषण करके क्षति जांच की है।

97. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने भी यह दावा किया है कि चूंकि आई जी एल एक अलग उत्पादन प्रक्रिया का प्रयोग करके बायो एम ई जी का उत्पादन करता है। आर आई एल और आई जी एल के लिए क्षति मापदंडों को इकट्ठा नहीं किया जा सकता। प्राधिकारी ने पाया है कि समान उत्पाद के लिए घरेलू उद्योग के संबंध में क्षति विश्लेषण किए जाने की जरूरत है। जैसा कि ऊपर नोट किया गया है, इथेन/ बुटेन/ प्रोपेन से उत्पादित एम ई जी और बायो एम ई जी समान उत्पाद है और इसलिए इन्हें क्षति विश्लेषण में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा, दोनों उत्पाद एक ही बाजार में प्रतिस्पर्धा करते हैं, और प्रयोक्ताओं द्वारा बदल-बदल कर प्रयोग में लाए जाते हैं। इस प्रकार, इथेन/ बुटेन/ प्रोपेन से तैयार एम ई जी की मांग अथवा कीमतों में कोई भी बदलाव बायो एम ई जी पर पड़ेगा। इस प्रकार इस संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए तर्क मान्य नहीं हैं।

98. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध - II के साथ पठित नियम 11 में यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में ''. . . पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इस प्रकार के आयातों का परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत तथ्यों पर विचार करते हुए . . .'' घरेलू उद्योग की क्षति को दर्शाने वाले कारकों की जांच शामिल होगी। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय, इस बात की जांच करना आवश्यक माना गया है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा यह कि इस प्रकार के आयातों के प्रभाव से अन्यथा कीमतों पर बहुत अधिक मात्रा में दबाव पड़ता अथवा कीमत में वृद्धि बहुत अधिक हद में रूक जाती जो अन्यथा बहुत अधिक हद तक हुई होती। भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए, इस उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सूचकांकों जैसे उत्पादन, क्षमता का उपयोग, बिक्री की मात्रा, माल सूची, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति, पाटन का आकार और मार्जिन आदि पर इस नियमावली के अनुबंध II के अनुसार विचार किया गया है।

99. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को क्षति के संबंध में घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विभिन्न अनुरोधों को नोट किया है और रिकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों तथा लागू कानूनों के अनुसार उसका विश्लेषण किया है। प्राधिकारी द्वारा किया गया क्षति विश्लेषण यहां हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों का स्वत: समाधान करता है।

II. मांग/ स्पष्ट खपत का आकलन

100. वर्तमान जांच के प्रयोजन से प्राधिकारी ने भारत में संबंधित उत्पाद की मांग अथवा स्पष्ट खपत को घरेलू उद्योग और अन्य भारतीय उत्पादकों तथा सभी स्रोतों से आयातों के जोड़ के रूप में परिभाषित किया गया है। इस प्रकार से आकलित मांग नीचे तालिका में दी गई है –

विवरण	इकाई	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि
कैप्टिव खपत सहित					
घरेलू उद्योग की बिक्रिया	मी. टन	***	***	***	***

प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	146	146	133
अन्य उत्पादकों की बिक्रियां	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	97	97
संबद्ध आयात	मी. टन	9,05,364	5,41,087	7,07,961	5,23,864
अन्य आयात	मी. टन	1,60,583	91,173	78,587	27,747
कुल मांग	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	103	109	93
कैप्टिव खपत को छोड़कर					
घरेलू उद्योग की बिक्रियां	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	168	176	156
घरेलू उत्पादकों की बिक्रियां	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	97	97
संबद्ध आयात	मी. टन	9,05,364	5,41,087	7,07,961	5,23,864
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	60	78	58
अन्य आयात	मी. टन	1,60,583	91,173	78,587	27,747
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	57	49	17
कुल मांग	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	93	103	85

101. यह देखा गया है कि विचाराधीन उत्पाद के लिए मांग (कैप्टिव खपत सहित) वर्ष 2019-20 तक धीरे-धीरे लगातार बढ़ रही थी लेकिन जांच की अवधि में इसमें गिरावट आई है । घरेलू उद्योग ने यह दावा किया है कि यदि ऐसी गिरावट कोविड-19 महामारी के कारण है और यह अस्थायी है ।

III. पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

102. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे इस तथ्य पर विचार करें कि क्या पाटित आयातों में भारत में या तो पूर्ण रूप से अथवा भारत में उत्पादन या खपत की तुलना में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। क्षति के विश्लेषण के उद्देश्य से, प्राधिकारी ने डी जी सी आई एंड एस से किए गये लेन-देन वार आयातों आंकड़ों पर विश्वास किया है। क्षति जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं की आयात मात्रा और पाटित आयातों का हिस्सा नीचे दिया गया है :

विवरण	इकाई	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि
संबद्ध आयात	मी. टन	9,05,364	5,41,087	7,07,961	5,23,864
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	60	78	58
कुवैत	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	80	100	89
प्रवृत्ति	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	42	49	23
यू एस ए		***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	55	1,15,850	86,403

अन्य आयात	मी. टन	1,60,583	91,173	78,587	27,747
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	57	49	17
निम्नलिखित के संबंध में संबद्ध आयात					
उत्पादन	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	45	61	44
खपत	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	58	72	62
कुल आयात	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	101	106	112

103. यह नोट किया जाता है कि जांच की अवधि के दौरान और भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में संबद्ध आयातों की मात्रा में पूर्ण रूप से कमी आई है। यह कमी घरेलू उद्योग द्वारा स्वीकार किए गए COVID-19 के कारण हो सकती है। तथापि, आयातों की मात्रा ने घरेलू उद्योग के निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाला है ।

IV. पाटित आयातों का कीमत संबंधी प्रभाव

104. इस नियमावली के अनुबंध-II (ii) के संदर्भ में, कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे इस तथ्य पर विचार करें कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत से तुलना किये जाने पर पाटित आयातों के द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा क्या इस प्रकार के आयातों के प्रभाव के कारण काफी मात्रा में कीमतों पर अन्यथा दबाव पड़ने वाला है अथवा कीमत में वृद्धि रूकने वाली है जो अन्य प्रकार से काफी हद तक हुई होती। इस संबंध में, संबद्ध वस्तुओं के लिए घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति के साथ संबद्ध देशों से आयातों की पहुंच कीमत के बीच तुलना की गई है।

कीमत कटौती

105. कीमत कटौती का निर्धारण करने के लिए उत्पाद के पहुंच मूल्य और घरेलू उद्योग की औसत बिक्री कीमत के बीच सभी निवल छूटों और करों की व्यापार के समान स्तर पर तुलना की गई है। घरेलू उद्योग की कीमतें करखाना बाह्य स्तर पर निर्धारित की गई थी।

विवरण	इकाई	कुवैत	सउदी अरब	यू एस ए	संबद्ध देश
निवल बिक्री कीमत	रु. /मी. टन	***	***	***	***
पहुंच कीमत	रु. /मी. टन	***	***	***	***
कीमत कटौती	रु. /मी. टन	***	***	***	***
कीमत कटौती	%	***	***	***	***
कीमत कटौती	रेंज	0-10	0-10	10-20	0-10

106. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है। कीमत कटौती कुवैत और सऊदी अरब के मामले में *** के बीच है जहां से अधिकतम पाटित आयात हुआ था।

ii. कीमत ह्रास/ दबाव

107. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या आयातों का प्रभाव, एक महत्वपूर्ण मात्रा में कीमतों पर दबाव डालने के लिए अथवा कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए है, जो अन्य हो गई होती, घरेलू उद्योग द्वारा क्षति अवधि के दौरान लागतों और कीमतों में परिवर्तनों के लिए दी गई सूचना की, पहुंच मूल्य के साथ तुलना की गई है।

विवरण	इकाई	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि
बिक्रियों की लागत	रु. /मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	126	104	87
बिक्री कीमत	रु. /मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	97	70	65
कच्ची सामग्री की लागत	रु. /मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	119	91	76
पहुंच कीमत	रु. /मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	106	72	62

108. यह देखा गया है कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्रियों की लागत और बिक्रियों की कीमत, दोनों में गिरावट आई है।

109. घरेलू उद्योग के इस अनुरोध के संबंध में कि क्षति का विश्लेषण या तो मात्रा या कीमत प्रभाव के रूप में किया जाना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति का आकलन घरेलू उद्योग की समग्र स्थिति के आधार पर किया जाना चाहिए, न कि केवल इस प्रभाव पर कि आयात कीमत पर है। घरेलू उद्योग ने मात्रा मापदंडों के संदर्भ में क्षति का प्रदर्शन नहीं किया है लेकिन यह कहा है कि संबद्ध आयातों की कम कीमतों के कारण उसे क्षति हो रही है। इसके बावजूद, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग पर आयातों के कीमत प्रभावों का विश्लेषण किया है ।

110. इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग को अपने बाजार हिस्से को बनाए रखने के लिए संबद्ध आयातों की कीमतों के बराबर करने के लिए मजबूर किया गया था, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के उक्त दावे की जांच की है। यह नोट किया जाता है कि क्षति जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में गिरावट आई है और घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत उसकी बिक्री लागत से अधिक है । बिक्री मूल्य और बिक्री की लागत के बीच का अंतर जांच अवधि के दौरान लगभग 20% है जबकि 2019-20 के दौरान यह लगभग 8% था। घरेलू उद्योग यह दावा करने के लिए आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में अपनी बिक्री लागत और बिक्री कीमत के बीच अंतर में कमी पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकता है कि वह संबद्ध देश से आयातों के कारण कीमत ह्रास या कीमत ह्रास झेल रहा है। साथ ही, घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से और बिक्री में आधार वर्ष से जांच की अवधि तक सुधार हुआ है ।

111. घरेलू उद्योग ने यह भी दावा किया है कि: (ए) आयातों की पहुंच कीमत में काफी गिरावट आई है और यह जांच की अवधि के दौरान सबसे कम थी; (बी) पहुंच मूल्य में गिरावट ने एथिलीन की कीमत में गिरावट को पीछे छोड़ दिया है। प्राधिकारी ने पहले ही नोट कर लिया है कि घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत में गिरावट आई है और घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत बिक्री की लागत से अधिक है। इसके अलावा, 2019-20 की तुलना में पीओआई के दौरान बिक्री की लागत में लगभग 16% की

कमी की गई है, जबकि इसी अवधि में भूमि मूल्य में लगभग 14% की कमी की गई है। आधार वर्ष के साथ तुलना हमेशा सही तस्वीर नहीं दे सकती है। इसलिए, आयातों की पहुंच कीमत में गिरावट को कीमत ह्रास या ह्रास का कारण नहीं कहा जा सकता है ।

V. घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड

112. इस नियमावली के अनुबंध ।। में यह प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में सभी संगत आर्थिक कारकों और सूचकांकों जो उद्योग की स्थिति जिसमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेश पर प्रतिफल अथवा क्षमता का उपयोग शामिल है; घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारकों, पाटन के मार्जिन का आकार; नकदी के प्रवाह, माल सूची, रोजगार, मजदूरी, विकास, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभावों का वस्तुपरक और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति संबंधी मापदंडों की चर्चा नीचे की गई है।

i. क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री

113. क्षमता, उत्पादन, क्षमता उद्योग और बिक्रियों के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादन इस प्रकार है :

विवरण	इकाई	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि
क्षमता	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	128	128	128
समायोजित क्षमता	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	128	128	127
उत्पादन	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	141	136	139
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	111	106	109
घरेलू बिक्रियां	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	168	176	156
निर्यात बिक्रियां	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	157	66	223
कैप्टिव खपत	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	130	124	116
घरेलू बिक्री के संबंध में कैप्टिव खपत	मी. टन	***	***	***	***

114. यह नोट किया गया है कि :

क. घरेलू उद्योग की क्षमता में, घरेलू उद्योग द्वारा क्षमता विस्तार किए जाने के कारण वर्ष 2018-19 में वृद्धि हुई है और उसके बाद स्थिर रही है।

ख. घरेलू उद्योग के उत्पादन और क्षमता उपयोग में वर्ष 2019-20 में गिरावट आई है लेकिन जांच की अवधि में वृद्धि हुई है। पीओआई के दौरान उत्पादन में 2% से अधिक की वृद्धि हुई है।

ग. घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्रियों में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है और कोविड-19 महामारी के कारण मांग में वृद्धि होने के फलस्वरूप केवल जांच की अवधि में गिरावट आई है।

ii. बाजार हिस्सा

115. घरेलू उद्योग और अन्य भारतीय उत्पादकों का बाजार हिस्सा इस प्रकार है :

विवरण	इकाई	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि
कैप्टिव खपत सहित					
घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	142	134	143
अन्य उत्पादक	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	97	89	104
संबद्ध देश	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	58	72	62
अन्य देश	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	55	45	19
कैप्टिव खपत को छोड़कर					
घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	181	171	184
अन्य उत्पादक	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	107	94	114
संबद्ध देश	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	64	76	68
अन्य देश	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	61	47	20

116. यह नोट किया जाता है कि जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है । यह इंगित करता है कि पाटित आयातों ने घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाला है।

iii. मालसूची

117. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की मालसूचियां इस प्रकार है :

विवरण	इकाई	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि
प्रारंभिक मालसूची	मी. टन	***	***	***	***
अंतिम मालसूची	मी. टन	***	***	***	***
औसत मालसूची	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	144	196	156

118. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग के पास वस्तु सूचियों में वर्ष 2019-20 तक महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, लेकिन जांच की अवधि में गिरावट आई है। पिछले वर्ष (अर्थात 2019-20) की तुलना में जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की औसत सूची में काफी कमी आई है जो घरेलू उद्योग के वित्तीय सुधार का एक महत्वपूर्ण संकेतक है।

iv. लाभप्रदता, नकदी लाभ तथा नियोजित पूंजी पर प्रतिफल

119. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदत्ता, नकदी लाभ और निवेश पर प्रतिफल इस प्रकार है :

विवरण	इकाई	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि
बिक्रियों की लागत	रु. /मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	126	104	87
बिक्री कीमत	रु. /मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	97	70	65
लाभ/ (हानि)	रु. /मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	48	14	28
लाभ/ (हानि)	रु. लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	81	25	44
नकद लाभ	रु. लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	94	51	60
नियोजित पूंजी पर प्रतिफल	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	108	45	61

120. घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान लाभप्रदता मानकों में भारी गिरावट आई है । तथापि, यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग का लाभ 2019-20 तक कम हुआ है लेकिन जांच की अवधि के दौरान इसमें वृद्धि हुई है। बिक्री की लागत पर पीओआई के दौरान अर्जित लाभ का प्रतिशत लगभग *** है (2019-20 के दौरान *** की तुलना में)। हालांकि, 2019-20 की तुलना में पीओआई के दौरान बिक्री मूल्य में कमी आई है, लेकिन इसी अवधि के दौरान बिक्री की लागत में कमी बहुत अधिक है। इसके अलावा, 2019-20 की तुलना में जांच की अवधि के दौरान नकद लाभ में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 2019-20 की तुलना में पीओआई के दौरान नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ में भी सुधार हुआ है। व्यापक पूंजी निवेश के कारण, जांच की अवधि के दौरान आरओसीई लगभग *** है; जो प्रारंभिक अवधि के निवेश के दौरान होता है क्योंकि उत्पाद का निश्चित बाजार आकार प्रारंभिक वर्षों के दौरान निवेश के इतने बड़े बोझ को अवशोषित नहीं कर सकता है। आर्थिक मापदंडों का समग्र और वस्तुपरक मूल्यांकन करने के लिए, प्राधिकारी को क्षति जांच अवधि के दौरान हस्तक्षेप करने वाली प्रवृत्तियों पर भी विचार करना होता है और केवल एंड-टू-एंड तुलना पर ही भरोसा नहीं किया जा सकता है।

v. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

121. क्षति अवधिक के दौरान घरेलू उद्योग की रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता नीचे दी गई है:

विवरण	इकाई	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की

					इकाई
कर्मचारियों की संख्या	सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	93	82
उत्पादकता प्रतिदिन	मी. टन/ दिन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	141	136	139
उत्पादकता प्रति कर्मचारी	मी. टन/ कर्मचारी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	141	146	169
मजदूरी	रु लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	190	173	147

122. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग द्वारा भुगतान किए गए कर्मचारियों की संख्या और मजदूरी में जांच की अवधि में गिरावट आई है। जांच की अवधि में प्रति दिन उत्पादकता और प्रति कर्मचारी उत्पादकता में वृद्धि हुई है, क्योंकि घरेलू उद्योग के उत्पादन में वृद्धि हुई है ।

vi. वृद्धि

123. घरेलू उद्योग की मांग और लाभ मापदंडों की प्रवृत्ति नीचे दी गई है :

विवरण	इकाई	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि
उत्पादन	%	-	41	-4	2
घरेलू बिक्रिया	%	-	68	5	-11
लाभ प्रति मी. टन	%	-	-52	-71	102
नकदी लाभ	%	-	-6	-46	18
नियोजित पूंजी पर प्रतिफल	%	-	8	-59	37

124. यह नोट किया गया है कि घरेलू बिक्री को छोड़कर सभी मात्रा संबंधी मापदंडों में जांच की अवधि के दौरान सुधार की प्रवृति देखी गई है । यह नोट किया जाता है कि घरेलू बिक्री को छोड़कर सभी वॉल्यूम मापदंडों में जांच की अवधि के दौरान सुधार दिखाया गया है। आगे यह भी नोट किया जाता है कि पीओआई के दौरान लाभप्रदता मानकों में भी सुधार दिखाया गया है।

vii. पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

125. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने पहले ही क्षमता में वृद्धि कर ली है। रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों की जांच से यह भी विचार नहीं किया जा सकता है कि घरेलू उद्योग की आगे पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर प्रभाव पड़ा है।

viii. कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

126. रिकॉर्ड पर उपलबध तथ्यों से, ऐसे कोई निर्णायक साक्ष्य नहीं हैं, जो यह दर्शाएं कि आयातों से घरेलू उद्योग की कीमत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ।

ix. पाटन की मात्रा

127. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध वस्तुएं भारत में पाटित की जा रही है और पाटन मार्जिन सकारात्मक तथा महत्वपूर्ण है।

झ. कारणात्मक संबंध और गैर-आरोपण विश्लेषण

128. नियमानुसार, प्राधिकारी को अन्य के साथ-साथ, पाटित आयातों के अलावा, किसी अन्य ज्ञात कारकों की जांच करना आवश्यक है, जो साथ ही साथ घरेलू उद्योग को क्षित पहुंचा रहे हैं ताकि इन अन्य ज्ञात कारकों के कारण हुई क्षति पाटितों आयातों पर आरोपित न हो सके। जो कारक इस संबंध में संगत हो सकते हैं, उनमें अन्य के साथ-साथ, पाटित कीमतों पर न बेचे गए आयातों की मात्रा और कीमतें, खपत की पद्धतियों में परिवर्तन या मांग में कमी, विदेशी और घरेलू उत्पादों की व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रक्रियाएं और उनके बीच प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी में बदलाव और निर्यात निष्पादन तथा घरेलू उद्योग की उत्पादकता शामिल है।

129. प्राधिकारी ने यह निष्कर्ष निकाला है कि घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है और इसीलिए आगे किसी तरह की जांच करने की जरूरत नहीं है कि क्या पाटित आयातों के अलावा, अन्य कारक घरेलू उद्योग को क्षति होने के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं।

ञ. क्षति का समग्र मूल्यांकन

130. रिकार्ड पर उपलब्ध सूचना के आधार पर और यहां किए गए विस्तृत विश्लेषण के आधार पर प्राधिकारी घरेलू उद्योग को क्षति के संबंध में निम्नलिखित निष्कर्ष निकालते हैं:-

क. संबद्ध वस्तुओं के आयातों की मात्रा में, पूर्ण रूप से और भारत में उत्पादन व खपत के संबंध में गिरावट आई है।

ख. संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत के साथ-साथ घरेलू उद्योग की बिक्रियों की लागत में क्षति जांच की अवधि के दौरान गिरावट आई है।

ग. यह दर्शाने के लिए पूर्ण साक्ष्य नहीं हैं कि घरेलू उद्योग की कीमतों पर आयातों के कोई महत्वपूर्ण निराशाजनक प्रभाव नहीं थे।

घ. घरेलू उद्योग के उत्पादन, क्षमता उपयोग और बाजार अंश में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

ड. घरेलू उद्योग की जांच की अवधि के दौरान लाभ, नकदी लाभ और नियोजित पूंजी पर प्रतिफल में वृद्धि हुई है। नए निवेश जुटाने के लिए घरेलू उद्योग की क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

131. इसे देखते हुए, प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि घरेलू उद्योग ने पाटित आयातों के कारण महत्वपूर्ण क्षति का सामना नहीं किया है।

ट.ठ. प्रकटीकरण विवरण के उपरांत टिप्पणियां

ट.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

132. हितबद्ध पक्षकारों ने विचाराधीन उत्पाद और बायो एमईजी को शामिल करने, गोपनीयता, हाल में जांच समाप्त होने के बाद जांच की शुरूआत करने, विशेष बाजार स्थिति और उचित तुलना, घरेलू उद्योग को क्षति, और कारणात्मक संबंध के बारे में उनके अनुरोधों को दोहराया है। इन तथ्यों पर

अनिवार्य तथ्यों को जारी करते समय पहले ही विचार किया जा चुका है। इन हितबद्ध पक्षकारों ने यह स्पष्ट करने के लिए कोई नया कानूनी या तथ्यात्मक आधार प्रदान नहीं किया है कि प्राधिकारी द्वारा विचार किए गए तथ्य और इस संबंध में प्रकटीकरण विवरण में उल्लिखित प्रस्तावित निर्धारण क्यों अनुपयुक्त थे। इसके अतिरिक्त, पक्षकारों ने यह अनुरोध किया है:-

क. पैट्रो राबिघ अपने अनुरोधों की पुनरावृत्ति करता है कि वह सऊदी आयातकों के माध्यम से सेबिक के साथ जुड़ा है, जिसके पास कि दोनों कंपनियों में पर्याप्त हिस्से हैं। अत:, पाटन मार्जिन की एक सिंगल भारित औसत दर, इन पक्षकारों के लिए प्रदान की जानी चाहिए, यदि पैट्रो राबिघ ने भारत को निर्यात किया हो या नहीं। व्यापार नोटिस संख्या 9/2018 के अन्तर्गत संबंध की स्थापना के लिए शेयरहोल्डिंग पर्याप्त है।

ख. यह तथ्य कि सेबिक ने पैट्रो राबिघ के साथ संबंध होने को स्वीकार नहीं किया था, संबंध की स्थापना निर्धारित करने के लिए संगत नहीं है।

ग. प्राधिकारी ने उत्पादन की लागत व एसजीए तथा इसकी सतत प्रक्रिया के अनुसार तर्कसंगत लाभ पर विचार किए बिना सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए तीसरे देशों की निर्यात कीमत पर विचार करने के लिए कोई कारण प्रदान नहीं किए हैं।

घ. यहां तक कि यूरोपीय आयोग ने भी कुवैत के लिए सामान्य मूल्य की गणना करने के लिए तीसरे देश की कार्यप्रणाली का प्रयोग नहीं किया है। यूरोपीय संघ और ऑस्ट्रेलिया भी उत्पादन की लागत पर विचार करते हैं और सामान्य मूल्य के लिए तीसरे देशों की निर्यात कीमत पर विचार नहीं करते।

ड. पाकिस्तान को सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए उपयुक्त तीसरे देश के रूप में नहीं चुना जा सकता क्योंकि यह कुवैत के ''समान'' नहीं है, अत: कीमतें ''प्रतिनिधिक'' नहीं होंगी। निर्यात के देश (अर्थात कुवैत) की आर्थिक स्थितियों की उपयुक्त तीसरे देश के साथ तुलना की जानी चाहिए न कि जो भारत में हैं, उनके साथ। ऐसी स्थितियों के आधार पर, ओमान, सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए एक उपयुक्त तीसरा देश होगा। इसी प्रकार से इंडोनेशिया पर विचार करना उपयुक्त नहीं था।

च. पाकिस्तान और भारत के लिए निर्यातों की मात्रा में समानता के आधार पर पाकिस्तान को कुवैत के लिए एक उपयुक्त तीसरे देश के रूप में चुनना कानून के अनुसार अथवा तार्किक रूप से उचित नहीं है।

छ. उपयुक्त देश का चयन करने के लिए, अनुबंध-I पैरा 7 में प्रदान किए गए मानदंड लागू किए जाने चाहिए।

ज. चीन जन. गण. को एक तीसरे देश के रूप में चुनना अस्वीकार करना गलत है क्योंकि चीन जन. गण. के लिए निर्यात कीमत पर गैर-बाजार अर्थव्यवस्था स्थिति से प्रभावित नहीं होगी।

झ. एक्सोन मोबिल केमिकल एशिया पैसिफिक ने यह कहा है कि वह यानपेट के लिए केवल एक संगत व्यापारी (ट्रेडर) है न कि प्रकटीकरण विवरण में उल्लिखित किसी अन्य संस्था के लिए।

ञ. इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा दाखिल किए गए समर्थन पत्र को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह, व्यापार नोटिस संख्या 13/2018 में यथा आवश्यक

उपयुक्त फार्म में नहीं है और समर्थन पत्र को हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित नहीं किया गया था।

ट. घरेलू उद्योग को क्षति ऊंची लागत पर कच्ची सामग्री का आयात करने और घरेलू उद्योग की कैप्टिव खपत के कारण से है।

ठ. घरलू उद्योग के मात्रा संबंधी मापदंडों में सुधार आया है। बिक्रियों में गिरावट, मांग में गिरावट आने के कारण से है। घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में गिरावट के बावजूद, घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में जांच की अवधि के दौरान, बिक्रियों की लागत में कमी आने के चलते वृद्धि हुई है।

ड. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता पर ब्याज और मूल्यह्रास लागत में वृद्धि होने के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था।

ढ. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में, बाजार में पर्याप्त मांग होने के कारण वृद्धि होने की संभावना है।

ण. केवल इस कारण से पीसीएन को अस्वीकार करना क्योंकि यह तर्क रिज्वाइंडर में उठाया गया था, कानून के अनुसार असंगत है।

त. प्राधिकारी ने एक कारणात्मक संबंध का विश्लेषण नहीं किया है और केवल एक गैर-आरोपण विश्लेषण ही किया है।

थ. प्राधिकारी ने मांग पर कोविड-19 के प्रभाव, ऑक्सीजन के डाइवर्जन और चीन में क्षमता विस्तार के कारण वस्तु सूचियों में वृद्धि होने के संबंध में वार्षिक रिपोर्ट में दिए गए विवरणों के संबंध में क्षति की जांच नहीं की है।

द. जब जांच की अवधि के दौरान उत्पाद के लिए मांग में गिरावट आई थी, घरेलू उद्योग ने बड़ी मात्रा में निर्यात किया था, जो यह दर्शाता है कि क्षति होने का कारण घरेलू उद्योग की वृद्धि में बदलाव होना है।

ध. प्रकटीकरण विवरण, पाटन मार्जिन तालिका और प्राधिकारी द्वारा साझा की गई गोपनीय गणनाएं पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 6.9 की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करते।

न. प्राधिकारी ने यह उपयुक्त प्रकटन नहीं किया है कि कैसे निर्यात कीमत की गणना इक्वेट ग्रुप के असहयोगी चैनलों के लिए की गई है।

प. यह रिकार्ड किया जाना चाहिए कि एमआईसी के प्रश्नावली का एक उत्तर दाखिल किया था। (घरेलू उद्योग द्वारा उठाई गई आपत्तियों के बाद)

फ. प्रयोक्ताओं द्वारा लोकहित के संबंध में विस्तृत अनुरोध किए जाने के बावजूद, प्रकटीकरण विवरण में इसकी जांच नहीं की गई है।

ब. प्राधिकारी को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी कीमतों पर अंतर्राष्ट्रीय कच्ची सामग्री की उपलब्धता न होने, कोविड-19 के प्रभाव, ऐसी कच्ची सामग्री उपलब्ध न होने के कारण यूनिटों के बंद होने, डाउनस्ट्रीम उद्योगों को अजीविका का नुकसान, एमएसएमई क्षेत्र द्वारा तैयार माल के निर्यात में कमी, शुल्क लगाए जाने से स्थापित होने वाली बाजार विषमता पर विचार करना चाहिए।

ट.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

133. घरेलू उद्योग ने लोकहित के संबंध में अपने अनुरोध को दोहराया है। घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटीकरण विवरण के उत्तर में क्षति, कारणात्मक संबंध और सामान्य मूल्य के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:-

क. पूरी क्षति अवधि के दौरान क्षति विश्लेषण करने की जरूरत है और वास्तविक मध्यवर्ती प्रवृत्तियों पर विचार किए जाने की जरूरत है जैसा कि पाकिस्तान – बीओपीपी और ईसी – ट्यूब एवं पाइप मामले में डब्ल्यूटीओ पैनल द्वारा पाया गया है, जबकि प्रकटीकरण विवरण, कीमत मापदंडों के लिए जांच की अवधि और आगामी वर्ष के बीच काफी कम रहा है, जिसके कारण विश्लेषण उचित नहीं है।

ख. जांच की अवधि और विगत वर्ष की अवधि तक सीमित तुलना से चार वर्षों की क्षति अवधि पर विचार करने का प्रयोजन विफल हो जाता है।

ग. इस विचार में कि जांच की अवधि के दौरान लाभप्रदता में सुधार आया है, यह अनुमान निहित है कि घरेलू उद्योग ने केवल जांच की अवधि में ही क्षति का सामना करना शुरू किया होगा।

घ. प्राधिकारी ने पहले वर्ष 2019 में एक पाटनरोधी जांच शुरू की थी, जिसमें पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य पाए थे। घरेलू उद्योग ने वर्ष 2019-20 में आयातों के कारण क्षति का सामना करना शुरू कर दिया था और इस प्रकार वर्ष 2019-20 की तुलना में कुछ सुधार यह नहीं दर्शाते कि घरेलू उद्योग ने क्षति का सामना नहीं किया है। क्षति की अवधि की तुलना में कोई सुधार एक मजबूत निष्कर्ष तक नहीं पहुंचता।

ड. यद्यपि संबद्ध आयातों में गिरावट आई है, लेकिन यह घरेलू उद्योग की क्षमताओं में वृद्धि होने के कारण से है। जांच की अवधि में कोविड-19 के कारण पुन: गिरावट आने से पूर्व वर्ष 2019-20 में आयातों में वृद्धि हुई लेकिन जांच की वृद्धि के बाद वृद्धि हुई।

च. चूंकि मांग और आपूर्ति अंतराल अधिक होने पर ही आयात घरेलू उद्योग के लिए क्षतिकारी है, अत: केवल ऐसे आयातों पर ही आयातों की मात्रा की जांच के लिए विचार करना चाहिए। मांग और आपूर्ति में अंतर से अधिक आयातों में इस अवधि के दौरान वृद्धि हुई है, इस प्रकार यह स्थापित होता है कि जबकि आयात अधिकांशत: मांग और आपूर्ति में अंतर के कारण हो रहे थे, अत: अब ये पाटित कीमतों के कारण हो रहे हैं।

छ. आपूर्ति से अधिक मांग होने की स्थिति में, कीमतों पर दबाव होगा और उत्पादक अपनी कीमतों को कच्ची सामग्रियों की लागतों में अंतर तक तो कम से कम समायोजित करेंगे। इसके बाद भी, संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत में क्षति अवधि के दौरान काफी गिरावट आई है और यह जांच की अवधि के दौरान सबसे कम थी।

ज. मांग और आपूर्ति के बीच अंतर के साथ पहुंच कीमत की एक तुलना यह दर्शाती है कि निर्यातकों ने जांच की अवधि के दौरान पहुंच कीमतों में गिरावट की है, जहां पर कि उन्होंने मांग और आपूर्ति में अंतर के कारण बाजार की जरूरत से काफी अधिक मात्रा में वृद्धि की मांग की है।

झ. पहुंच कीमत में गिरावट घरेलू उद्योग की क्षमताओं में वृद्धि के अनुरूप है, जो घरेलू उद्योग को बढ़ते बाजार हिस्से पर कब्जा करने से रोकने के एक स्पष्ट आशय को दर्शाता है।

ञ. इथाइलीन की प्रचलित कीमतों पर पहुंच कीमत को निर्धारित करना और वर्ष 2019-20 व जांच की अवधि के दौरान नकारात्मक बनना, सीधे तौर पर घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में दिखाई देता है।

ट. वर्ष 2017-18 में, घरेलू उद्योग आयात कीमत से अधिक पाने में समर्थ था। वर्ष 2018-19 में, घरेलू उद्योग ने अपनी क्षमताओं को बढ़ाया था और काफी अधिक कम आयात कीमत से मुकाबला करने के लिए अपनी कीमतों को कम करना पड़ा। वर्ष 2019-20 में, निर्यातकों ने वर्ष 2018-19 में महत्वपूर्ण हिस्से का नुकसान होने के चलते अपनी कीमतों में कमी करके अपना बाजार बनाए रखने का कार्य किया। इससे वे अपनी मात्रा और बाजार अंश बढ़ा पाए। पुन: जांच की अवधि के दौरान, निर्यातकों ने घरेलू उद्योग को अपनी कीमतों को कम करने पर मजबूर करते हुए, कच्ची सामग्री की लागतों से अधिक, अपनी कीमतें कम की।

ठ. यह विचार नहीं किया गया है कि कीमत, इथाइलीन की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के आधार पर संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन में प्रयुक्त कच्ची सामग्री की लागत से भी कम है। यहां तक कि प्रकटीकरण विवरण में कच्ची सामग्री की लागत में गिरावट दर्ज है, बिक्री कीमत और पहुंच कीमत के बीच इसकी प्रवृत्ति को नजरअंदाज किया गया है।

ड. क्षति अवधि के दौरान बिक्री कीमत में गिरावट घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत में गिरावट से काफी अधिक है।

ढ. इंडिया ग्लाइकोल्स लिमिटेड जांच की अवधि के पहले ही नुकसान में था। जबकि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जांच की अवधि के दौरान अपनी लाभप्रदता को बनाए रखने में समर्थ रहा, उसने उसी अवधि में नुकसान उठाना भी शुरू कर दिया।

ण. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता की तुलना ऐसी अवधि से की जानी चाहिए, जब वह पाटन के कारण क्षति का सामना कर रहा था और वर्ष 2017-18 और 2018-19 है।

त. घरेलू उद्योग के लाभों में सुधार मुख्यत: लागत क्षमताओं में मौजूद सुधार के चलते है, न कि बाजार की स्थितियों में किसी सुधार के चलते है, क्योंकि जांच की अवधि के दौरान परिवर्तन लागत में गिरावट आई है।

थ. वर्ष 2018-19 और आधार वर्ष की तुलना में लाभ, लाभ प्रति यूनिट, नकदी लाभ और निवेश पर प्रतिफल में गिरावट आई है।

द. ईबीआईडीटीए में जांच की अवधि में गिरावट आई है, यहां तक कि पिछले वर्ष के संबंध में भी गिरावट आई है, जो यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग की लागत पर क्षमता विस्तार से प्रभाव नहीं पड़ा है, जिससे कि अधिक ब्याज और मूल्यह्रास लागत आई है।

ध. लाभप्रदता में गिरावट के कारण घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के दौर और पिछले वर्ष के दौरान विशेष रूप से यह विचार करते हुए अपने निवेश पर कम प्रतिफल अर्जित किया है कि यह घरेलू उद्योग की ब्याज लागत और करों को अनुमत करने से पूर्व का प्रतिफल है। यह प्रतिफल विचार किए गए कारक से कम था।

न. घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तुओं की बिक्री करने में असमर्थता के कारण, घरेलू उद्योग को यहां तक कि घाटे पर भी निर्यातों के लिए सहारा लेना पड़ा था।

प. यदि घरेलू उद्योग ने पर्याप्त मात्रा में संबद्ध वस्तुओं का निर्यात नहीं किया होता, तो उसके निष्पादन में काफी गिरावट दिखाई गई होती, क्योंकि उसे अधिक मात्रा होने से किफायती

मात्रा के लाभ प्रदान किए गए। यद्यपि निर्यातों में ऐसी हानियां अलग की गई हैं, लेकिन घरेलू उद्योग के परिणामी अधिक लाभ घरेलू उद्योग के खिलाफ रखे जा रहे हैं।

फ. प्राधिकारी को वर्तमान मामले में जांच की अवधि के बाद के आंकड़ों पर विचार करना चाहिए, जो यह दर्शाते हैं:-

i. वर्ष 2021-22 में आयातों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, वर्ष 2022-23 की प्रथम तिमाही में (वार्षिक) आयात, जांच की अवधि की तुलना में दोगुने हैं, यहां तक कि मांग में 42 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है।

ii. घरेलू उत्पादन के संबंध में आयात उसी स्तर पर आ गए हैं, जो घरेलू उद्योग द्वारा क्षमता विस्तार से पूर्व थे।

iii. आयातों में, खपत के संबंध में भी वृद्धि हुई है, जिसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग बाजार अंश में 23 प्रतिशत तक की गिरावट का सामना कर रहा है।

iv. जबकि घरेलू उद्योग की कच्ची सामग्री की लागत और बिक्रियों की लागत में वृद्धि हुई है, वह अपनी कीमतों को जांच की अवधि के बाद की कीमतों के अनुसार रखने पर मजबूर था, जिसके कारण, उसे नकद नुकसान और नकारात्मक प्रतिफल का सामना करना पड़ा है।

v. घरेलू उद्योग के मात्रा संबंधी मापदंडों में भी जांच की अवधि के बाद गिरावट आई है।

vi देश में मांग और आपूर्ति का अंतर होने के बावजूद, घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के बाद क्षमताओं का कम उपयोग होने का सामना किया है।

ब. जांच की अवधि के दौरान, कच्ची सामग्री की कीमत में कोविड-19 महामारी के कारण कमी आई है, जोकि इस कारण से है कि घरेलू उद्योग अपनी लाभप्रदता को बनाए रखने में समर्थ रहा था। तथापि, जांच की अवधि के बाद, कच्ची सामग्री की कीमत में वृद्धि हुई, जिसके कारण, घरेलू उद्योग को नुकसान का सामना करना पड़ा।

भ. प्राधिकारी ने विगत में भी अनेक मूल जांचों में जांच की अवधि के बाद के आंकड़ों पर विचार किया है, जैसे फ्रंट एक्सल बीम, कार्बन ब्लैक, विस्कोस स्टेपल फाइबर, नाइट्रोसेलूलोज, एचआर 304, आदि ।

म. यह आवश्यक नहीं है कि घरेलू उद्योग को पर्याप्त क्षति का सामना किए जाने पर विचार करने से पूर्व नुकसान का सामना करना चाहिए, क्योंकि कानून में इस बात की जांच करनी आवश्यक है कि क्या लाभों में गिरावट आ रही है।

य. विगत में अनेक मामलों, जैसे डेकोर पेपर, पॉलिस्टर स्पन यार्न, एलडीपीई, पीईटी रसिन आदि में प्राधिकारी ने यह पाया है कि घरेलू उद्योग के लाभों में गिरावट को देखते हुए, यहां तक कि घरेलू उद्योग ने हानियों का सामना भी नहीं किया था, घरेलू उद्योग ने अनेक मामलों में पर्याप्त क्षति का सामना किया है।

कक. यह निष्कर्ष निकालने के लिए कि पर्याप्त क्षति मौजूद है, यह आवश्यक नहीं है कि कानून में सूचीबद्ध सभी कारक गिरावट दर्शाएं। पाकिस्तान – बीओपीपी में डब्ल्यूटीओ पैनल में, यह नोट किया गया था कि यद्यपि एक जांच प्राधिकारी को सभी कारकों का आकलन

करना चाहिए, इस बात की कोई अपेक्षा नहीं है कि सभी कारक गिरावट को दर्शाएं। यही दृष्टिकोण अधिकरण (ट्रिब्यूनल) द्वारा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी मामले में लिया गया था।

खख. जब पाटित आयातों का सामना करना पड़ता है, तो घरेलू उत्पादक के पास दो विकल्प होते हैं – (क) या तो अपनी कीमतों को बनाए रखें, इस मामले में ग्राहक सस्ते आयातों की ओर जा सकते हैं, अथवा (ख) अपनी कीमतों को कम करें, ताकि ग्राहक बनाए रखे जा सकें। वर्तमान मामले में घरेलू उद्योग के पास अपने ग्राहक को जाने देने का विकल्प नहीं था, क्योंकि इससे उसके अपस्ट्रीम प्रचालनों और अन्य उत्पादों से संबंधित प्रचालनों पर, ऐसे अपस्ट्रीम प्रचालनों पर निर्भरता के अनुसार प्रभाव पड़ता।

गग. कानून के तहत सूचीबद्ध मापदंड केवल न्यूनतम मापदंड है और ये पूर्ण नहीं हैं, जैसा कि अधिकरण (ट्रिब्यूनल) द्वारा लुब्रिजोल (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी मामले में पाया गया है। तथापि, घरेलू उद्योग द्वारा निर्धारित किए गए अन्य मापदंडों पर प्रकटीकरण विवरण में विचार नहीं किया गया है।

घघ. लाभ किसी व्यावसायिक उद्यम के लिए सर्वोपरि महत्व होता है, क्योंकि किसी भी कारोबार के लिए बिना पर्याप्त लाभ के बने रहने की आशा ही नहीं की जा सकती। फोरम ऑफ एक्रिलिक फाइबर मैन्यूफैक्चर्स बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी मामले में माननीय अधिकरण ने लाभों के महत्व पर भी जोर दिया था।

ङङ. एक संभव जांच परिणाम कि घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं है, घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंडों के संबंध में इसी प्रकार के तथ्यों पर प्राधिकारियों के विगत जांच परिणामों (जैसे कि एलपीडीई) के साथ असंगत होगी, अत: प्राधिकारी ने क्षति पाई है। वास्तव में, यह भेदभावपूर्ण होगा। कोई भी अर्ध-न्यायिक प्राधिकारी इसी प्रकार के तथ्यों पर भिन्न-भिन्न विचार नहीं रख सकता, जैसा कि इंटरग्लोब एविएशन लि० बनाम भारत संघ मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पाया गया है।

चच. ऐसे अनेक मामले रहे हैं (जैसे पीएसवाई, सिलिकॉन सीलेन्ट्स, प्लान एमडीएफ बोर्ड, परसल्फेट), जहां पर कि प्राधिकारी ने यह निष्कर्ष निकाला कि घरेलू उद्योग ने पिछले वर्ष की तुलना में लाभों में सुधार के बावजूद, क्षति अवधि पर लाभप्रदता में गिरावट के संदर्भ में क्षति का सामना किया था।

छछ. जांच शुरू करने संबंधी अधिसूचना में, प्राधिकारी ने ऐसी आशंका के बारे में प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य दर्ज किए थे, लेकिन इनकी जांच नहीं की गई है।

जज. अपने अनुरोध में, आगे क्षति की आशंका के बारे में दी गई सूचना पर प्रकटीकरण विवरण में विचार किया गया है। निम्नलिखित में क्षति की आशंका दर्शाई गई है:-

i. यद्यपि जांच की अवधि के दौरान संबद्ध आयातों की मात्रा में कुछ गिरावट आई है, लेकिन इस मात्रा में जांच की अवधि के बाद काफी वृद्धि हुई है और यह क्षति अवधि की शुरूआत के समय से अधिक है।

ii. तिमाही आधार पर, आयातों में अप्रैल से जून, 2020 के बाद से अप्रैल से जून, 2022 तक प्रत्येक तिमाही में निरंतर वृद्धि दर्शाई गई है।

iii. यहां तक कि क्षति अवधि के दौरान, मांग और आपूर्ति अंतर से अधिक आयात (जो घरेलू उद्योग के लिए क्षतिकारी है) वृद्धि हुई थी, और ये जांच की अवधि के दौरान मांग व आपूर्ति अंतराल का 4 गुणा थे।

iv. संबद्ध देशों में उत्पादकों के पास अतिरक्त रूप से फालतू क्षमताएं हैं, जो कि भारत में मांग के करीब 95 प्रतिशत के समान हैं और नए विस्तार कर रहे हैं।

v. एमईजी के लिए वैश्विक रूप से अधिक आपूर्ति है, जिसके कारण उत्पादक अपना स्टॉक खतम करने के लिए पाटन का सहारा लेते हैं।

vi यद्यपि संबद्ध देशों में उत्पादकों के पास वैश्विक उत्पादन का 38 प्रतिशत है, उनके पास मांग में मात्र 7 प्रतिशत हिस्सा है, जो यह दर्शाता है कि यह उत्पाद निर्यातों के लिए है।

vii. कुवैत और सऊदी अरब में बिल्कुल भी मांग नहीं है अथवा बिल्कुल ही कम मांग है। यूएसए के मामले में, 57 प्रतिशत क्षमताएं निर्यातों के लिए स्थापित की गई हैं।

viii. यद्यपि चीन जन. गण. वैश्विक रूप से एमईजी के सबसे बड़े आयातकों में से एक है, लेकिन पिछले तीन वर्षों में अनेक प्रकार के क्षमता विस्तार हुए हैं। चीन के लिए निर्यात अब एशिया में अगले सबसे बड़े ग्राहक अर्थात भारत को भेजे जाएंगे।

ix. जांच की अवधि के दौरान सकारात्मक कीमत कटौती यह दर्शाती है कि आयात ऐसी कीमतों पर आ रहे हैं, जिनका कि घरेलू कीमतों पर बहुत ही न्यूनीकरण अथवा ह्रासकारी प्रभाव पड़ेगा।

x. ये आयात घरेलू उद्योग की गैर-क्षतिकारी कीमत से कम कीमत पर हैं। जैसा कि अधिकरण द्वारा, फोरम ऑफ एक्रिलिक फाइबर मैन्यूफैक्चर्स बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी मामले में पाया गया है, गैर-क्षतिकारी कीमत से कम कीमत पर आयात संकेत के साथ, एक संभावना के विश्लेषण में एक बैरोमीटर का काम करेंगे।

xi. घरेलू उद्योग की पहुंच कीमत और बिक्रियों की कीमत यह दर्शाती है कि शुल्क के अभाव में, आयात कीमत के साथ तुलना करनी होगी और काफी कमतर लाभों पर बिक्री होगी।

xii. जांच की अवधि के बाद, आशंका समाप्त हो गई है, क्योंकि आयातों की मात्रा और घरेलू उद्योग के मापदंडों की मात्रा में गिरावट दर्शाई गई है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट आई है और इसने हानि उठाना शुरू कर दिया है।

झझ. जांच की अवधि के बाद की अवधि में आयातों की मात्रा में महत्वपूर्ण वृद्धि, क्षति की आशंका का निर्धारण करने के लिए काफी संगत है, क्योंकि ऐसी वृद्धि अभी हाल की अवधि से संबंधित है।

ञञ. जैसा कि यूएस – सॉफ्टवुड लुम्बर मामले में डब्ल्यूटीओ पैनल द्वारा पाया गया है, पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II पैरा (vii) के तहत मापदंडों की, प्राधिकारी द्वारा जांच की जानी है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि आगे क्षति की आशंका का निर्धारण करने से पूर्व प्रत्येक मापदंड मौजूद हैं।

टट. प्रधिकारी ने, प्रदान किए गए साक्ष्य के सही होने और पर्याप्त होने की जांच करने और क्षति की मौजूदगी के बारे में प्राधिकारी की संतुष्टि होने के बाद जांच शुरू की थी। यहां तक कि यदि जांच की शुरूआत के समय कोई प्रथमदृष्ट्या राय स्थापित की जाती है, तो इसका

यह तात्पर्य नहीं है कि आपत्तियां जानबूझकर की गई हैं। जैसा कि डीटीसी बनाम दिल्ली प्रशासन मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पाया गया था, प्रथमदृष्ट्या से तात्पर्य किसी तथ्य के स्थापित करने अथवा किसी धारणा को प्रकट करने के लिए पर्याप्त होना, जब तक कि उसे अमान्य अथवा इंकार न कर दिया जाए। जांच की शुरूआत की अवस्था के बाद किसी प्रतिकूल साक्ष्य के अभाव में जांच शुरू करने की अवस्था पर की गई टिप्पणी उचित मानी जाएगी।

ठठ. जांच की शुरूआत की अवस्था में, प्राधिकारी ने यह नोट किया कि घरेलू उद्योग का निष्पादन लाभों, नकदी लाभों और निवेश पर प्रतिफल के संबंध में प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ था। इसी ट्रेंड के आधार पर और इन्हीं तथ्यों के आधार पर, जांच परिणामों की अवस्था में एक भिन्न दृष्टिकोण नहीं अपनाया जा सकता।

डड. जहां तक हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क का संबंध है कि आयातों की मात्रा में गिरावट आई है, जबकि घरेलू उद्योग के मात्रा संबंधी मापदंडों में सुधार आया है, अत: यह अनुरोध किया जाता है कि यह घरेलू उद्योग की क्षमता में वृद्धि का एक स्पष्ट प्रभाव है। जैसा कि निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा फिनोल के मामले में नोट किया गया है। आयातों में गिरावट होना देश में क्षमताओं में ऐसी वृद्धि का एक प्राकृतिक परिणाम है।

ढढ. अनेक मामलों में, प्राधिकारी ने यह पाया है कि घरेलू उद्योग ने पर्याप्त क्षति का सामना किया है, जहां पर कि मात्रात्मक मापदंडों में सुधार दर्शाया गया था और आयातों में गिरावट आई थी, जिसका कारण आयातों का प्रतिकूल कीमत प्रभाव पड़ना है।

णण. हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिए हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति ''किफायती'' इथाइलीन माध्यम की बजाय नेफ्था के उपयोग के कारण से है। तथापि, घरेलू उद्योग के पास अधिक लाभप्रदता थी, जबकि घरेलू उद्योग पहले नेफ्था माध्यम से अधिक अनुपात में उत्पादन कर रहा था। जैसे-जैसे ईथेन माध्यम से उत्पादन में वृद्धि हुई, लाभ में तेजी से गिरावट आई। किसी भी तरह से, गैर-आरोपण का विश्लेषण घरेलू उद्योग के लिए मौजूद कारकों के लिए नहीं किया जाता है।

तत. यहां तक कि यदि यह मान भी लिया जाए कि घरेलू उद्योग को नेफ्था का उपयोग किए जाने से आंशिक रूप से क्षति का सामना करना भी पड़ा है, तो भी यह शुल्क की मात्रा को प्रभावित नहीं करेंगे, क्योंकि क्षति मार्जिन न्यूनतर है।

थथ. जैसा कि प्राधिकारी द्वारा नोट किया गया है, संबद्ध देशों में स्थित विशेष बाजार स्थिति के कारण निर्यातक कच्ची सामाग्रियों और इनपुट सामाग्रियों, जैसे प्राकृतिक गैस की अनुचित कीमतों पर खरीद करते हैं। इसके बावजूद, वे पाटन का सहारा ले रहे हैं।

दद. यद्यपि, हितबद्ध पक्षकारों ने यह दावा किया है कि वर्ष 2017-18 असामान्य क्योंकि इससे अत्यधिक मांग है, इसके बाद वर्ष 2018-19 में, जांच की अवधि में कोविड-19 के चलते गिरावट से पूर्व मांग में वृद्धि हुई है। इसके अलावा, प्रचलित कच्ची सामग्री की लागत पर पहुंच कीमत का अधिक निर्धारण वास्तव में वर्ष 2017-18 में कमतर था बजाय वर्ष 2108-19 के।

धध. यहां तक कि वर्ष 2017-18 की अवधि को नजरअंदाज किया गया है। घरेलू उद्योग के निष्पादन में वर्ष 2018-19 की तुलना में गिरावट आई है। इसके अलावा, वर्ष 2016-17 से

संबंधित आंकड़े भी प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध हैं, जो यह दर्शाते हैं कि जांच की अवधि के दौरान लाभप्रदता वर्ष 2016-17 से भी कमतर हैं।

नन. चूंकि विभिन्न पहलू और कारक, जो घरेलू उद्योग के समक्ष आई क्षति की समस्या को दर्शा रहे हैं, उन पर प्रकटीकरण विवरण में विचार नहीं किया गया है, अत: घरेलू उद्योग इसे स्पष्ट करने के लिए एक अन्य सुनवाई करने का अनुरोध करता है।

पप. यद्यपि सऊदी अरब और कुवैत से उत्पादकों ने यह दावा किया है कि उनके पास सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए पर्याप्त घरेलू बिक्रियां हैं, लेकिन प्रकटीकरण विवरण इसके विपरीत दर्शाते हैं। यह स्पष्ट तौर पर दर्शाता है कि उत्पादकों ने उत्तर दाखिल करते समय प्राधिकारी को जानबूझकर भ्रमित किया है और उनके उत्तर को अस्वीकार किया जाना चाहिए।

फफ. यहां तक कि यदि तीसरे देश के निर्यातों के संबंध में आंकड़ों के बाद की अवस्था में प्रस्तुत किए गए थे, अत: उसका अगोपनीय पाठ परिचालित ही नहीं किया गया था।

बब. घरेलू उद्योग को गैर-क्षतिकारी कीमत का पूर्ण प्रकटीकरण नहीं किया गया है और इस प्रकार उस पर पर्याप्त टिप्पिणयां देने में असमर्थ है।

ट.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

134. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रकटीकरण के पश्चात के अनुरोधों की जांच की है और यह नोट करते हैं कि अधिकांश टिप्पणियां पुन: की गई हैं, जिनकी पहले ही उचित जांच कर ली गई है और अंतिम जांच परिणामों के संगत पैरा में पर्याप्त रूप से शामिल किया जा चुका है। तथापि, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटीकरण के उपरांत की टिप्पणियां/अनुरोधों में पहली बार उठाए गए मुद्दों और प्राधिकारी द्वारा जिन्हें संगत पाया गया है, उनकी इस प्रकार से जांच की गई है:-

135. पैट्रो राबिघ ने अपने दावे में इस बात को दोहराया है कि सेबिक/सेबिक ग्रुप उत्पादकों के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन की व्यक्तिगत दर पैट्रो राबिघ के लिए प्रदान की जानी चाहिए। प्राधिकारी ने पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश नहीं की है और इसीलिए यह जांच करने की कोई जरूरत नहीं है कि क्या सेबिक/सेबिक ग्रुप उत्पादकों के लिए निर्धारित की गई पाटन मार्जिन की व्यक्तिगत दर, वर्तमान मामले के तथ्यों को देखते हुए पैट्रो राबिघ के लिए प्रदान की जानी चाहिए।

136. इक्वेट ग्रुप ने यह दावा किया है कि निर्धारित किया गया सामान्य मूल्य इस कारण से उपयुक्त नहीं है कि (क) प्राधिकारी ने उत्पादन की लागत पर विचार करके अपनी प्रक्रिया से हटकर कार्य किया है (ख) प्राधिकारी ने चीन की उपेक्षा की है, क्योंकि यह एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था है (ग) प्राधिकारी ने पाकिस्तान के लिए निर्यात कीमत पर उपयुक्त कीमत के रूप में विचार किया है (घ) प्राधिकारी ने उपयुक्त कीमत के रूप में ओमान के लिए निर्यात कीमत पर विचार नहीं किया; (ड.) पैरा के प्रावधान उपयुक्त देश के निर्धारण के लिए लागू करने चाहिए। इस संबंध में, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियमावली में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए दो वैकल्पिक पद्धतियां प्रदान की गई हैं, जब घरेलू बिक्री कीमत के आधार पर सामान्य मूलय का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। पहला विकल्प यह है कि सामान्य मूल्य का निर्धारण तीसरे देशों के निर्यात कीमत के आधार पर किया जा सकता है। दूसरा विकल्प यह है कि सामान्य मूल्य का निर्धारण मूलता के देश में उत्पादन की लागत व एसजीए व्यय और लाभ के आधार पर किया जा सकता है। प्राधिकारी ने पहले विकल्प के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है और इसकी सतत प्रक्रिया से कोई विचलन नहीं है।

137. संबद्ध जांच में रिकार्ड पर उपलब्ध सूचना के अनुसार, कुवैत में उत्पादक/निर्यातक ने 4 देशों नामत: चीन जन. गण., पाकिस्तान, भारत और ओमान को एमईजी का निर्यात किया था। कुवैत से दूसरी सबसे बड़ी निर्यातों की मात्रा भारत के लिए थी। कुवैत से तीसरी सबसे बड़ी निर्यातों की मात्रा पाकिस्तान के लिए थी और कुवैत से सबसे कम निर्यातों की मात्रा ओमान के लिए थी।

138. चीन जन. गण. को उपयुक्त तीसरे देश के रूप में विचार में नहीं किया गया था और चीन जन. गण. के लिए निर्यात कीमत पर प्रतिनिधिक देश के रूप में विचार नहीं किया गया क्योंकि चीन जन. गण. को पाटनरोधी जांचों के प्रयोग के लिए एक ''गैर-बाजार अर्थव्यवस्था'' के रूप में माना गया है। चीन के लिए निर्यातों की कोई कीमत, चीन के भीतर प्रचलित कीमतों के अनुसार होगी और इसीलिए गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के कारकों से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की संभावना है। पाकिस्तान को उपयुक्त तीसरे देश के रूप में माना गया था और पाकिस्तान के लिए निर्यात कीमत पर प्रतिनिधिक देश के रूप में विचार किया गया था क्योंकि कुवैत से पाकिस्तान के लिए निर्यात मूल्य चीन जन. गण. और भारत के बाद सबसे अधिक था। कुवैत से ओमान के लिए निर्यात सभी 4 देशों में सबसे कम थे और इसीलिए ओमान पर कुवैत से ओमान के लिए निर्यात कीमत और तुलना के लिए 'उपयुक्त' देश के रूप में विचार नहीं किया जा सकता और उसे प्रतिनिधिक देश के रूप में विचार नहीं किया जा सकता।

139. जहां तक पाकिस्तान की कथित अनुपयुक्तता का संबंध है, प्राधिकारी यह जानते हैं कि निर्यात मात्रा की तुलना एक सबसे उपयुक्त आधार होता है, जिससे संबद्ध मात्रा से प्रभावित कीमतों पर विचार किया जाता है।

140. प्राधिकारी यह भी जानते हैं कि अनुबंध-I का पैरा 7 गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश से आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए लागू होता है।

141. हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के संबंध में, कि घरेलू उद्योग को क्षति कच्ची सामग्री के आयातों के कारण से है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यह पूरी तरह से सही है कि घरेलू उद्योग को क्षति घरेलू उद्योग की मौजूदगी के रूप में देखी जानी आवश्यक है। जैसा कि अपीलीय निकाय द्वारा भी यूरोपीय संघ – बायोडीजल मामले में नोट किया गया है, घरेलू उद्योग की मौजूद विशेषताओं जैसे कच्ची सामग्री की पहुंच के संबंध में कोई गैर-आरोपण विश्लेषण करने की जरूरत नहीं है।

142. जहां तक घरेलू उद्योग की कैप्टिव खपत के संबंध में क्षति का संबंध है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि लाभप्रदता मापदंड और घरेलू बिक्रियों के मात्रा संबंधी मापदंड तथा घरेलू उद्योग का बाजार अंश केवल इसकी संगत घरेलू बिक्रियों से ही संबंधित है।

143. घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के संबंध में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के मात्रा संबंधी मापदंडों में जांच की अवधि के दौरान सुधार आया है। साथ ही, उत्पादन की लागत और बिक्री की कीमत, दोनों में गिरावट आई है। अत: यह नहीं कहा जा सकता कि बिक्री कीमत में गिरावट संबद्ध वस्तुओं के आयातों के कारण से है। घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में भी विगत वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में सुधार आया है। प्राधिकारी ने यह पाया है कि घरेलू उद्योग को संबद्ध वस्तुओं के आयातों के कारण से क्षति नहीं हो रही है।

144. हितबद्ध पक्षकारों ने यह दावा किया है कि घरेलू उद्योग को लाभप्रदता में गिरावट का सामना करना पड़ा है जिसका कारण ब्याज और मूल्यह्रास लागतों में वृद्धि होना है। प्राधिकारी ने यह निष्कर्ष निकाला है कि घरेलू उद्योग को कोई वास्तविक क्षति नहीं हुई है। घरेलू उद्योग ने यह भी

दावा किया है कि क्षति का विश्लेषण संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान किया जाना आवश्यक है, जबकि प्राधिकारी ने लाभप्रदता मानकों के लिए जांच की अवधि और पिछले वर्ष के बीच की प्रवृत्तियों पर भरोसा किया है। प्राधिकारी ने समग्र रूप से उद्योग की स्थिति की जांच करने के लिए क्षति जांच अवधि के लिए आर्थिक मापदंडों का समग्र और वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन किया है। प्राधिकरण ने अपने परीक्षण को किसी एकल आर्थिक मानदंड तक सीमित नहीं किया है और केवल एंड-टू-एंड तुलना के आधार पर आर्थिक मापदंडों की अपनी परीक्षा को सीमित नहीं किया है। वर्ष 2019-20 से जांच की अवधि तक लाभप्रदता में वृद्धि क्षति विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण कारक है ।

145. घरेलू उद्योग के इस दावे के संबंध में कि आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान लाभप्रदता मानकों में उल्लेखनीय गिरावट आई है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के लाभ में आधार वर्ष से 2019-20 तक गिरावट आई है। उसके बाद, जांच की अवधि के दौरान लाभप्रदता में सुधार हुआ है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि बिक्री की लागत की तुलना में जांच की अवधि के दौरान अर्जित लाभ का उचित प्रतिशत है । जांच की अवधि के दौरान, बिक्री की लागत पर अर्जित लाभ का प्रतिशत ***% है, जबकि वर्ष 2019-20 के दौरान यह ***% था। यह देखा गया है कि वर्ष 2019-20 से जांच की अवधि तक बिक्री की लागत में गिरावट बिक्री मूल्य में गिरावट से अधिक है। 2019-20 की तुलना में पीओआई में नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ में सुधार हुआ। व्यापक पूंजी निवेश के कारण, जांच की अवधि के दौरान आरओसीई लगभग ***% है; जो प्रारंभिक अवधि के निवेश के दौरान होता है क्योंकि उत्पाद का निश्चित बाजार आकार प्रारंभिक वर्षों के दौरान निवेश के इतने बड़े बोझ को अवशोषित नहीं कर सकता है। क्षति मापदंडों का समग्र और वस्तुनिष्ठ विश्लेषण करने के लिए, प्राधिकारी को क्षति जांच अवधि के दौरान प्रवृत्तियों का पालन करना अपेक्षित है।

146. पहुंच कीमत में गिरावट के संबंध में घरेलू उद्योग के दावों के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उसने इन जांच परिणामों के संबंधित खंड में इसका समाधान किया है और एक अलग जांच की आवश्यकता नहीं है।

147. जहां तक घरेलू उद्योग के अनुरोधों का संबंध है, वे प्राथमिक रूप से निम्नलिखित के आधार पर है – (क) क्षति जांच को केवल विगत वर्ष के साथ तुलना तक ही सीमित नहीं रखा जाना चाहिए, (ख) लाभों में गिरावट यह दर्शाती है कि उद्योग ने क्षति का सामना किया है, (ग) प्राधिकारी ने जांच की शुरूआत के समय यह नोट किया था कि लाभप्रदता में गिरावट के रूप में प्रथमदृष्ट्या क्षति हुई है, (घ) प्राधिकारी ने प्रथमदृष्ट्या यह पाया था कि घरेलू उद्योग ने विगत वर्ष की जांच की अवधि में क्षति का सामना किया था और वर्ष 2019-20 की क्षति की अवधि थी और इसीलिए तत्काल विगत वर्ष के साथ तुलना करना उपयुक्त नहीं था। चूंकि प्राधिकारी ने इस जांच परिणाम के संगत खंड में वास्तविक क्षति की मौजूदगी के मामले पर इन जांच परिणामों पर विस्तार से जांच कर ली है, अत: घरेलू उद्योग के इन तर्कों की अलग से आगे जांच करना आवश्यक नहीं है। जांच शुरू करने के चरण में प्राधिकरण द्वारा की गई टिप्पणियां केवल प्रथम दृष्टया टिप्पणियां थीं और प्राधिकरण द्वारा निर्णायक निर्धारण नहीं मानी जाएंगी। प्राधिकारी सभी क्षति मापदंडों पर विस्तृत विचार करने के बाद तत्काल अंतिम जांच परिणाम में अपने निष्कर्ष पर पहुंचे हैं ।

148. घरेलू उद्योग ने यह भी प्रस्तुत किया है कि आयात की कीमतों में गिरावट माल के उत्पादन के लिए प्रयुक्त कच्चे माल की लागत से कम है, और बिक्री मूल्य में गिरावट बिक्री की लागत में गिरावट से अधिक है। प्राधिकारी ने इन निष्कर्षों के संबंधित खंडों में इस तर्क की जांच की है, और इसलिए एक अलग जांच की आवश्यकता नहीं है।

149. इस दावे के संबंध में कि बिक्री में कमी के कारण घरेलू उद्योग को अपने संयंत्रों को बंद करने के लिए मजबूर किया गया था, यह देखा गया है कि पूरी क्षति अवधि और जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग वृद्धि के बावजूद उच्च स्तर पर है। वर्ष 2018-19 में उत्पादन क्षमता में। इसके अलावा, घरेलू उद्योग की बिक्री की मात्रा काफी अधिक रही है ।

150. घरेलू उद्योग ने यह भी दावा किया है कि उसे निर्यात बाजारों पर निर्भर रहने के लिए मजबूर किया गया है। हालांकि, यह स्पष्ट है कि घरेलू बाजार में कीमतें निर्यात बाजार की तुलना में अधिक लाभकारी हैं और इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि घरेलू उद्योग को तीसरे देशों को निर्यात करने के लिए मजबूर किया गया था। यह भी नोट किया जाता है कि क्षमता उपयोग और घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा काफी उच्च स्तर पर रहा है, जो अच्छे घरेलू प्रदर्शन को दर्शाता है। घरेलू उद्योग की निर्यात बिक्री जांच की अवधि के दौरान उच्चतम थी, जब भारत में कुल घरेलू मांग निम्नतम स्तर पर थी।

151. जहां तक पीसीएन-वार तुलना का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि अधिसूचना की शुरूआत में यह स्पष्ट हो गया है कि उस अवस्था में कोई पीसीएन-वार विश्लेषण करने का प्रस्ताव नहीं था। जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना में यह भी प्रदान किया गया है कि हितबद्ध पक्षकारों को निर्धारित फार्म में और निर्धारित ढंग से जांच से संबंधित अनुरोध करने चाहिए। पीसीएन के लिए जरूरत के संबंध में कोई भी अनुरोध इसी अवस्था में ही किए जाने चाहिए, क्योंकि यदि कोई पीसीएन प्रणाली अपनाई भी गई है तो प्राधिकारी को सभी हितबद्ध पक्षकारों से आवश्यक सूचना की मांग करनी होगी। तथापि, हितबद्ध पक्षकारों ने इस अवस्था में या मौखिक सुनवाई के दौरान या इसके लिए दाखिल किए गए लिखित अनुरोधों के समय भी पीसीएन की जरूरत के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया था।

ठ. निष्कर्ष

152. प्राधिकारी के समक्ष उठाए गए तर्कों, प्राप्त सूचना, किए गए अनुरोधों और उपलब्ध कराए गए तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, जो इन अंतिम जांच परिणामों में दर्ज है और घरेलू उद्योग के पाटन और उसके परिणामस्वरूप उपरोक्तानुसार क्षति होने का निर्धारण किए जाने के आधार पर प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि:-

क. विचाराधीन उत्पाद को सामान्य मूल्य से कम कीमत पर संबद्ध देशों से निर्यात किया गया है, इस प्रकार पाटन हुआ है।

ख. संबद्ध वस्तुओं के आयातों की मात्रा में निरपेक्ष संदर्भ में और भारत में उत्पादन व खपत के संदर्भ में गिरावट आई है। क्षति जांच अवधि के दौरान कुल मांग में संबद्ध आयातों के हिस्से में गिरावट आई है ।

ग. क्षति जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत में गिरावट आई है और घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत उसकी बिक्री लागत से अधिक है ।

घ. घरेलू उद्योग के उत्पादन, क्षमता उपयोग और बाजार हिस्सेदारी में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है ।

ड. उपलब्ध सूचना की जांच से पता चलता है कि आयातों का घरेलू उद्योग की कीमतों पर महत्वपूर्ण दमन या न्यूनीकरण प्रभाव नहीं पड़ा ।

च. घरेलू उद्योग के लाभ, नकदी लाभ और नियोजित पूंजी पर प्रतिफल में जांच की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है । नए निवेश जुटाने की घरेलू उद्योग की क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

ड. सिफारिशें

153. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच शुरू की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित की गई थी तथा घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों, और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को नियमावली के अनुसार, पाटन, क्षति और तत्संबंधी कारणात्मक संबंध के बारे में सूचना प्रदान करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था।

154. विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों की जांच करके, और उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों और विश्लेषणों के आधार पर, प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि घरेलू उद्योग पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत किए गए प्रावधानों के अनुसार, वास्तविक क्षति का सामना नहीं कर रहा है। उपरोक्त को देखते हुए, प्राधिकारी संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करना उपयुक्त नहीं मानते। अत: पाटनरोधी नियमावली के नियम 14(ख) और नियम 17 (1) (क) (ii) तथा नियम 11 (2) के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क और 9ख के प्रावधानों के अनुसार, निर्दिष्ट प्राधिकारी दिनांक 28 जून, 2021 की अधिसूचना सं. एफ. सं. 6/8/2021-डीजीटीआर के तहत शुरू की गई वर्तमान जांच को समाप्त करने का निर्णय लेते हैं।

ढ. आगे की प्रक्रिया

155. इस अधिसचना के खिलाफ कोई भी अपील, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और मै० जिंदल पॉलि फिल्म लि० बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी रिट याचिका (सिविल) सं. 8202/2017 मामले में माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली के निर्णय के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद और सेवा कर अपील अधिकरण के समक्ष की जाएगी।

(अनन्त स्वरूप)
निर्दिष्ट प्राधिकारी